लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 7—बुधवार, 23 फरवरी, 1966/ 4 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 7—Wednesday, February 23, 1966/Phalguna 4, 1887 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा सचिव का परिचय	Introduction of Parliamentary Secretary	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

149	विदेशी मनि-आर्डर सेवा	Foreign Money Order Service .	3305–06
150	मितव्ययता आन्दोलन	Economy Drive. . . .	3306–09
151	दिल्ली में विक्रय-कर में वृद्धि	Increase in Sales Tax in Delhi .	3309–10
152	सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Border Areas .	3311–16
153	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन	Migration of Hindus from East Pakistan	3316–19
154	टेलीफोन के बिल	Telephone Bills . . .	3319–20
155	औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन	Industrial Safety Conference .	3320–22
156	कच्चे माल की कमी के कारण उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries due to Shortage of Raw Material . .	3323–24

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

158	गुरु गोविन्द सिंह जी के पवित्र अवशेष	Relies of Guru Govind Singhji .	3325
159	बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Workers under Bonus Act, 1965.	3325
160	मिज़ो आदिम जाति के व्यक्तियों का पूर्वी पाकिस्तान से वापस आना	Mizo-tribals Returning from East Pakistan	3326
161	विज्ञान के अध्यापकों की कमी	Shortage of Science Teachers .	3326
162	कोइली में पेट्रो-रासायनिक उद्योग-समूह	Petro-Chemical Complex at Koyali	3327
163	अवशिष्ट पुनर्वास समस्यायें	Residuary Rehabilitation Problems	3327
164	तालुकदार समिति	Talukdar Committee . . .	3328

*किसी नाम पर अंकीत यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of the Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by the Member.

1—23 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
165	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों से आतिथ्य स्वीकार करना	Central Government Officers receiving Hospitality from Private firms	3328–29
166	जनता की शिकायतें	Public Grievances . . .	3329
167	अधिकारी प्रधान योजना	Officer Oriented Scheme . .	3329–30
168	सैनिक विज्ञान	Military Science . . .	3330
169	अंग्रेजी भाषा का प्रयोग	Use of English Language . .	3330–31
170	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	Central Industrial Security Force	3331–32
171	जापानी पैट्रो-रासायनिक विशेषज्ञ दल	Japanese Petro-Chemical Experts Team	3332
172	समाजवाद का अध्यापन	Teaching of Socialism . .	3332–33
173	सुरक्षा सम्बन्धी गुप्त भेदों के मामले	Cases pertaining to Security Secrets.	3333
174	राजस्थान में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants in Rajasthan .	3333–34
175	उड़ीसा सौदों के बारे में विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवदन	Special Audit Report on Orissa Transactions . . .	3334
176	औषध निर्माण उद्योग	Pharmaceutical Industry . .	3334–35
177	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुशासन	Discipline in Central Government Offices	3335
178	विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध	Relations between Legislators and Administration . . .	3335

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
632	पुनर्गठन योजनायें	Reorganisation Scheme . .	3336
633	कोचीन शोधनशाला में हड़ताल	Strike in Cochin Refinery . .	3336–37
634	केरल में कपड़ा कारखानों में जबरी छुट्टी	Lay off of Textile Mills in Kerala	3337
635	केरल के साबरिगिरी परियोजना में हड़ताल	Strike in Sabarigiri Project Kerala	3337
636	गैर-सरकारी कालिज अध्यापक संघ, केरल	Private College Teachers' Association Kerala . . .	3338
637	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Tranvancore Ltd. . . .	3338
638	प्रतिजीवाणु (एन्टीबायोटिक) कारखाना, ऋषिकेश)	Antibiotic Plant Rishikesh . .	3338–40
640	प्रतिजीवाणु (एन्टीबायोटिक) कारखाना, ऋषिकेश	Anti-biotics Project, Rishikesh .	3339

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
641	एशियाई खेल	Asian Games	3339
642	कोरबा उर्वरक कारखाना	Korba Fertilizer Plant . .	3339–40
643	डाकघर बचत बैंक खाते	Post Office Savings Bank Accounts	3340
644	हिमालय सम्बन्धी भविज्ञान की अनुसन्धान संस्था	Institute of Research in Himalayan Geology	3340
645	गन्दी बस्तियां	Slum Areas	3340–41
646	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में संयुक्त अरब गणराज्य के छात्र	U.A.R. Students in National Metalurgical Laboratory . .	3341
647	राष्ट्रमंडल दूर-संचार सम्मेलन	Commonwealth Tele-Communications Conference . . .	3341–42
648	प्रसूति अवकाश	Maternity Leave . . .	3342
649	डाक द्वारा भेजे जाने वाले पार्सलों का बीमा	Insurance of Postal Parcels .	3343
650	त्रिवेन्द्रम में रबड़ कारखाना	Rubber Factory, Trivandrum .	3343–44
651	स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था	Automatic Telephone Service .	3344
652	केरल के नगरपालिका कर्मचारियों के लिये मंजूरी बोर्ड	Wage Board for Kerala Municipal Workers	3344–45
653	बोनस अधिनियम, 1965	Bonus Act, 1965 . . .	3345
654	चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Sugar Industry	3345
655	कारखानों में सस्ते राशन व दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें	Cheap Ration and Provision Stores in Factories . .	3346
656	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्ताव	Proposals of I.L.O. . . .	3346
657	सीमा क्षेत्र में बेरोजगारी	Unemployment in Border Areas .	3346–47
658	साबुन उद्योग में कर्मचारियों की छंटनी	Reduction of Workers in Soap Industry	3347
659	सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct Dialing Telephone Service	3347–48
660	बाबीना छावनी में एक महिला जासूस का गिरफ्तार किया जाना	Woman Spy arrested at Babina Cantt.	3348
661	तारघरों में कर्मीवर्ग	Operative Staff in Telegraph Offices	3348–49
662	भारत तथा पाकिस्तान के लिये बुक किये गये तार	Cables Booked between India and Pakistan . . .	3349
663	दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills in Delhi	3349–50
664	केन्द्रीय तार घर, (सी० टी० ओ०), नई दिल्ली	C.T.O., New Delhi. . .	3350
665	महाराजा रणजीत सिंह के स्मृति-शेष (रलिक्स)	Relics of Maharaja Ranjit Singh	3350

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
666	सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरोजगारी	Unemployment in Border Areas	3351
667	सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices . . .	3351–52
668	काश्मीर में पकड़े गये तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति	Saboteurs Captured in Kashmir	3352
669	दिल्ली में टेलीफोन विभाग	Telephone Department in Delhi	3352
670	पंजाब में डाकखाने	Post Offices in Punjab . .	3353
671	विदेशी तकनीकी जानकार	Foreign Technical Know-How .	3353
672	टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Telepone Revenue Arrears .	3353
673	लाभांश भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965 .	3354
674	रूरकेल्ला इस्पात कारखाने द्वारा अनुशासन संहिता का भंग किया जाना	Breech of Code of Discipline by Rourkela Steel Plant .	3354
675	औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास	Houses for Industrial Workers .	3354
676	भवन-निर्माण उद्योग के श्रमिक	Workers in Building Constructions Industry . . .	3355
677	इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry	3355
678	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्दियों की रिहाई	Release of Defence held under D.I.R.	3355–56
679	महिला-शिक्षा पर गोष्ठी	Seminar on Women Education .	3356
680	भारत-तिब्बत सीमा पर सर्वेक्षण	Survey on Indo-Tibetan Border	3356
681	अभिलेखों का प्रयोग	Use of Archives . . .	
682	करोल बाग, नई दिल्ली में हत्यायें	Murders in Karol Bagh, New Delhi	3357
683	दिल्ली के स्कूलों में समाज शास्त्र का अध्यापन	Teaching of Sociology in Delhi Schools	3357
684	आंग्ल संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति	Craze for English Culture . .	3357
685	अश्लील साहित्य	Obscene Literature . . .	3358
686	विज्ञान कालिज, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर प्रयोगशाला उपकरणों का अभाव	Lack of Laboratory Equipment in Science College, Calcutta and other places . . .	3358–59
687	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार	Corruption among Central Government Employees . .	3359–60
688	पेट्रोलियम उत्पादों की वितरण नीति	Distribution Policy for Petroleum Products	3360
689	नेफा प्रशासन	NEFA Administration . .	3360

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
690	पदाधिकारियों की सेवावधि में वृद्धि	Extensions to Officers . .	3361
691	नेफा में प्रशासनिक सुधार	NEFA Administrative Reforms	3361
692	बरौनी तेल शोधन कारखाना	Barauni Refinery . . .	3362
693	भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का भारतीय प्रशासन सेवा के साथ मिलाया जाना	Merger of India Frontier Administrative Service with I.A.S. .	3362
694	रूसी लेखकों का शिष्टमंडल	Russian Writers Delegation .	3363
695	"मिडिल क्लास" के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Middle Class Students	3363
696	"होम गार्ड" में महिलायें	Women in Home Guards . .	3363–64
697	टेकनीलौजी संस्थान	Technology Institute . . .	3364
698	प्रशासनिक देरी को दूर करने के लिये समिति	Committee to avoid Administrative Delays	3364
699	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission	3364
700	तेल शोधक कारखाना, कोचीन	Oil Refinery, Cochin . .	3365
701	रूसी पाठ्य पुस्तकें	Russian Text Books . . .	3365–66
702	सार्वजनिक पुस्ताकालय	Public Libraries . . .	3366
703	क्षेत्रीय परिषदों को कार्यप्रणाली	Working of Zonal Councils .	3367–68
704	नये विश्वविद्यालय	New Universities . . .	3368
705	बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in Bay of Bengal	3368–69
706	केरल में रहस्यमय दस्तावेज का परिचालन	Circulation of Mysterious Document in Kerala . . .	3369
707	फारस की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration in the Persian Gulf	3369
708	अध्यापिकाओं के लिए राइफल चलाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम	Rifle Shooting Course for Lady Teachers	3369–70
709	बेसिक शिक्षा पद्धति	Basic Education System . .	3370
710	ऋणी सरकारी कर्मचारी	Indebtedness among Government Employees	3370–71
711	युद्ध के दौरान पुरातत्वीय अभिखेल	Archaeological Records during War	3371
712	मद्रास तेल शोधन तथा उर्वरक परियोजना कारखाना	Madras Refinery and Fertilizer Project Plant . . .	3371–72
713	विक्टोरिया गवर्नमेंट कालिज, पालघाट, केरल	Victoria Government College, Palghat, Kerala . . .	3372
714	केरल में मलयाली बच्चों के लिये स्कूल	Malayali Children School in Kerala	3372
715	स्कूलों के बच्चों के लिये दुग्धचूर्ण	Milk Powder for School Children	3373

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
716	राष्ट्रीय जीवविज्ञान अनुसन्धान संस्थान	National Biological Research Institute	3373–74
717	कोरबा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Korba	3374
718	संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन	Amendment of First Schedule to the Constitution	3374–75
719	मजूरी का साप्ताहिक भुगतान	Weekly Payment of Wages	3375
720	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में हड़ताल	Strike in Hindustan Cables, Ltd.	3375
721	राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा आसाम सीमा पर भारतीयों का अपहरण	Kidnapping of Indians from Rajasthan, West Bengal and Assam Borders	3376
722	कोजीकोड खंड में टेलीफोन सम्पर्क	Telephone Connections in Kozhikode Division	3376
723	केरल में वामपंथी साम्यवादी नजरबंदियों की रिहाई	Release of Left Communist Detenus in Kerala	3377
724	राष्ट्रीय रक्षा कोष में मंत्रियों का अंशदान	Ministers' Contributions to N.D.F.	3377
725	भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Archaeological Survey of India	3377–78
726	उत्तर प्रदेश में पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Libraries in U.P.	3378
727	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत समाचार पत्रों के विरूद्ध मामले	Cases under D. I. R. against Newspapers	3378
728	महामहोपाध्याय की उपाधि	Title of Mahamahopadhyaya	3378
729	महामहोपाध्याय की उपाधि	Title of Mahamahopadhyaya	3379
730	तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा	Security in the Oil Companies	3379
731	गंडक परियोजना के कर्मचारियों के टेली ोन	Telephone connections of Gandak Project Staff	3379
732	पंजाब उच्च न्यायालय में आंनर्णीत मामले	Cases pending in Punjab High Court	3380
733	केन्द्रीय स्कल	Central Schools.	3380
734	राज्य सशस्त्र पुलिस पर खर्च	Expenses for Provincial Armed Police	3380
735	मरहम बनाना	Manufacture of Ointments.	3380–81
736	महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूरों ी हड़ताल	Textile Workers Strike in Maharashtra	3381
737	जम्मू के निकट मुथी शिविर में ोली का चलाया जाना	Firing in Muthi Camp, near Jammu.	3381–82
738	पश्चिम बंगाल में पुरातत्वीय खोज	Archaeological Exploration in West Bengal	3382

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
739	प्राइमरी से पहले की शिक्षा	Pre-Primary Education . .	3383
740	मजूरी संबंधी आयोजन	Wage Planning . . .	3383–84
741	औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में अखिल भारतीय पदालि	All India Cadre on Industrial Relations	3384
742	कलकत्ता में टेलीफोन के कनैक्शन	Telephone Connections in Calcutta	3384–85
743	टेलीफोन लाइन काटना	Disconnection of Telephone Lines	3385
744	दुर्गापुर में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Durgapur	3385
745	माध्यमिक शिक्षा विस्तार प्रशासन	Secondary Education Extension Administration . . .	3386
746	कलकत्ते की एक फर्म में काम कर रहे पाकिस्तानी जासस	Pakistani Spy employed in Calcutta Firm	3386
747	दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल	Investigations against Officers of Delhi Municipal Corporation .	3387
748	रविवार के दिन डाक का वितरण	Delivery of Mails on Sundays .	3387
749	एण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर	I.T.I., Bangolore . . .	3388
750	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants . . .	3388–89
751	कलकत्ता-दिल्ली टेलीप्रिंटर सेवा	Calcutta-Delhi Teleprinter Service	3389
752	जिला गज़ेटियर, उड़ीसा	District Gazetters, Orissa . .	3389
753	उड़ीसा के स्कूलों और कालिजों में सभाकक्ष	Auditoria in Colleges and Schools in Orissa	3389–90
754	उड़ीसा में डाक व तार विभाग के क्वार्टर	P. & T. Quarters in Orissa .	3390
755	उड़ीसा में पंचायत समितियों के कार्यालयों के लिये टेलीफोन	Telephones for Panchayat Samiti Offices, Orissa . . .	3390–91
756	निर्वाह, व्यय सुचकांक	Cost of Living Index . .	3391
757	स्त्रियों के लिए पोलीटेक्निक संस्थायें	Polytechnics for Women . .	3392
758	सस्ती अमरीकी पाठ्य पुस्तकें	Low priced American Text Books	3392–93
759	पुनर्वास उद्योग निगम	Rehabilitation Industries Corporation	3394
761	केरल में बागान श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि	Wage Rise for Plantation Labour in Kerala	3394
762	केरल में कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि	Wage Rise for Textile Workers in Kerala	3394–95
763	केरल में मिट्टी के तेल का सम्भरण	Supply of Kerosene Oil in Keral	3395
764	कोयला क्षेत्र मजदूर भर्ती संगठण	Coal Fields Labour Recruiting Organisation . . .	3395
765	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाना	Fertilizer, Plant, Gorakhpur .	3395–96

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
766	रेडियो लाइसेंस	Radio Licences . . .	3396
767	पेट्रोलियम श्रमिकों को बोनस भुगतान	Payment of Bonus to Petroleum Workers	3396
768	आदर्श (माडल) विश्वविद्यालय विधेयक	Model University Bill . .	3397
769	गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Gorakhpur	3397
770	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का नियमित करना	Regularisation of the Unauthorised Colonies in Delhi . . .	3397–98
771	दिल्ली में बिना लाइसस की रेहड़ियां, फेरी वाले तथा रिक्शा चलाने वाले	Unlicensed Rehris, Hawkers, Rickshaw Pullers in Delhi . .	3398
772	"राष्ट्रभाषा सन्देश" को सहायता	Assistance to Rashtrabhasha Sandesh	3399
773	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा	Primary Education through Panchayati Raj Institutions . .	3399
774	मेहसाना टेलीफोन ऐक्सचेंज	Mehsana Telephone Exchange	3399–3400
775	केरल में आन्दोलन	Kerala Agitation . . .	3400
777	अपराधियों को मजूरी	Wages to Convicts . . .	3400
778	जेलों में भोजन की मात्रा	Diet scale in Jails . . .	3400–01
779	नज़रबंदियों को विविध भत्ता	Sundry Allowance to Detenus .	3401
780	स्थानीय टेलीफोन काल	Local Telephone Calls . .	3401
781	बिहार में नजरबन्द व्यक्ति	Detenus in Bihar . .	3401–02
782	सरकारी सेवा के लिये हिन्दी का ज्ञान	Knowledge of Hindi for Govt. Service	3402
783	वामपंथी साम्यवादियों द्वारा भूख हड़ताल	Left Communists on Hunger Strike	3402
784	शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी	Hindi as Medium of Instruction.	3402–03
785	ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था	Trunk Dialing	3403–04
786	बादली औद्योगिक वस्ती में उद्योगों को टेलीफोन	Telephone for Badli Estate Industrial Units . . .	3404
787	दिल्ली अभिभावक-शिक्षक परिषद्	Parents-Teachers' Association, Delhi	3404–05
788	महाराष्ट्र में गैस की खोज	Exploration of Gas in Maharashtra	3405
789	विद्रोही नागाओं द्वारा एक गांव पर आक्रमण	Rampage of a Village by Hostile Nagas	3405
790	तुंगभद्रा घाटी में खुदाई	Excavations in Tungabhadra Valley	3405–06

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
(1) नागा विद्रोहियों द्वारा रेल मार्ग का उड़ाया जाना	(i) Blowing up of railway track by Naga Hostiles . .	3406–08
(2) भारतीय वायु० सेना के एक विमान का गौहाटी के समीप दुर्घटना-ग्रस्त होना	(ii) Crash of an IAF Plane near Gauhati	3431–33
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे म (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	3409
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	3409
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— अठरहवा प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions— Seventy-eighth Report . .	3409
भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Situation on India-Pakistan Border—	
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	3410
तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 566 के उत्तर में शुद्धि के बारें में वक्तव्य–	Statement re : Correction of Answer to SQ Nos. 122 and 566—	
कानपुर के एक उद्योगपति की गिरफ्तारी	Arrest of a Kanpur Industrialist	
श्री पु० शे० नास्कर	Shri P. S. Naskar . .	3410
न्यायाधीश (जांच) विधेयक—	Judges (Inquiry) Bill —	
संयुक्त समिति का प्रतिवदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for presentation of Report of Joint Committtee	3410
राष्ट्रपति के अभि भाषण पर प्रस्ताव—	Motion on President's Address—	
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	3410–11
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	3411–14
श्री हेडा	Shri Heda	3414–15
श्री गु० सिं० मुसाफिर	Shri G. S. Musafir . .	3415–17
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	3417–19
श्री रा० गि० दुबे	Shri R. G. Dubey . .	3419–20
श्री म० ला० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi . .	3420–22
श्री नरसिम्हा रेड्डी	Shri Narasimha Reddy .	3423–24
श्री रामशेरवर प्रसाद सिंह	ShriRamshekhar Prasad Singh	3424–2
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	3425–26
श्री काशीनाथ पाण्डे	Shri K. N. Pande . .	3426–27
श्री अन्सार हरवानी	Shri Ansar Harvani . .	3427–28
श्री मौर्य	Shri Maurya . . .	3428–29
श्री केप्पन	Shri Kappen . . .	3429–30
श्री ओंकार सिंह	Shri Onkar Singh . .	3430–31

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 23 फरवरी, 1966/4 फाल्गुन, 1887 (शक)
Wednesday, February 23, 1966/Phalguna 4, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा-सचिव का परिचय
INTRODUCTION OF PARLIAMENTARY SECRETARY

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं श्री भानू प्रकाश सिंह का परिचय कराना चाहता हूं, जिन्हें मेरे मंत्रालय में सभा-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी मनि-आर्डर सेवा

+

*149. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नारायण रेड्डी
श्री लाटन जौधरी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री काजरोलकर :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बसुमतारी :
श्री रामपुरे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कनाडा, अमरीका और कुवैत की सरकारों से, भारत के साथ सीधी मनीआर्डर सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई करार हो गया है ;

(ग) उक्त सेवा से क्या लाभ होंगे तथा उस पर कितना धन व्यय किया जायेगा ; और

(घ) इस समय कितने देशों के साथ भारत की सीधी मनीआर्डर सेवा चालू है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री के समा सचिव (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) भारत के साथ सीधी मनीआर्डर सेवा के सम्बन्ध में कनाडा, अमरीका तथा कुवैत के डाक प्रशासनों से सुझाव प्राप्त हुए थे ।

(ख) कनाडा के साथ 27 दिसम्बर, 1965 को समझौता कर लिया गया । अमरीका और कुवैत के साथ बातचीत चल रही है ।

(ग) कनाडा के साथ सीधे मनीआर्डर भेजने से सम्बन्धित समझौते के फलस्वरूप कनाडा से भारत को रुपया भेजने की लागत में कमी हो जाएगी और साथ ही मार्ग में भी कम समय लगेगा । इस समझौते के कारण भारत पौण्ड स्टर्लिंग के स्थान पर कनाडा के डालर प्राप्त कर सकेगा । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा ।

(घ) 33 देशों के साथ ।

Shri Rameshwar Tantia : Since import licences are allowed of the value of 60% of the money sent from abroad under the National Defence Remittance Scheme, how are remittances under the Money Order Service expected to be received ? Has Government considered the fact that if such remittances are received, import licences will be issued in exchange thereof ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): उन का आयात लाइसेंसों से कोई सम्बधं नहीं है । हिसाब वर्ष के अंत में लगाया जायेगा और जो कुछ भुगतान हमारे देश को किया जायेगा वह कैनेडियन डालर में होगा ।

Shri Yashpal Singh : When is similar service to Pakistan expected to start ?

\+ **मितव्ययता आन्दोलन**

***150. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उनके मंत्रालय ने नये कर्मचारियों की नियक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने समय के लिये, और

(ग) क्या सरकार ने विशेष अवस्थाओं में नियुक्ति किये जाने का अपवाद रखा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) नये कर्मचारियों की नियुक्ति पर इस समय कोई प्रतिबंध नहीं है सिवाय इसके कि चपरासियों की नियुक्ति बाहर से नहीं की जा रही ;

(ख) सितम्बर, 1968 से; और

(ग) हां ।

Shri Bibhuti Mishra : The answer which the honourable Minister has given just now discloses that the restriction is only in regard to recruitment of peons. Is the government making an alternative arrangement for livelihood of this poorer class ?

श्री पू० शे० नास्कर : माननीय सदस्य शायद नये पदों के निर्माण पर प्रतिबंधों की चर्चा कर रहे हैं । केवल चतुर्थ श्रेणी के नयें पदों के बनाने पर ही प्रतिबंध नहीं है अपितु सुरक्षा तथा योजना सम्बन्धी कार्यों को छोड़ कर दूसरी उच्च श्रेणियों में भी नये पद के निर्माण पर प्रतिबंध है ।

Shri Bibhuti Mishra : Has Government thoroughly investigated into the fact that the number of class I and class II employees is not in excess of the actual number required ? If they are in excess, the number thereof ? What is the saving that the Government hope to make by not recruiting peons ?

श्री प० शे० नास्कर : दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या के बारे में पुनरीक्षा कर ली गई है और समय समय पर की जाती है । प्रथम से चतुर्थ तक चार श्रेणियां हैं । मैं प्रशासन कार्य पर किये गये खर्चे के वास्तविक आंकड़े नहीं दे सकता क्यूंकि इस समय मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

Shri K. N. Tiwary : Has any retrenchment been effected in the Central Services ? If so, what is the number thereof and the category in which retrenchment has been made ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : No retrenchment has been made.

Shri M. L. Dwivedi : Has Government also investigated into the fact that the class I and clerical staft in the various Ministries of the Government of India is surplus ? If so, what are the findings and what action is proposed to be taken about such surplus staff ?

Shri Hathi : There is a team of the Finance Ministry which is carrying on investigations in regard to each Ministry. The number of posts found surplus in a Ministry are declared to be so. But no retrenchment has so far been made. It has been arranged to trains them up and re-employed them wherever their services will be required.

Shri K. N. Tiwary : Are the restrictions relating to re-employment confined to the Central Services or are they to be in force also in the subordinate public undertakings ?

श्रीमती सावित्री निगम : क्या वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा लगाये गये बचत के हेतु प्रतिबंधों तथा दूसरी कार्यवाहियों के परिणामों का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि उन प्रतिबंधों व कार्यवाहियों का कोई परिणाम नहीं निकला है तो क्यों ?

श्री पू० शे० नास्कर : वे कार्यवाहियां प्रशासन के खर्चे में बचत करने के हेतु की गई थीं । मेरे पास बचाई हुई राशि के सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े नहीं हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : नोटिस एक मास पूर्व दे दिया गया था । मंत्री महोदय अभी तक वास्तविक आंकड़े क्योंकि नहीं संकलित कर सके ?

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले सत्र में इसी शीर्षक "बचत आंदोलन" के अंतर्गत एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 9 दिसम्बर को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भगत ने कहा था :

> "मंत्री मण्डल के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो प्रशासन कार्य से संम्बद्ध मंत्रालयों से बातचीत करेगी तथा अनावश्यक कार्य न करने अथवा उनको निलंमित करने के संबंध में कार्यवाही करेगी । समिति का लक्ष्य मंत्रालयों में चालू वर्ष की योजना से बाहर के काम में 10 से 15 प्रति शत: कटौती करने का है ।"

क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है अथवा इस दिशा में कोई कार्यबाही की गई है ?

श्री हाथी : जैसा मैंने कहा है, समिति हर मंत्रालय की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण कर रही है । जब कभी समिति देखती है कि कर्मचारियों की कुछ संख्या आवश्यकता से अधिक है, तो वह ऐसी संख्या को उस मंत्रालय के लिये फालतू घोषित कर देती है । दो अलग अलग प्रश्न हैं--एक तो नये पदों के बनाये जाने पर प्रतिबंध के बारे में है । कोई नया पद नहीं बनाया गया है और न ऐसा करने के लिये अनुमति दी जाती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु पहलू सम्पूरक हैं ।

श्री हाथी : वे निस्सन्देह ही सम्पुरक हैं परन्तु वे पृथक हैं । अत: योजना अथवा सुरक्षा-कार्य के लिये यदि नये पद की आवश्यकता होती है तो वह बना दिया जाता है, अन्यथा नहीं। जहां तक नियुक्ति का प्रश्न है, उस के लिये कोई प्रतिबंध नहीं हैं और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में नियुक्ति के लिये परीक्षायें ली जाती हैं क्योंकि लोग रिटायर होते रहते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है । अत: नियुक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता । प्रतिबंध केवल नये पदों के बनाये जाने पर है ।

Shri Kashi Ram Gupta : The honourable Minister has told that there is restriction with regard to recruitment of peons and a few of the latter have been retrenched, too. Has this step been taken in conformity to some long-term policy or it is consequent to some immediate necessity ? How long is this arrangement going to stay ?

Shri Hathi : No committee has been appointed in this connection, and since 1958, the number of peons has been considerably increasing—the peons are far too many in comparison to the officers ! Therefore, it has been found that so many peons are not needed and now after re-organisation, a lesser number of peons will work.

Shri Kashi Ram Rupta : Under what policy has this step been taken ?

श्री दाजी : क्या यह सत्य नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत एक योजना है जिसे "अधिकारी-प्रधान" योजना कहते हैं और उस योजना से 10,000 क्लर्कों की नौकरी को खतरा है और कर्मचारियों ने गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है ? उस योजना का क्या हुआ ?

श्री हाथी : वह इस योजना के अन्तर्गत नहीं आता । उस विषय पर आज एक अलग प्रश्न पूछा गया है । परन्तु यदि आप की इच्छा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री हाथी : हम अधिकारी-प्रधान योजना का परिक्षण निर्माण, आवास तथा नगरिय विकास मंत्रालय में कर रहे हैं । उस योजना के अन्तर्गत हम उन स्तरों में से कुछ को समाप्त कर रहे हैं जिन से होकर फ़ाइल उप-सचिव या संयुक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारी तक पहुंचती है ताकि मामलों के निपटाने में जो समय लगता है उस में कुछ कमी की जा सके । यदि उस योजना को लागू किया गया तो कुछ सहायक फालतू हो जायेंगे । एसे फालतू कर्मचारियों के लिये एक सामान्य "सैल" बनाया जा रहा है जहां उन को उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा और दूसरें स्थानों में खपा लिया जायेगा । छंटनी नहीं की जायेगी ।

श्री रंगा : यह देखते हुए कि तथाकथित बचत आन्दोलन और अनावश्यक भर्ती पर प्रतिबंध उस समय से चल रहे हैं जब पंत जी गृह-मंत्री थ,---और यह दोनों योजनायें हमें उसी समय प्रथम दी गई थी---क्या कारण है कि सरकार ने अभी तक इस फज़लखर्ची को दोबारा भर्ती

न करके तथा बचत करने के लिये और इतने समय से हो रहे अनावश्यक व्यय तथा किसी न किसी मंत्रालय में फालतू कर्मचारियों के होने के मामले के सम्बन्ध में कोई ठोस नीति घोषित नहीं की है ?

श्री हाथी : जैसा मैं ने कहा है, हम कम किये गये व्यक्तियों के स्थान में पुनः भर्ती नहीं कर रहे ताकि आवश्यकता से अधिक कर्मचारी न हो जायें ।

Increase in Sales Tax in Delhi

***151. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sales tax has been increased by 5 per cent in Delhi;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the commodities on which it has been increased ?

The Minister of State to the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Jaisukhlal Hathi) : (a) to (c). Since June 1963, there has been no increase in tne sales tax in Delhi. Certain proposals for effecting some changes in the existing rates with a view to raising additional resources and reducing the disparities in the tax rates in Delhi and the adioining States are under consideration.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The honorouble Minister says that there are certain suggestions which are under consideration. By what time final decision on is expected to be reached ?

Shri Hathi : The final decision has not been reached so far, but the discussions are over. Decision will follow now.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has the attention of Government been drawn to the fact that while Government have not increased the sales tax so far, the prices have gone up in the markets ? If so, what steps have Government taken to check this ?

Shri Hathi : That is quite a different question. One of the reasons for increasing the rates of sales tax is that the rates of sales tax in Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh are higher in one place and lower in the other there is no sales tax at all in certain places and as a consequence goods from here are taken into other States and the economy of those States has to face difficulties.

Shri Bade : Is it a fact that there is a wide disparity in the rates of this tax in Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi ? If so, why uniform rates are not charged ? With the introduction of uniform rates of sales tax, disparity in prices will also disappear.

Shri Hathi : Yes, it is so. The Planning Commission had called for a meeting and people from Rajasthan, Uttar Pradesh, Delhi etc. had taken part in it. Since Madhya Pradesh does not happen to be in this zone—the Northern zone—nobody from that state participated. It was decided in that meeting that sales tax will be levied at places where there is already no levy and where there is a levy at a lower rate, the rate may be increased. The question relates to this matter and the matter is under consideration.

Shri M. L. Dwivedi : Has the Central Government considered that instead of proposing an increase in the rate of tax, would it not be in the fitness of things to reduce the rate of tax in those States where it is already high so that hardships may not increase ? Are the Government aware of the fact people evade sales tax ? People buy things but do not obtain a cash memo and this not only results in loss to the Government but also adversely affects the dealers.

Shri Hathi : The Planning Commission has not given consideration to the matter of reducing the tax. They only want to increase the rate of tax. Hence the mention of increasing the rates.

Shri M. L. Dwivedi : In view of the fact that removal of sales tax will eliminate the evasion of tax; what are the steps being taken to check this tax evasion ?

Shri Bagri : The rate of tax is lower in one State, higher in another and there is no tax at all in yet other States. You are proposing to levy it where it has not already been levied and to increase it where it is low. In my opinion, the only way out is that the sales tax at uniform rates may be levied at places of production and may be lifted on retail sales at different places. This will bring in uniformity and rule out the possibility of disparity in rates or the evasion of tax. Are these suggestions under consideration of Government ? If so, what action are they taking in this behalf ?

Shri Hathi : That is a different matter. Sales tax and excise duty are two different things. Levy of excise duty is a different matter.

श्री स० चं० सामन्त : क्या दिल्ली में बिक्री कर को उत्पादन शुल्क या उत्पादन कर में मिलाने का सुझाव है ?

श्री हाथी : नहीं, अभी तक ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is there any proposal for lifting sales tax from the necessities of life ? I should also like to know that since the burden of sales tax is mainly on the buyer, is there any proposal for changing the name of this tax from 'sales tax' to 'purchase tax' ?

Shri Hathi : Yes, full consideration will be given to the fact that to see that the rates be increased only on the luxury goods.

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विभिन्न राज्यों में बिक्री कर में अनुपातहीन विषमता तथा बड़े पैमाने पर कर की चोरी को देखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने करों में चोरी तथा विषमता को दूर करने के लिये विभिन्न राज्यों के बीच बात-चीत किये जाने का कोई साधन सोचा है ?

श्री हाथी : हां, योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी और बात-चीत के उपरान्त यह निश्चय हुआ था कि सब राज्यों में दरें समान होनी चाहिये । परन्तु कठिनाई इस कारण हुई कि दिल्ली में कुछ वस्तुओं पर बिलकुल कर नहीं है जबकि दूसरे राज्यों में 7% या 8% इत्यादि कर है और इसलिये आस-पास के राज्यों से लोग वहां आकर माल उपभोक्ता की हैसियत से ले जाते हैं और कर न यहां देते हैं और न वहां देते हैं । वास्तव में विभिन्न राज्यों के बीच बात-चीत के पश्चात् ही हर जगह समान कर रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

+ सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योग

*152. श्री नारायण रेड्डी :
श्री बड़े :
श्री लाटन चौधरी :
श्री बागड़ी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री किशन पटनायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामसेवक यादव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री उटिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दाजी :
श्री हेम बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बसुमतारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योगों तथा कर्मचारियों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई अन्तर्मंत्रालय समिति की हाल में बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी विमानों द्वारा बमबारी के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी पर विचार किया गया ;

(घ) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : एक विवरण (संख्या 1), जिसमें सीमावर्ती उद्योगों और मजदूरों की सहायता के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया गया है, संलग्न है ।

(ग) जी हां । अन्तर्मंत्रालय समिति की पहली बैठक 23 दिसम्बर, 1965 को हुई थी ।

(घ) अतर्मन्त्रालय समिति ने हाल की सैनिक कार्यवाही के कारण सीमावर्ती क्षत्रों में और देश के अन्य भागों में आर्थिक कठिनाइयों के कारण औद्योगिक इकाइयों की कामबंदी तथा आशंकित कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया ।

(ङ) विवरण संख्या 2, जिसमें अन्तर्मन्त्रालय समिति की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी दखिये, संख्या एल० टी० 5539/66]**

श्री नारायण रेड्डी : कताई मिलों नया मिश्रित मिलों के बन्द हो जाने से कपड़ा उद्योग के लगभग 22,000 मजदूरों के सामने जो समस्या खड़ी हो गई है, क्या अन्तर्मंत्रालय समिति ने उन पर विचार किया है और उनकी सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह संलग्न विवरण में दिया गया है ।

श्री नारायण रेड्डी : क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि मजदूरों को आपात के समय में ऋण और अनुदान दिय जा सकें और पाकिस्तानी बम वर्षा के समय जो जखमी हुए थे उनको बड़े पैमाने पर चिकित्सीय सुविधाएं दी जा सकें, यदि हां, तो उन में कब संशोधन किया जायेगा और अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : इस अन्तर्मंत्रालय समिति में किस किस मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं और क्या इसमें उन राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे जिनको आंकड़े इकट्ठे करने के लिये कहा गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अन्तर्मन्त्रालय समिति में इन इन मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व दिया गया हैं : वाणिज्य, प्रतिरक्षा, वित्त (आर्थिक कार्य विभाग), इस्पात और खान (खान और धातु विभाग), उद्योग तथा संभरण (संभरण तथा तकनीकी विकास विभाग), उद्योग तथा संभरण (उद्योग विभाग) पेट्रोलियम और रसायन और परिवहन तथा योजना आयोग ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know the distance within the border line which the Government recognise as the border area ? What is the extent of area which is prohibited even for Indians not to speak of establishing new industries there. What steps are being contemplated by Government to establish semi-Government industries there ?

Shri Jagjivan Ram : So far as the industries are concerned, border is recognised to that extent upto which the industries have suffered some damage. All those areas are included in it. No restrictions are imposed on the movement of persons for rehabilitating the industries and it is a matter of happiness that 90 per cent of the industries have been rehabilitated.

Mr. Speaker : Do the border areas include areas other than those which have suffered damage ? Upto what extent the border areas are recognised and how they are being attended ?

Shri Jagjivan Ram : To this I have replied. In Punjab where the industries have suffered damage, whatever be the distance where these are located, we have not demarcated any border for it. We shall give aid to all of them and not to others. All the industries which have suffered on account of the recent conflict will be given aid.

Mr. Speaker : The hon. Member says that there are places which, have not suffered any damage in the hostilities and which are still the border areas. How much do you define for giving special attention.

Shri Jagjivan Ram : What we are doing for industries in the areas that have suffered losses is a part of the question itself. Question does not arise with regard to the places where there have been no damages.

Mr. Speaker : It is mentioned in part (a) of the question, namely,

"(a) whether it is a fact that Government have under consideration any proposal to help industries and workers in the border areas;"

Further, in (e) it has been somewhat defined. That has not been answered.

Dr. Ram Manohar Lohia : Then please ask him to give his statement thereon.

Mr. Speaker : I will get his answer.

Shri M. L. Dwivedi : In view of the fact that there was reduction in consumption as also in the production in the industries located in border areas as a result of the recent Indo-Pak. conflict; the steps that the Government has taken or propose to take to dispose of the increased quantity of goods which are likely to be produced now ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह विचाराधीन है और इसका वक्तव्य में भी उल्लेख है ।

Shri M. L. Dwivedi : The goods that were produced had been lying unsold. What the Government propose to do if these goods are not sold off ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इसका वक्तव्य में उल्लेख है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सम्बद्ध उद्योगपतियों को अधिक ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये रिज़र्व बैंक ने क्या किया है ?

Shri Jagjivan Ram : The statement also mentions about the credit facilities available in this connection.

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने अथवा अन्तर-मंत्रालय समिति अथवा स्वयं मंत्री महोदय ने सीमावर्ती क्षत्रों में, रोज़गार के अवसरों को बहाल करने तथा उन में वृद्धि करने के लिये और विशषकर औद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी कार्य का पहले से अधिक गति से विकास सुनिश्चित करने के लिये कोई विशिष्ट पग उठायें ह ? क्या किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

श्री जगजीवन राम : चूंकि इस प्रश्न के क्षेत्र को हम निश्चय कर चुके हैं, हम ने अपनी कार्यवाहियों को सामरिक संघर्ष में क्षतिग्रस्त उद्योगपतियों के पुनः बसाये जाने तक ही सीमित रखा है और उसी दृष्टिकोण से कार्यवाही की जा रही है । जहां तक इस प्रश्न के व्यापक पहलू का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वह श्रम मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है ।

श्री हेम बरुआ : जैसा कि डाक्टर सिंघवी ने मुझे याद दिलाया है, पंजाब के और दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योग केवल पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा ही नहीं अपितु कच्चे माल की भारी कमी तथा बिजली की कमी के कारण भी छिन्न-भिन्न हुए हैं ।

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कहा है उस पहलू पर विचार किया जा चुका है और इस समय स्थिति यह है कि उस क्षेत्र में क़रीब क़रीब उन सब छिन्न भिन्न हुए उद्योगों को पुनः स्थापित कर दिया गया है और वे अब सामान्य उत्पादन में लगे हुए हैं ।

Shri K. N. Tiwary : It is mentioned at No. 7 in the statement that :

"Employment Exchanges should become more active in border areas and the State Co-ordinating agency should be asked whether they had assessed correctly the magnitude of the problem created by the recent

hostilities and whether any action had been initiated to find employment in the adjoining areas and states for persons rendered unemployed in one area".

Has any action been taken in this behalf ? If so, how many persons were rendered unemployed owing to hostilities and how many of them have been employed ?

Shri Jagjivan Ram : I am unable to give the approximate figures but, as I have said, so far as Punjab—which was most adversely affected—is concerned, most of the industries have restarted and most of the people have resumed their jobs.

Shri Ram Sewak Yadav : People are not allowed to go to NEFA. Do Government propose to lift this restriction in order to facilitate the working of these industries in that area, especially in the border areas ? If not, how will industries run there ?

Shri Jagjivan Ram : As I have already said, this does not come within the purview of this question.

Shri Kishen Pattnayak : No. As already told, it does come within the purview of that question. You err but do not admit. There is nothing wrong with the question.

Shri Jagjivan Ram : It is not the question of admitting ones errors here. I was going to say.....

Shri Kishen Pattnayak : Mr. Speaker has said that it comes within the purview of this question.

Shri Jagjivan Ram : I was going to say that this question could not be asked of the Labour Minister; it concerns some other Minister.

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार को पता है कि छेहर्टा, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और फिरोज़पुर में बहुत से औद्योगिक कारखाने माली सहायता तथा कच्चे माल के अभाव के कारण अभी तक बंद पड़े हैं ? यदि हां, तो इन कारखानों को पुन: खोलने के लिये सरकार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : वक्तव्य में यह भी बतलाया गया है कि उन कारखानों के पुन:स्थापन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ।

Shri Bade : Is it a fact that one lakh workers in Jammu, one and a half lakhs workers in Amritsar and fifty thousand workers in Pathankot are still unemployed and for this reason, they had also put up a demonstration ? Inter-Ministry Committee also had a sitting and they said that until financial aid was forthcoming from the Centre, they were unable to do anything about it. What is the amount of financial aid given by the Centre and what is the number of workers since re-employed ?

Shri Jagjivan Ram : I have already told that so far as Punjab is concerned, they have reestablished the industries. Besides, those who were engaged on the farm or in industries and who were displaced on account of the conflict, have been receiving relief from the Ministry. So far as industries are concerned, most of them have started functioning since peace returned. Efforts will be made to furnish them with credit and material.

Shri Bade : What is the reason for firing in Jammu ?

Shri Jagjivan Ram : Recourse to firing had to be taken because of disturbances in connection with the displaced persons. That was not related to the workers.

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that the industrialists have been asked first to give employment to those workers who had been displaced due to the armed conflict in preference to others.

Shri Jagjivan Ram : Of course, only those who were workers formerly will be given preference.

Shri Bagri : Will the honourable Minister be pleased to state whether Government propose to take over and run those industries which, at the time of the last conflict, were abandoned and closed down for panic by the industrialists and which industries the latter themselves harmed and also aggravated unemployment ?

Shri Jagjivan Ram : The honourable Member is probably aware that there is only one Industries Control and Regulation Act which was passed by the House. Government will, by virtue of the powers conferred by that Act, consider the question of taking over of any such industry which comes under the purview of the said Act.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that those who were running woollen industries in Jammu and Punjab etc. have suffered losses ? If so, has government estimated their loss as also the number of workers rendered unemployed and what help has Government given to them ?

Shri Jagjivan Ram : The State Government has been looking to all these things and has also already given attention to it ; financial help in the form of loans and grants has also been given.

श्रीमती सावित्री निगम : वक्तव्य में कहा गया है कि रिज़र्व बैंक ने पंजाब में अनुसूचित बैंकों से उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में वद्धि करने के लिये कहा है । ऋण के रूप में कितना रुपया इन बैंकों द्वारा दिया गया है और क्या व्याज-मुक्त ऋण की सुविधा जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में भी देने का विचार है ?

श्री जगजीवन राम : चूंकि अभी आंकड़े मंगाये नहीं गये हैं, मैं आंकड़े देने में असमर्थ हूं । परन्तु मुझे इतना पता है कि बैंकों ने कई उद्योगों को पेशगियां दी हैं । इनके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । परन्तु मैं कह सकता हूं कि यह सुविधा दूसरे क्षेत्रों में भी दी जायेगी ।

Shri Bade : He should give a statement. three questions were asked of him and he could not give figures relating to all the three.....

श्री जगजीवन राम : जब तक मेरे पास उस प्रश्न की सूचना नहीं आती, मैं उस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दे सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the extent of losses sustained by industries in Rajasthan, Punjab and Jammu and how much financial aid has been given by the Centre to each state separately ?

Shri Jagjivan Ram : Notice is required for supply of this information.

श्री दाजी : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 95 प्रतिशत उद्योग पुन: स्थापित कर दिये गये हैं । अत: मैं यह विशेष रूप से पूछना चाहूंगा कि क्या पिछले युद्ध की बम्बारी के कारण अमृतसर और बटाला इत्यादि में बंद हुए उद्योग फिर से चालू हो गये हैं ? जहां तक हम को जानकारी है वे

उद्योग अभी तक चालू नहीं हुए है । अत: माननीय मंत्री किन सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं जब वह यह कह रहे हैं कि 95 प्रतिशत उद्योगों को पुनःस्थापित कर दिया गया है ? बटाला और अमृतसर में अभी तक एक भी उद्योग फिर से चालू नहीं हुआ है ।

श्री जगजीवन राम : मेरे जानकारी इसके बिलकुल विपरीत है और वह पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित है ।

श्री दाजी : 17 तारीख को श्री बुटा सिंह वहां थे । वहां एक भी उद्योग नही चल रहा है । यह बात सब जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार बोलना जारी नही रख सकते । प्रश्न किया जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है । माननीय सदस्य के पास कुछ जानकारी है और माननीय मंत्री ने कह दिया है कि उनके पास उसके विपरीत जानकारी है । यदि माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी ग़लत है तो माननीय सदस्य इस मामले पर दूसरे किसी तरीक़े से च र्चा कर सकते हैं । मैं उनको उसके अतिरिक्त और क्या सुझाव दे सकता हूं ? वे एक चर्चा के लिये इस बिना पर अनुरोध कर सकते हैं कि जो उत्तर दिये गये हैं वे सब स्पष्ट नहीं है ।

श्री जगजीवन राम : मैं यह दोहराऊंगा कि मेरी जानकारी पंजाब सरकार से मिली सूचना पर आधारित है ।

अध्यक्ष महोदय : जो मत व्यक्त किये गये हैं वे विभिन्न हैं तथा एक दूसरे के विरुद्ध हैं । एक ओर तो यह आरोप है कि कोई भी उद्योग चालू नहीं किया गया है परन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि 95 प्रतिशत उद्योगों को पुनःस्थापित कर दिया गया है और वे चल रहे हैं ।

श्री जगजीवन राम : इसी लिये तो मैं बीच में बोल रहा हूं . . . . .

श्री रंगा : माननीय मंत्री को अग्रेतर जांच करानी चाहिये ।

श्री जगजीवन राम : मेरी जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है । इन अनपूरक प्रश्नों को देखते हुए मैं पुन: ब्यौरे की जांच करूंगा और यह पता लगाऊंगा कि सही स्थिति क्या है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : युद्ध जोखिम बीमा योजना के अन्तर्गत कारखानों तथा कर्मचारियों से सम्बद्ध बेरोज़गारी रोकने लिये पर्याप्त मुआवज़ा दिलाने के मामले में श्रम मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्री जगजीवन राम : जबरी छुट्टी और छंटनी के लिये जो भी लाभ सम्बद्ध अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं वे लाभ इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिये जायेंगे ।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन

*153. **श्री विश्राम प्रसाद** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1965 से जनवरी, 1966 तक की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दु भारी संख्या में प्रव्रजन करके भारत आये;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख)। नवम्बर, 1965 से जनवरी, 1966 तक की अवधि में 2,601 विस्थापित व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं। समुदाय के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इन विस्थापितों में से जो सहायता तथा पनर्वास सहायता के पात्र ह उन्हें सहायता दी जा रही है जब तक कि उनके पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती।

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the total number of the displaced minority community members who migrated into India since the 15th of August, 1947, that is since the independence ?

श्री दा० रा० चव्हाण : पूर्व पाकिस्तान से 1947 से 1958 तक आने वाले प्रव्रजकों की कुल संख्या 41.07 लाख है और अप्रैल 1958 से दिसम्बर 1963 तक यह सख्या 0.62 लाख थी। 1-1-1964 से 14-1-1966 तक 8,01,798 व्यक्ति आये।

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the total ?

Mr. Speaker : He does not have the total, too. You may please add up the figures.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am trying to get an approximate total which is 70 lakhs. So keeping this in mind that persons have been displaced in India as well, will the honourable Minister, while giving the figures of such displaced persons in India, state whether the agreements regarding minorities taking place between India and Pakistan—the last among them being the Tashkent agreement affects the displacement of minorities and renders it continuous ? If it is so, how does he propose to remedy the things ?

(No honourable Minister rose to reply for a shortwhile.)

अध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : They do not come after settling between themselves and waste time here.

Shri Sheo Narain : How are you concerned ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : We should get a reply.

Shri Sheo Narain : You are getting a reply.

श्री बूटा सिंह : एक मंत्रालय के मंत्री तथा उप मंत्रियों के स्थानों का नियतन इस प्रकार होना चाहिये कि वे कम फासले पर ही एक-दूसरे से परामर्श ले सकें। उनके स्थानों के बीच ज्यादा फ़ासला नहीं होना चाहिये।

Shri Jagjivan Ram : The real objective of the Tashkent Agreement is that there should be amity between the two nations.

Shri Hari Vishnu Kamath : That is 'Declaration' and not 'Agreement'.

Shri Jagjivan Ram : All right. Let it be a Declaration. It is hoped that when goodwill prevails between the two nations, atmosphere will be created in Pakistan for the minorities to live in amity and the number of the displaced persons who had been migrating into India will be much reduced and our problem will become less intense.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker. Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : I am listening to you.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to say a lot. If you kindly continue to listen to me like this, my work shall be greatly lightened.

Mr. Speaker : My trouble is that you want to say for too many things which I am unable to listen to.

Dr. Ram Manohar Lohia : The reason for this is that we are only 8 and not that it is illegal or unreasonable.

Mr. Speaker : Now please tell me what you want to speak about.

Dr. Ram Manohar Lohia : Before the Tashkent Declaration and 15 years back, the Nehru-Liaquat Declaration or Agreement contained some very fine words about the minorities. That this Declaration stands nowhere in comparison to it, yet these happenings continue. Kindly get me an answer to this from the honourable Minister.

Shri Jagjivan Ram : It does not require anything to be said on this.

Mr. Speaker : He means to say that since similar agreements of goodwill and for going back of minorities have been taking place in the past also but they have never been implemented, will this Declaration also meet the same fate ?

Shri Jagjivan Ram : What else can I say in this connection except that both countries will sincerely honour the Tashkent Declaration and that it will have its favourable impact ?

Shri R. S. Pandey : In the context of the Tashkent Declaration, I want to know whether so much goodwill has been created that those who had come over here from East Pakistan and now want to go back, what facilities Pakistan is going to provide them ?

Shri Jagjivan Ram : This has much been done yet ?

Shri Yashpal Singh : As was once told by honourable Shri Tyagi, the then Rehabilitation Minister, how far that Agreement has been implemented and is there a proposal to recover land from Pakistan in proportion to the number of displaced persons who have migrated into India ?

Mr. Speaker : Please leave it here. Why do you want them to go back now ?

Shri Yashpal Singh : That much of land may be recovered from Pakistan.

Mr. Speaker : Now we do not want to go back ; let us remain here.

Shri Yashpal Singh : How much land is to be recovered from them ?

Mr. Speaker : Shri Ram Sewak Yadav.

Shri Ram Sewak Yadav : Have the minority community people migrated into India since January last also ? If so, what is the number ?

Shri Jagjivan Ram : I do not have figures for January and hope that we have not got them yet.

Shri Bagri : The honourable Minister has given figures of these minority community persons who have migrated into India from Pakistan. Will the honourable Minister kindly give the number of those minority community persons and Muslims who have migrated into Pakistan from India ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Jagjivan Ram : I may say that no person belonging to the minority community has been displaced and has migrated to Pakistan.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान ताशकंद में पवित्र भावनाओं से हस्ताक्षर की गई घोषणा की ओर आकर्षित कर सकता हूं जिस के खण्ड VIII में दिया हुआ है कि :—

"इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि दोनों ओर से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जायेगा जिस से लोगों का इधर-उधर आना-जाना रोका जा सके ।"

उक्त खण्ड विशेष से लोगों के एक-दूसरे देशों में आने जाने के मामले में भारत और पाकिस्तान एक स्तर पर आ जाते हैं । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि इस संघर्ष के दौरान देश में एक भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान नहीं गया है जबकि पाकिस्तान से लोग यहां आये हैं; क्या हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री को यह बात पता नहीं थी जब वे इस शरारत के मामले से सम्बद्ध इस खण्ड विशेष द्वारा भारत को पाकिस्तान के स्तर पर लाये थे ?

Mr. Speaker : The actual position is this that those who migrated into India have since been rehabilitated and that no member of the minority community has been displaced here and has migrated to Pakistan.

टेलीफोन के बिल

*154. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० श्रीनिवासन :
श्री नारायण दास :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्रीमती ममूना सुल्तान :
श्री राम पुरे :
श्री दलजीत सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को सरकारी तथा गैर-सरकारी टेलीफ़ोन के बिलों की कितनी-कितनी राशियां, राज्यवार, बकाया थीं; और

(ख) उनको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार मंत्री के सभा सचिव (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5540/66**]

Shri Yashpal Singh : Have the Government any proposal before them for the realisation of the telephone dues from the salaries or the properties of the subscribers ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : बकाया राशियों को वसूल करने के लिये कदम उठाये गये हैं । 1-10-65 तक की बकाया राशि लगभग 4.40 करोड़ रुपये है, जबकि टेलीफोन द्वारा पिछले वर्ष की आमदनी 43.0 करोड़ रु० है । यदि बकाया राशि नहीं दी जाती है तो कनेक्शन काट दिये जाते हैं ।

Shri Yashpal Singh : What time limit is given for the payment of arrears ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narain Sinha) : Arrears are first intimated by the registered letter and after a lapse of 10 or 15 days they are asked over the telephone to clear their arrears immediately and even if after that they do not make payment their connections are cut.

Shri Bagri : Do Government bear the cost of the calls of the Ministers, if not, the number of Ministers against whose arrears are outstanding and the steps taken to recover the amount ?

श्री जगन्नाथ राव : मंत्रियों की सरकारी कालों का खर्च सरकार बर्दास्त करती है; गैर-सरकारी कालों का खर्च मंत्री स्वयं बर्दास्त करते हैं। मंत्रियों के विरुद्ध बकाया राशि की जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

Shri Tyagi : In every state there is only one bill-preparing office with the result it takes 2 to 3 months for the bills to reach the subscribers. The Public Accounts Committee had recommended that the bills should be prepared locally to avoid delay. What action Government propose to take on that recommendation ?

Shri Satya Narayan Sinha : We are examining this matter and we have also called experts from abroad and they have suggested some measures.

श्री बूटा सिंह : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि दिल्ली में लाखों रु० टेलीफोन के बिलों के रूप में बकाया हैं और लोगों का यह ख्याल है कि बड़ बड़े व्यापारी प्रशासन से मिलकर जानबूझकर अदायगी नहीं करते हैं और यदि हां, तो इन बिलों की वसूली के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह बात किसी हद तक ठीक है और बकाया राशि में से आधी से ज्यादा शायद मंत्रालयों की ओर बकाया है ..... **(अंतर्बाधाएं)**

श्री रंगा : मंत्री आपके मंत्रालय को भुगतान क्यों नहीं करते ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हम मामले का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : यदि अदायगी नहीं की गई है तो अब तक कनेक्शन क्यों नहीं काटे गये ?

श्री जगन्नाथ राव : कार्यवाही की जा रही है। उड़ीसा और कलकत्ता में इसे बिना पर कनेक्शन काट दिये गये हैं।

औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन

*155. **श्री मधु लिमये :**
श्री राम हरख यादव :
श्री बागड़ी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्रीनारायण दास :

श्री यशपाल सिंह : **श्री सरजू पाण्डेय :**

श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 11, 12 और 13 दिसम्बर, 1965 को हुए अखिल भारतीय औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या सम्मेलन के निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए कोई नया विधान अथवा नई मशीनरी बनाने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध, श्रमिकों, सरकार, तथा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, सुरक्षा तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं में करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को एक बैठक में बुलाकर उद्योग में सुरक्षा के महत्व को प्रकाश में लाना था। सम्मेलन छः कार्यकारी दलों में बंटा हुआ था। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों इस प्रकार है :—

(एक) मज़दूरों के सहयोग और सरकार की स्वीकृति और समर्थन से प्रबन्ध सुरक्षा के लिये ज़िम्मेवार है। सभी हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे कर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने के बारे में सब की एक राय थी। प्रस्तावित समिति के ब्यौरे को स्थायी श्रम समिति जैसे कि त्रिपक्षीय निकाय की बैठक में चर्चा के लिये छोड़ दिया गया था।

(दो) रोज़गार के स्थानों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित की जानी चाहिये।

(ख) जी हां। उद्योगों और खान से भिन्न उद्योगों के लिये एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने का विचार है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 2541/66**]

Shri Ram Harakh Yadav : It appears from the statement of the Minister that there will be forty to fifty members in the National Council. Has the National Council yet decided about the number of representatives of the workers and employees as also of the management ?

अध्यक्ष महोदय : किसी को उत्तर देना चाहिये।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह वक्तव्य में दिया हुआ है कि शासी निकाय में . . . . . .

Shri Ram Harakh Yadav : It appears from the statement that the total strength of members is from forty to fifty but nothing has been said about their proportion of representation. It has not been explained in the Tripartite Conference that what will be the number of representatives of the workers and of the management, separately. I want to know the proportion of each category.

Shri Jagjivan Ram : There will be equal representation of members on the governing body—eight of the employers, eight of the employees and eight of the government and the rest being independent members.

Shri Bagri : Will the honourable Minister be pleased to state the number of workers who died on duty in 1965 and the amount of Compensation paid out to their heirs ?

Shri Jagjivan Ram : Notice will be required for this information but information regarding this is generally published in various reports.

Shri A. P. Sharma : Will the representation on this Council be on the basis of the strength of the All India Trade Union Organisations or other organisations of the workers, or on any other basis ?

Shri Jagjivan Ram : Like representation elsewhere of all the four Central establishments of the workers, here also the procedure will be the same.

Shri M. L. Dwivedy : The statement laid on the Table of the House says "the Committee approved of the proposal to set up a National Safety Council and left it to government to work out the details." I want to know whether government have prepared any details and if so, what are those details and the other question is.....

Mr. Speaker : Please confine yourself to only one question.

Shri M. L. Dwivedi : I had asked whether there was any proposal for legislation, but reply to that is not forthcoming.

Shri Jagjivan Ram : And the honourable member gone through the statement, he would not have felt the necessity of asking these questions.

Shri M. L. Dwivedi : I have gone through it.

Mr. Speaker : If this information has been included in the statement, no answers need be given.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether Government have since prepared the details, these are not given in the statement. Mr. Speaker, I have gone through the statement, and I have come here after full preparation.

Mr. Speaker : The honourable Minister says that this information is already there in the statement.

Shri M. L. Dwivedi : I am a Member and so is he. Now, you may decide it yourself whether the information has been included in the statement or not.

Mr. Speaker : You may give this in writing and I will decide the matter later.

श्री स० चं० सामन्त : जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पंजीबद्ध हो जायेगा और कार्य करने लगेगा तो क्या वह खानों, रेल विभाग तथा विमान परिवहन में सुरक्षा उपायों से भी सम्बन्ध रखेगा ?

श्री जगजीवन राम : यह वक्तव्य में ही कहा गया है कि कोयला उद्योग को जिसके लिये पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मौजूद है, तथा रेल विभाग को जिसकी अपनी निजी व्यवस्था है, छोड़ कर शेष उद्योगों के लिये यह परिषद होगा। अतः यह परिषद कोयला उद्योग तथा रेल विभाग को छोड़कर दूसरे उद्योगों के लिये होगा।

Closure of Industries due to Shortage of Raw Material

***156. Shri R. G. Dubey :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Committee set up by his Ministry has discussed the question about the crisis created by the closure of some of the textile industrial units and also engineering nonferrous metals and electrical industries owning to the paucity of raw materials and shortage of foreign exchange; and

(b) if so, what exact measures his Ministry is contemplating to meet the problem of retrenchment resulting in the unemployment of large section of labour in different industrial units ?

Dy. Minister to the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have made all possible efforts to avoid closure of Industrial units. Textile units which have closed down or are about to close down are taken over, after due investigation, under the Industries (Development and Regulation) Act. In regard to closures caused by shortage of imported raw materials steps have been taken to effect an equitable distribution of scarce raw materials, to formulate import substitution programmes and to expand the indigenous fabrication of machinery and components.

At the recent session of the Standing Labour Committee it was agreed that in cases of closure and mass retrenchment there should be three months' notice to the workers as well as to the Government and that in cases of lay-off one month's notice should be given except where the giving of such notice was not possible owing to exigencies beyond the control of the employer.

श्री रा० गि० दुबे : क्या यह कपड़े के एकक रिज़र्व बैंक द्वारा दिये जाने वाली ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में कमी के कारण अथवा एककों में कुप्रबन्ध के कारण बन्द किय गये हैं ? बेरोज़गारी कितनी हुई है ?

श्री द० रा० चव्हाण : यह माली कठिनाइयों तथा कहीं कहीं कुप्रबन्धों के कारण हुआ है। करीब 20,000 श्रमिक बेरोज़गार हुए हैं।

श्री रा० गि० दुबे : अलोह के एककों के बन्द किये जाने से उस उद्योग के दूसरे क्षेत्रों में भी बेरोज़गारी हो जायेगी। क्या सरकार इस से परिचित है और कच्चा माल मंगाने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा दिये जाने की ज़रूरत महसूस करती है ? अन्यथा, इस प्रकार बेरोज़गारी उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी।

श्री दा० रा० चव्हाण : सरकार यह जानती है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने व्यर्थ हुए जन-दिनों तथा प्रयोग न की गई संसाधनों की क्षमता का कोई निर्धारण किया है ? यदि हां, तो उनकी प्रमात्रा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री श्री (जगजीवन राम): ऐसा ब्यौरा दिया गया है कि 15 कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं और 20,000 श्रमिकों पर इसका प्रभाव पड़ा है। जहां तक दूसरे एककों का प्रश्न है, ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे ही कोई भय होगा तो व राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और एक त्रिपक्षीय निकाय राज्य के स्तर पर भी बना दिया जायगा। वे केन्द्रीय सरकार को लिखग और फिर मामलों पर केन्द्र द्वारा सम्बद्ध विभागों से कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा दिलाने की व्यवस्था के लिये अथवा ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के लिये लिखा-पढ़ी की जायगी। व्यर्थ होने वाले जन-दिनों की प्रत्याशा तथा उनकी संख्या का हिसाब नहीं लगाया जा सका है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार को पता है कि अलोह धातु विशेषकर तांबा की कमी के कारण दस्तकारी उद्योग पर विशेष रुप से बुरा असर पड़ा है? दस्तकारों को काम दिलाने तथा उनका ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिये जिस से वे दूसरे देशों को माल निर्यात करने के लिये अपने दिये हुए वचनों को पूरा कर सकें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को शायद पता होगा कि सरकार ने कुटीर उद्योग बोड तथा हस्तशिल्प बोर्ड को पेशगियां दी हैं जिस से वे जम्मू व कश्मीर में तैयार सारे स्टाक को खरीद लें और इस प्रकार दस्तकारों को कठिनाई न हो।

श्री श्यामलाल सर्राफ : प्रश्न कच्चे माल का है।

श्री जगजीवन राम : कच्चा माल दिलाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : Since production goes down on account of the closure of industries and unemployment goes up and since people have capacity to work, why does Government not take over the closed textile mills or other industries and provide work to people and augment production in view of the present emergency conditions?

Shri Jagjivan Ram : This is being done as also Government has actually taken over a few textile mills in the textile industry.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सत्य नहीं है कि कायमवत्तूर में कपड़ा उद्योग में संकट पैदा हो गया है जिस से 3,500 श्रमिक जबरी छुट्टी पर रहेंगे तथा सरकार को इस उद्योग को ले कर चलाने के लिये अभ्यावेदन दिया गया है? क्या सरकार ने इस मामले की ओर ध्यान दिया है?

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने कहा है, कपड़ा उद्योग में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं परन्तु अब स्थिति सुधर रहीं है। जहां कहीं देखा जाता है कि कोई उद्योग सरकार द्वारा, अपने हाथ में लिये बिना दक्षता से नहीं चल सकता तो उद्योग (विकास तथा नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार उस उद्योग को थोड़े समय के लिये अपने हाथ में ले लेती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कुछ कपड़ा उद्योग कारखाने ऐसे हैं जो कच्चे माल की कमी के अलावा कारखानों के प्रबंध में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार तथा आन्तरिक झगड़ों के कारण भी बन्द किये गये हैं। यदि ऐसा है तो ऐसे कितने कारखाने हैं और सरकार कारखानों के प्रबन्ध में इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोकने का यत्न कर रही है और क्या अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है?

श्री जगजीवन राम : जहां तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है हमारे लिय ध्यान दे नेकी विशेष बात यह है कि श्रमिकों पर विपरित प्रभाव न पड़े और जबरी छुट्टी तथा छंटनी के लाभ उनको मिलें जहां तक दूसरे पहलू का प्रश्न है, सरकार उद्योग (विनियमन तथा नियंत्रण) अधिनियम का लाभ उठाने के लिये तैयार है और आवश्यकता पडने पर उसे लागू करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Relics of Guru Govind Singh Ji

*158. **Shri Gulshan :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwari :
Shri Vishram Prasad :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Barooah :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bagri :
Shri Ram Manohar Lohia:
Shri Ram Sewak Yadhav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Murli Manohar :
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have received five swords (Shumsheers of Guru Govind Singh Ji Maharaj from the British Government); and

(b) if so, in which museum Government have kept or propose to keep them so that public could see them ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Government of India have received the Shumsheers of Guru Govind Singhji Maharaj from Lady Lindsay, direct descendent of the Marquis of Lord Dalhousie.

(b) It has been decided to make a gift of these relics to the Government of Punjab for display in the Punjab Museum.

Bonus to Workers under Bonus Act, 1965

*159. **Shri S. M. Banerjee :** Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that taking advantage of the Bonus Act, 1965, employers are generally giving only four per cent bonus to the employees; and

(b) if so, the safeguards provided against such action of the employers ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No such general complaint has been received by the Government of India.

(b) The Act itself provides for the calculation of the bonus payable, settlement of disputes and penalties for breaches of the provisions of the Act.

मिज़ो आदिम जाति के व्यक्तियों का पूर्वी पाकिस्तान से वापस आना

*160. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भावगत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिज़ो आदिम जाति के व्यक्तियों का गिरोह जो पूर्वी पाकिस्तान चला गया था, इस बीच शस्त्र और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर मिज़ो पहाड़ी क्षेत्र में वापस आ गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मिज़ो आदिम जाति के लोग वापस आये हैं; और

(ग) उनको कोई विद्रोहात्मक और विस्फोटक कार्यवाही करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : ऐसा अनुमान है कि पूर्व पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मिज़ो नेशनल फ्रंट के 200 से ऊपर स्वयंसेवक दिसम्बर, 1965 के दौरान पूर्व पाकिस्तान से लौटे हैं ।

(ग) आसाम सरकार आदिम जातियों में राष्ट्रविरोधी तत्वों की कार्यवाहियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है और आसूचना व्यवस्था को मज़बूत कर दिया गया है। इन तत्वों को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार और अधिक सीमा चौकियां स्थापित करने पर विचार कर रही है ।

Shortage of Science Teachers

*161. **Shri Bagri :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Yashpal Singh :
Shri Balmiki :
Shri Utiya :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Bhagawat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooha :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 781 on the 17th November, 1965 and state :

(a) whether the report of the Expert Committee set up to go into the shortage of Science Teachers and for suggesting special short term and long term measures to meet the shortage has been received; and

(b) if so, the decision taken by Government in the light of the suggestions made by the Committee ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

Petro-Chemical Complex at Koyali

*162. **Shri D. C. Sharma :**
Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishram Prasad :
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. R. Chakraverti :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kajrolkar :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri R. S. Pandey :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether an agreement for setting up a Petro-chemical complex at Koyali has been reached with a group of three American firms; and

(b) if so, the main features of the agreement ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan) : (a) and (b). Discussions are still going on with the firms and the agreements have not yet been finalised.

Residuary Rehabilitation Problems

*163. **Shri P. R. Chakraverti :**
Shri K. N. Tiwary :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri C. K. Bhattacharya :
Shri Ravindra Varma :
Shri R. S. Pandey :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Union Government has discussed with West Bengal State Government representatives the question of residuary rehabilitation of refugees, who migrated from East Pakistan to India before 1964;

(b) if so, the details of the agreed decision in the matter;

(c) how far it has been possible to render assistance to the inmates of West Bengal Camps (closed before 1962) who refused the offer of rehabilitation outside the State; and

(d) the total amount spent in 1965 in dealing with the residuary problems of refugee rehabilitation ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A preliminary survey of the families, who still remain in the sites of the Camps which have been closed down, has been carried out by the West Bengal Government. A fully worked out proposal for assistance is awaited from the State Government.

(d) Sanctions given during the calendar year 1965 amount to Rs. 113·63 lakhs under loans and Rs. 86·52 lakhs under grants.

Talukdar Committee

*164. **Shri Warior :**
Shri Vasudevan Nair :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Prabhat Kar :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooha :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri D. N. Tiwary :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Kajrolkar :
Shri P. H. Bheel :
Shri Narasimha Reddy :
Shri R. S. Pandey :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri Ravindra Varma :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri R. Barua :
Shri Shiv Charan Mathur :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Dr. Ranen Sen :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any final decision on the recommendations of the Talukdar Committee on oil prices;

(b) if so, the nature of the decision taken; and

(c) the steps proposed to be taken to implement the same ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan) : (a), (b) and (c). Yes Sir. The recommendations of the Working Group on Oil Prices headed by Shri Talukdar were implemented with certain modifications from 1st February, 1966, and copies of the report together with copies of the Government Resolution on the subject have been placed in the Library of the Parliament on 4-2-1966.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा गैर-सरकारी "फर्मों" से आतिथ्य स्वीकार करना

*165. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री काजरोलकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों से आतिथ्य स्वीकार न करने के बारे में कोई आदेश जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किया गया; और

(ग) क्या अब तक इस आदेश के भंग करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, अपने निकट संबंधी अथवा व्यक्तिगत मित्र को छोड़ कर जिनसे उसका कोई सरकारी संबंध न हो, अन्य किसी व्यक्ति से मुफ्त भोजन, आवास अथवा अन्य कोई सेवा स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का ध्यान 18 जनवरी, 1965 को जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस उपबन्ध की ओर विशिष्ट रूप से दिलाया गया है।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

जनता की शिकायतें

*166. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकायतों को प्राप्त करने, उनकी जांच पड़ताल करने और उन्हें दूर करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों में शिकायत अनुभाग खोले जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायत अनुभागों के संगठन तथा कार्यों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी०-5542/66**]

अधिकारी-प्रधान योजना

*167. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारी-प्रधान योजना के सम्बन्ध में किये गये प्रयोग का क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या यह सफल साबित हुई और क्या यह अन्य मंत्रालयों में आरम्भ की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : जहां तक अन्य मंत्रालयों में इस योजना को लागू करने का संबंध है राज्य सभा के 3 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 606 और लोक सभा के 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 729 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है—प्रतियां सभापटल पर रख दी गई हैं।

सैनिक विज्ञान

+

*168. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में सैनिक विज्ञान के अध्ययन को अनिवार्य बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : भारत के विश्वविद्यालयों *तथा कालेजों* में कोर्स की तरह पढ़ाने के रूप में, सैनिक विज्ञान के लागू करने का प्रश्न U. G. C. *(विश्वविद्यालय* अनुदान आयोग) के विचाराधीन है।

Use of English Language

*169. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to continue the use of English as official language in the country for an indefinite period even after the 26th January, 1965;

(b) whether it is also a fact that Government propose to amend the Constitution for this purpose after the coming General Elections in 1967; and

(c) if so, whether a decision has since been taken in this connections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under Article 343(3) of the Constitution, Parliament has enacted the Official Languages Act, 1963, which provides for the use of both Hindi and the English language for various official purposes of the Union without any time limit.

(b) and (c). Do not arise.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

*170. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल गठित करने के बारे में एक योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस बल के गठन तथा विनियमन के लिये शीघ्र ही एक विधेयक संसद में पुर: स्थापित किया जायेगा।

योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के संरक्षण तथा संधारण के रखा जायेगा।

(ख) इस बल का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के हाथ में होगा।

(ग) सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम के प्रबन्धकों के अनुरोध पर, इस बल के अधिकारियों तथा सदस्यों को उस औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। प्रतिनियुक्त बल का खर्च औद्योगिक उपक्रम द्वारा वहन किया जायेगा। प्रत्येक अधिकारी, जिसको किसी औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण तथा सुरक्षा का प्रभार दिया जायगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुदेश के अधीन रहते हुए, अपना कार्य उस उपक्रम के महानिदेशक के सामान्य पर्यवेक्षण, अनुदेश तथा नियंत्रण के अधीन करेगा।

(घ) बल के उच्च अधिकारी अथवा सदस्य को किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने/उसकी तलाशी लेने का अधिकार होगा जो उपक्रम से संबंधित अपराध से संबंधित हो और 6 महीने से अधिक की जेल के लिये दंडनीय हो।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मजूरी की अदायगी अधिनियम, 1936 और कारखाना अधिनियम, 1948 तथा एक राज्य में जांच और निपटान से संबंधित लागू किसी भी मिलते जुलते कानून के क्षेत्र से भी बाहर रखने का विचार है।

संसद द्वारा आवश्यक कानून बनाये जाने के बाद योजना को क्रियान्वित किया जायेगा।

जापानी पेट्रो-रासायनिक विशेषज्ञ दल

*171. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनियोजन केन्द्र को दिये गये जापानी पेट्रो-रासायनिक विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) चूंकि प्रतिवेदन में कार्यवाही के लिये किसी विशिष्ट प्रस्तावों की सिफारिश नहीं की गई है इस लिये यह प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सिफारिशें सामान्य प्रकार की हैं। एक विवरण जिसमें उनका सारांश दिया गया है। सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5543/66**]

Teaching of Socialism

+

*172. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any arrangements have been or are being made in the schools and colleges for imparting instructions in the principles of democracy and socialism as accepted by the Government of India;

(b) if so, whether some books have been prepared on the subject;

(c) the steps taken to meet the oft-repeated demand for the inclusion of general knowledge about Gandhism in the syllabi of these institutions; and

(d) the improvements made or likely to be made in the present educational syllabi with a view to familiarising the prospective citizens of India with the objects of the Indian Republic and the policy of non-alignment ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The model syllabus for Social Studies formulated by the National Council of Educational Research and Training provides for instruction in Democracy, Socialism, Gandhism, Indian Constitution, our Foreign Policy of non-alignment and related aspects. The syllabus has been sent to all State Governments.

The National Council is also preparing model textbooks based on the syllabus that could be adopted or adapted by State Governments for use in their schools.

In so far as colleges are concerned, the above disciplines are generally covered in the teaching of such subjects as Political Science, Economics, Sociology, International Relations, etc.

सुरक्षा सम्बन्धी गुप्त भेदों के मामले

*173. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिरक्षा तथा राजकीय भेदों के खुल जाने से सम्बन्धित कितने तथा किस प्रकार के (एक) मामलों के बारे में सरकार को पता लगा, और (दो) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये;

(ख) इन मामलों के क्या परिणाम रहे; और

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया तथा कार्य-प्रणाली में यदि कोई सुधार किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) पिछले 3 वर्षों में प्रतिरक्षा भेदों के खुल जाने के 25 मामलों का पता लगा है और इन में से 13 मामलों में मुकदमे चलाये गये।

(ख) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित 25 मामलों में से 9 मामलों में अपराध सिद्ध हुआ, एक में विमुक्ति, एक मामला अभी न्यायालय के समक्ष है और तीन की जांच चल रही है। एक अपराधी जो ज़मानत पर था तथा अन्य दो मामलों में अपराधी फरार हैं। दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था और छः मामलों में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत।

(ग) सुरक्षा प्रक्रियों तथा कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन किया जाता है और जब भी कोई त्रुटि दिखाई पड़ती उसमें उपयुक्त संशोधन किया जाता है। भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923 में भी संशोधन करने का विचार है ताकि उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

राजस्थान में उर्वरक कारखाने

*174. **श्री कर्णी सिंहजी** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में क्या स्थिति है;

(ख) ये कारखाने स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : निम्नलिखित पार्टियों को कोटा (राजस्थान) में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस आशय पत्र जारी किये गये है ।

(क) मैसर्ज़ राजस्थान फर्टीलाइज़रज़ एण्ड केमीकल्ज़ कारपोरेशन ।

(ख) मैसर्ज़ दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिलज़ लि० । पहली पार्टी संयन्त्र और मशीनरी के क्रय सम्बन्धी ऋण के लिए अमरीका की उधार देने वाली एजेन्सियों से बातचीत कर रही है । दूसरी पार्टी संयन्त्र और मशीनरी के क्रय के लिए जापान में प्रदायक ऋण के लिए बातचीत कर रही है । ज्योंहि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जायेगा त्योंहि पार्टियां संयन्त्रों की स्थापना के काम को शुरु करेंगी ।

उड़ीसा सौदों के बारे में विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

***175. श्री हरि विष्णु कामत :**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उड़ीसा राज्य के विधान-मंडल की लोक लेखा समिति ने उड़ीसा सरकार के उड़ीसा एजेन्टस, कलिंग ट्यूब और कलिंग उद्योग-समूह के साथ किये गये सौदों के बारे में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 16 मार्च, 1965 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा करने का है जिसमें कहा गया था कि इस मामले में कानूनी अथवा अन्य कार्यवाही की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) श्रीमन्, अभी नहीं ।

(ख) और (ग) : किसी अग्रेतर कार्यवाही पर, लोक लेखा समिति उड़ीसा द्वारा विचार किये जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

औषध निर्माण उद्योग

***176. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चा माल न मिलने के कारण देश में औषध निर्माण उद्योग की काफ़ी बड़ी क्षमता बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : इस समय औषध उद्योग कच्चे माल, जो रुपी (Rupee) क्षेत्रों से आयात द्वारा अनुपूरित 1964-65 में स्वतंत्र विदेशी मुद्रा संसाधनों से उपलब्ध था, से कार्यकर रहा है । कुछ लघु उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं, किन्तु रूपी क्षेत्रों से की गई आयात से उन की सहायता की जा रही है ताकि वे अपनी अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें ।

विदेशी मुद्रा की तंगी के कारण, आगामी महीनों में उद्योग की स्थिति प्रभावित होगी। 1965-66 के लिये उपलब्ध की गई स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा मुश्किल से पिछले वर्ष के आवंटन के एक चौथाई के बराबर है। सरकार इन थोड़े से साधनों का उचित वितरण कर रही है ताकि विपुल औषधियों का उत्पादन पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत तक रखा जा सके। जहां तक सम्भव हो, उद्योग आयातित कच्चे माल की बजाये देशी माल को काम में लाने की भी कोशिश कर रहा है। कुछ इंटरमीजियेटस (Intermediates) की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। तत्कालिक कठिनाईयों पर काबू पाने के लिये, रुपयों में अदायगी करने वाले देशों से कई अत्यावश्यक औषधियों और कुछ इंटरमीडियेटस के आयात के प्रबन्ध भी किये गये हैं। इन कार्यवाईयों द्वारा कमियों के विकास और अलसन क्षमता (Idle Capacities) को किसी सीमा तक रोका जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुशासन

***177. श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री उनके द्वारा इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली का उद्घाटन करते समय व्यक्त किये गये विचारों के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि राजधानी के सरकारी कार्यालयों में काम की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है और कार्यालयों में अरुचिकर वातावरण रहता है . . . . . और लोग इस बात को भुला कर कि सरकार तथा जनता के प्रति उनका कुछ कर्तव्य है, अधिकांश समय ऊंघते रहने, गप्पे लड़ाने, उपन्यास पढ़ने अथवा काफी या चाय की चुस्कियां लेने में गंवाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 'इन्द्रप्रस्थ भवन' के उद्घाटन के अवसर पर मैंने कहा था कि कुछ कार्यालयों में भीड़भाड़ भी अकार्यकुशलता के लिये किसी हद तक जिम्मेवार है और सही प्रकार के आवास तथा काम की हालतों से कार्यकुशलता में सुधार हो सकता है। मैंने यह भी कहा था कि यह कहा जाता है कि कार्यालयों में अकार्यकुशलता के अन्य भी कारण हैं जैसे कि कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्य के लिये अपने समय का पूरा उपयोग न करना।

(ख) कार्यालयों में कार्यकुशलता में सुधार की आवश्यकता पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है। इस लक्ष्य को हम पर्यवेक्षण द्वारा, जो कि प्रशासन का एक सामान्य भाग है, तथा विशेष अध्ययनों के परिणाम स्वरूप निकाले गये उपायों को क्रियान्विति द्वारा प्राप्त कर रहे हैं।

विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध

***178. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री मि० सू० मूर्ति : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों के विनियमित करने वाली प्रारूप संहिता को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) प्रारूप संहिता के कब तक सभा पटल पर रखे जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : प्रारूप संहिता अभी विचाराधीन है।

पुनर्गठन योजनायें

632. श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में फालतू कर्मचारियों की छंटनी के लिये कोई पुनर्गठन तथा छंटनी योजनायें बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये राज्य स्तर पर राष्ट्रीय परिषद बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : निर्माण तथा आवास मंत्रालय के निर्माण खंड के लिये एक पुनर्गठन योजना बनाई गई थी जिसका ब्यौरा 3 नवम्बर, 1965 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर में दिया गया था। एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है।

वाणिज्य तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों से शुरू करके शनैः शनैः अन्य मंत्रालयों में भी इसी प्रकार के पुनर्गठन अध्ययन करने का विचार है।

ऐसी कोई योजना नहीं है जिसे छंटनी की योजना कहा जा सके। हां, पुनर्गठन तथा बचत अभियानों के फलस्वरूप फालतू होने वाले व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही करने के लिये एक योजना बनाई गई है। उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) किसी भी संगठन में फालतू होने वाले व्यक्ति गृह मंत्रालय के एक केन्द्रीय समुच्चय में स्थानांतरित कर दिये जायेंगे।

(2) गृह मंत्रालय में एक कोषा इस समुच्चय का प्रशासन सम्हालेगा और इसके व्यक्तियों को अन्य ऐसे सरकारी संगठनों में लगाने का प्रयत्न करेगा जिनमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

(3) यह कोषा केन्द्रीय समुच्चय के कर्मचारियों को शीघ्र लिपि जैसे कामों का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करेगा ताकि उन्हें काम पर लगाने में सुविधा हो सके।

(4) उदार शर्तों पर स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की भी एक योजना होगी जिसका लाभ फालतू कर्मचारी उठा सकेंगे।

(5) जी नहीं।

कोचीन शोधनशाला में हड़ताल

633. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कोचीन शोधनशाला के निर्माण कार्य के 2000 श्रमिकों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समझौते की क्या शर्तें थीं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे विवाद फिर न हों, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) हड़ताल मजदूरों की 2 नवम्बर, 1965 की पूरी मजूरी की मांग के कारण हुई। उस दिन वर्षा के कारण आरंभिक सीटी 7.30 बजे प्रातः नहीं बजी, परन्तु वह मौसम साफ होने के बाद 9.30 बजे प्रातः बजी। इस देरी के परिणाम स्वरूप 2 नवम्बर, को कम्पनी के दफ्तर में कुछ हुल्लड़बाजी हुई और पांच मजदूरों को बन्दी बनाया गया। हड़ताल 4 नवम्बर को शुरू हुई और 23 नवम्बर तक रही।

(ग) समझौते ज्ञापन तारीख 22 नवम्बर, 1965 की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5544/66]**

(घ) केरल सरकार, जो कि इस प्रतिष्ठान में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन "उचित सरकार" है इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

केरल में कपड़ा कारखानों में जबरी छुट्टी

634. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर-नवम्बर, 1965 के दौरान केरल में कपड़ा कारखानों से कितने कर्मचारियों को जबरी छुट्टी पर भेजा गया;

(ख) इस जबरी छुट्टी का क्या कारण है;

(ग) इन कारखानों को पूरा पूरा चलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इस जबरी छुट्टी के कारण कुल कितनी हानि हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : केरल सरकार से जानकारी मांगी गई है। प्राप्त होने पर इसे सभापटल रख दिया जायेगा।

केरल के साबरिगिरी परियोजना में हड़ताल

635. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साबरिगिरी परियोजना निर्माण कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया और उनकी मांगे क्या थीं;

(ग) क्या यह सच है कि हड़ताल के संबंध में बहुत से कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे और यदि हां, तो कितने तथा किन आरोपों पर;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है क्योंकि विवाद हल हो गया है;

(ङ) क्या हड़ताल के दौरान सरकार को पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (च) : केरल सरकार से सूचना मंगवाई गई है। उसे प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

गैर-सरकारी कालिज अध्यापक संघ, केरल

636. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के गैर-सरकारी कालेज अध्यापक संघ के अपनी शिकायतें मनवाने के उद्देश्य से आन्दोलन चालू करने के, जिसमें पूर्ण हड़ताल भी शामिल है, निर्णय की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने अपने वेतन तथा भत्तों के सरकारी कालेज अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों के बराबर न किये जाने के विरुद्ध सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केरल की गैर-सरकारी कालेज अध्यापक संघ ने इस विषय पर शिक्षा विभाग, केरल को एक ज्ञापन पत्र दिया है ।

(ग) केरल के शिक्षा अधिकारी इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं और आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

637. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कमी के कारण पिछले दो महीनों में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में उत्पादन की कितनी हानि हुई;

(ख) उस अवधि में कर्मचारियों को जबरी छुट्टी मुआवजे के तौर पर कुल कितनी रकम दी गई; और

(ग) उस अवधि में कुल कितनी हानि हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) दिसम्बर 1965 और जनवरी 1966 में नाइट्रोजन के रूप में 3600 मीटरी टन और फासफोरस पेन्टाक्साईड ($पी_2ओ_5$) के रूप में 800 मीटरी टन के उत्पादन में कमी हुई जिन का कुल मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये था ।

(ख) लगभग 37,500 रुपये ।

(ग) लगभग 12 लाख रुपये ।

प्रतिजीवाणु (एण्टीबायोटिक) कारखाना, ऋषिकेश

638. **श्री कर्णी सिंहजी** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश प्रतिजीवाणु प्रायोगिक कारखाने में जीवन रक्षक औषधियों के स्थान पर देसी जड़ी बुटियों का उपयोग करने के लिये परीक्षण तथा प्रयोग की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले; और

(ग) विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : ऋषिकेश प्रतिजीवाणु परियोजना का प्रायोगिक संयन्त्र विभिन्न जीवन-रक्षक संश्लिष्ट औषधियों के स्थान पर देशी जड़ी बूटियों का प्रयोग करने के लिए नहीं है। यह नये प्रतिजीवाणुके परीक्षण तथा गवेषणा प्रयोगशाला में विकसित किये गये उन्नत औद्योगिक विधियों के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

प्रतिजीवाणु (एण्टीबायोटिक) कारखाना, ऋषिकेश

640. श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश के प्रतिजीवाणु कारखाने का प्रायोगिक संयंत्र हाल ही में चालू हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) प्रायोगिक संयन्त्र उत्पादन-अभिविन्यास (production-oriented) नहीं है। यह औद्योगिक विधियों और कच्चे माल के परीक्षण के लिए है। इसका इस्तेमाल आयातित सामग्री के स्थान पर, यथा सम्भव, दूसरे प्रकारकी सामग्री को मालूम करने तथा मुख्य संयंत्र के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है।

एशियाई खेल

641. श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बैंगकाक में होनेवाले एशियाई खेलों में भाग लेने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खिलाड़ी किन-किन खेलों में भाग लेंगे; और

(ग) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ ने इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा देने के लिये सरकार से कहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अगले एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये भारतीय ओलिम्पिक संघ से अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोरबा उर्वरक कारखाना

642. श्री सुबोध हंसदा :
श्री दशरथ देव :
श्री लखमू भवानी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया है कि कोरबा में उर्वरक कारखाना स्थापित नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को कितनी घाटा हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) प्रस्ताव को इस समय स्थगित करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम ने स्थान स्टाफ आदि के विकास पर 94 लाख रुपये खर्च किये है। इस स्थान को किसी और उपयोग में लगाकार उक्त धनराशि के पर्याप्त हिस्से को वसूल करने के यत्न किये जा रहे है ।

डाकघर बचत बैंक खाते

643. **श्री राम हरख यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में डाकघर बचत बैंकों के न चालू खातों में कितनी राशि जमा है;

(ख) कितने डाकघरों में ऐसे खाते हैं; और

(ग) ऐसे न चालू खातों के खातेदारों के अधिकार और दायित्व क्या हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नवम्बर 1965 के अन्त में 10,00,31,702 रुपये ।

(ख) देश भर में बचत बैंक सम्बन्धी कार्य करने वाले लगभग सभी डाकघरों में ।

(ग) किसी भी निष्क्रिय लेखे की रक़म सरकार की ही नहीं हो जाती लेकिन ऐसे लेखे को जमाकर्ता के प्रार्थनापत्र देने पर किसी भी समय दोबारा चालू किया जा सकता है और लेखे के पुनः सक्रिय होने पर इकट्ठा हुआ व्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है ।

हिमालय सम्बन्धी भूविज्ञान की अनुसन्धान संस्था

644. **श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय सम्बन्धी भूविज्ञान अनुसंधान संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में स्थापित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या होंगे तथा इसका गठन क्या होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन): (क) और (ख) : हिमालय सम्बन्धी भूविज्ञान अनुसंधान संस्था स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

Slum Areas

645. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2071 on the 8th December, 1965 regarding demolition of constructions in certain colonies in Delhi and state :

(a) whether any compensation is proposed to be paid to the residents of those slum colonies in Delhi which are going to be demolished; and

(b) if so, the rate thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) and (b). No compensation is proposed to be paid to the residents of those slum areas in Delhi whose unauthorized constructions are under demolition by the Municipal Corporation of Delhi. These unauthorized structures are under demolition under section 343 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as these constructions have not been authorized under the Delhi Municipal Corporation Act.

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में संयुक्त अरब गणराज्य के छात्र

646. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब गणराज्य के कुछ वैज्ञानिकों को उच्च अनुसन्धान प्रशिक्षण के हेतु जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में भर्ती किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके अध्ययन तथा प्रशिक्षण के क्या पाठ्य क्रम हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) :

विद्यार्थियों का विवरण]	पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की अवधि
1. कुमारी डा० ए० ए० युसुफ, पी० एच० डी०, 21-12-65 को दाखिल हुई (7-2-66 को संयुक्त अरब गणराज्य वापस चली गई)	समुन्द्री घास (और) विन्यास। एक वर्ष के लिए।
2. श्री एस० ए० शेरिफ, एम० एस० सी०, 8-12-65 को दाखिल हुए	फैरस धातुविज्ञान। 1-2 वर्षों के लिए।
3. श्री एच० खालफ, बी० एस० सी० (इंजीनियरी) 8-12-65 को दाखिल हुए।	भौतिक धातुविज्ञान। 1-2 वर्षों के लिए।

राष्ट्रमंडल दूर-संचार सम्मेलन

647. श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामपुरे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलयेशिया से भारत तथा श्रीलका को राष्ट्रमंडलीय टेलीफोन द्वारा जोड़ने के बारे में चर्चा करने के लिये जो राष्ट्रमंडल दूर-संचार सम्मेलन हुआ था, क्या भारत ने उसमें भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन ने क्या निर्णय किये;

(ग) सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के कौन-कौन सदस्य थे; और

(घ) टेलीफ़ोन तार व्यवस्था के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

संसद् कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन की सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(i) भारत और श्रीलंका तक समुद्री केबल का डाला जाना प्राविधिक रूप से शक्य कार्य है;

(ii) यदि इस केबल को डालने का निर्णय किया जाय तो उसका मार्ग यह होना चाहिये : पेनांग/मद्रास/कोलम्बो;

(iii) सम्बद्ध राष्ट्रमण्डलीय सरकारों को शीघ्र ही यह निर्णय करना चाहिये कि वे इस प्रायोजना को हाथ में लेना चाहते हैं कि नहीं;

(iv) इसने यह भी सिफारिश की है कि इस प्रायोजना के संभावित भागीदारों को, इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने तथा उसकी लागत में भाग लेने के विषय में शीघ्र निर्णय करने की दृष्टि से, मार्च, 1966 में लन्दन में हो रहे आगामी राष्ट्र-मण्डलीय दूर-संचार सम्मेलन के अवसर पर आगे विचार-विमर्ष करना चाहिये।

(ग) सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति थे :

1. सचिव, संचार विभाग .	प्रतिनिधि-मंडल के नेता
2. महानिदेशक, विदेश संचार सेवा . .	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय . .	,,
4. मुख्य इंजीनियर, विदेश संचार सेवा .	,,
5. उपनिदेशक (परियात-आयोजना), विदेश संचार सेवा	,,

(घ) केबल डालने के विषय में पक्का निश्चय हो जाने की तारीख से, $2\frac{1}{2}$ से 3 वर्ष की अवधि में, इस केबल के वाणिज्यिक उपयोग के लिये सुलभ हो जाने की आशा है।

Maternity Leave

648. Shri Madhu Limaye :
Shri Mohammed Koya :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether all the women employees in Kerala having three children will be denied the privilege of maternity leave in future with a view to encourage the family planning; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) The Kerala Government have ordered that maternity leave as per Kerala Service Rules will not be granted to women officers with three living children for further maternity. This order is to take effect from 1-1-67. It is understood that a similar proposal in respect of the industrial employees is under the consideration of the State Government.

(b) The matter is under study.

Insurance of Postal Parcels

649. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to adopt an insurance scheme for postal parcels upto the value of Rs. 10,000;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when it is likely to be introduced ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c). Till recently the limit upto which an article could be insured in the post was Rs. 5,00. and it was not necessary to insure the contents for their actual value except in the case of gold coin or bullion. The amount of gold coin and bullion which could be sent by post was also limited to Rs. 2,500.

With effect from 1-12-1965 the limit upto which a postal article can be insured has been raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. The limit upto which gold coin or bullion can be sent by post, however, continues to be Rs. 2,500 as before. At the same time it has now been made compulsory to insure articles containing Government currency and bank notes for their actual value in the same manner as for gold coin or bullion.

The rates of insurance fee upto Rs. 5,000 have not been changed. For amounts above Rs. 5,000 the insurance fee is half the fee applicable for amounts below Rs. 5,000. The rates are as follows :—

(i) When the value insured does not exceed Rs. 100—40 paise.

(ii) When the value insured exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 5,000—40 paise for the first Rs. 100 and 20 paise for every additional Rs. 100 or fraction thereof.

(iii) When the value insured exceeds Rs. 5,000. For amounts upto Rs. 5,000 the same as for item (ii) above and Re. 1 for every Rs. 1,000 or fraction thereof in excess of Rs. 5,000.

त्रिवेन्द्रम में रबड़ कारखाना

650. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 के बोनस के बारे में त्रिवेन्द्रम में रबड़ कारखाना (केरल) के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच कोई विवाद है;

(ख) 1962-63 और 1963-64 के लिये कितना बोनस दिया गया था; और

(ग) 1964-65 के लिये प्रबन्धकों ने कितना बोनस देने की पेशकश की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) ट्रावनकोर रबड़ वर्कस, केरल गवर्नमेंट साईकिल रिम फैक्ट्री और केरल साईक्लस के एकीकरण से त्रिवेन्द्रम रबड़ वर्क्स लि० की 24-2-1964 को स्थापना हुई। इन संस्थाओं में 1962-63 और 1963-64 के लिए निम्नलिखित बोनस की अदायगी की गई :—

	1962-63	1963-64
(1) ट्रावनकोर रबड़ वर्कस . . .	44,882.00 रु०	40,419.27 रु०
(2) केरल गवर्नमेंट साईकिल रिम फैक्टरी . .	1,856.40 रु०	2,168.45 रु०
(3) केरल साईकिल्स	कोई बोनस नहीं दिया गया, क्योंकि यह संस्थान एक विभागीय इकाई के रूप में काम कर रहा था।	

(ग) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अनुसार, उपलब्धि का 4 प्रतिशत या 40 रु०, जो भी अधिक हो।

स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था

651. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में कितने तथा किन-किन शहरों में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था चालू करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1965-66 में कितने तथा किन किन शहरों में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था चालू की गई थी; और

(ग) वर्ष 1965-66 में इस कार्य पर कितनी राशि खर्च हुई थी और वर्ष 1966-67 में कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

संसद् कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5545/66**]

(ख) सूचना संलग्न अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ग) 1966-67 के वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली संभावित रक़म की सूचना उपर्युक्त (क) के उत्तर के साथ दी जाएगी।

1965-66 के दौरान उपर्युक्त मद (ख) के सम्बन्ध में खर्च की जाने वाली सम्भावित रक़म 140.26 लाख रुपये है।

केरल क नगरपालिका कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

652. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री प्रकाश सिंह:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 22 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के नगरपालिका कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगवाई गई है। उत्तर यथासमय सभा की मेज़ पर रख दिया जायेगा।

बोनस अधिनियम, 1965

653. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में बोनस अधिनियम, 1965 लागू करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) कुछ राज्य सरकारें पहले ही प्रार्थना का अनुपालन कर चुकी हैं। अन्य राज्य सरकारें इस मामले पर अभी विचार कर रही हैं।

Wage Board for Sugar Industry

654. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukum Chand Kachhvaiya :
Shri Latan Chaudhry :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Wage Board for Sugar Industry was held in Calcutta on the 20th December, 1965;

(b) if so, the items discussed and the recommendations made thereat; and

(c) the recommendations accepted by Government.

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes.

(b) The Board's meeting on the 20th December, 1965 was of preliminary nature. The Board is understood to have discussed the scope and programme of its work, procedure to be adopted etc. No recommendations were made to Government.

(c) Does not arise.

Cheap Ration and Provision Stores in Factories

655. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to start cheap ration and provision stores in the factories;

(b) if so, the number of stores opened so far and the number of factories where these stores have been opened; and

(c) the minimum number of employees in a factory required for opening a store ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). In pursuance of the tripartite decision of the Indian Labour Conference held in August 1962 as amended from time to time all industrial establishments employing 300 or more workers have been asked to set up consumers co-operative stores/fair price shops to sell foodgrains, sugar and some other consumer goods to the workers. Under this scheme, 1850 consumers co-operative stores and 689 fair price shops are at present functioning in the country.

Proposals of I.L.O.

656. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have accepted proposal Nos. 87 and 98 of the International Labour Organisation; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in the near future by Government to implement them ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). If the Hon. Member is referring to I.L.O. Convention No. 87 concerning "Freedom of Association and Protection of the Right to Organise" and Convention No. 98 concerning "the Right to Organise and Collective Bargaining", Govt. of India have decided not to ratify Convention No. 87 as it stands. The question of ratification of Convention No. 98 is under consideration.

सीमा क्षेत्रों में बेरोजगारी

657. श्री रा० गि० दुबे : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिरक्षा प्रधान कारखाने खोलने के लिये प्रस्ताव किया है ताकि उन व्यक्तियों को रोजगार मिल सके जिन को हाल ही के पाकिस्तान के संघर्ष के कारण क्षति उठानी पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार ने सुझाव दिया था कि रक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की जाये कि वे अफसरों की विशेष टीमें भेजे जोकि पंजाब के कारखानों द्वारा रक्षा सामग्री उत्पादन के लिए उनकी वर्तमान

उत्पादन-पद्धति में समुचित परिवर्तन करें। इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से यह कहा गया था कि पंजाब के ऊनी कारखानों में प्रतिरक्षा सैनिकों की जरूरतों की कई चीजें बनाई जा सकती हैं और प्रतिरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए रेशमी मिलों में हवाई छाते बनाने की व्यवहार्य स्पष्ट जा की सकती है तथा कारखानों में रक्षा कार्यों के लिए विभिन्न आवश्यक मशीनें बनाई जा सकती हैं।

Reduction of Workers in Soap Industry

658. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some big soap industrialists, taking advantage of the control imposed by Government on the prices of vanaspati and the schemes to utilise indigenous raw materials instead of imported ones, are retrenching a number of workers;

(b) whether he has received any memorandum in this regard from any representative trade union; and

(c) if so, from where and what checks are being put on such industrialists in this regard ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). The matter lies in the sphere of State Governments. The Government of India have received no memorandum from any trade union and have no information on the subject.

Direct Dialling Telephone Service

659. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the impact on revenue as a result of the direct dialling telephone services established between Delhi and certain cities in the country; and

(b) whether any of the proposed direct dialling telephone links with other cities are likely to be established during the current year ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) The impact on revenue as a result of the introduction of Subscriber Trunk Dialling Service at Delhi is not easily calculable. Since the S.T.D. calls are metered on the subscriber's local call meters, the revenue from S.T.D. calls cannot be segregated from local calls. However a sample study on S.T.D. routes emanating from Delhi in August 1965 indicated

appreciable rise in revenue from S.T.D. compared to pre S.T.D. revenue as follows :—

Route	Average pre STD revenue per day	Average STD revenue per day in Aug. '65
	Rs.	Rs.
Delhi—Agra	804	8,017
Delhi—Jaipur	1,805	11,230
Delhi—Kanpur	1,892	14,000
Delhi—Patna	792	5,182
Delhi—Lucknow	2,274	9,752

(b) Ahmedabad, Jullundur, Simla and Srinagar are expected to be connected to Delhi by Subscriber Trunk Dialling by end of 1966.

बाबीना छावनी में एक महिला जासूस का गिरफ्तार किया जाना

660. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 दिसम्बर, 1965 अथवा उस के आस पास की तारीख को बाबीना छावनी में एक महिला को जिस पर पाकिस्तानी जासून होने का शक था, गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसे किन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया तथा क्या उस से कोई दोषपूर्ण सामग्री भी पाई गई है; और

(ग) क्या वह अकेली थी अथवा उस के और भी साथी थे और यदि हां, तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

तारघरों में कर्मीवर्ग

661. **श्री गुलशन** :
श्री बुटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि भारत के विभिन्न तारघरों में 'डेस्क पोइटों' पर अनुभवी कर्मी वर्ग के कर्मचारी कार्य करें जिससे वे गलतियां पकड़ सकें और उनको शीघ्रता से ठीक कर सकें;

(ख) क्या उक्त निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

संसद् कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, तार संकेतकों द्वारा।

(ख) इस सम्बन्ध में जारी किये गए आदेशों का परिपालन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत तथा पाकिस्तान के लिये बुक किये गये तार

662. **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अगस्त, 1965 से 23 सितम्बर, 1965 तक भारत से पाकिस्तानी स्थानों के लिये कितने तार बुक किये गये;

(ख) उक्त कालावधि में पाकिस्तान से भेजे गये कितने तार भारतीयों को प्राप्त हुए;

(ग) क्या पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने उक्त कालावधि में पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों द्वारा भेजे गये निजी संदेश रोक लिये थे; और

(घ) क्या उक्त अवधि में पाकिस्तान में भेजे गये संदेशों के बारे में भारत सरकार ने भी कोई वैसी ही कार्यवाही की थी ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 22,825 तार बुक किये गए।

(ख) 29,475 तार प्राप्त हुए।

(ग) पाकिस्तान रेडियों पर की गई घोषणा के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तार और टेलीफोन सेवाएं 7 सितम्बर, 1965 को बन्द कर दी थी।

(घ) जी हां।

दिल्ली में टेलिफोन बिलों की बकाया राशि

663. **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन क्षेत्र में बहुत से निजी टेलीफोन रखने वालों को गत कई सालों से तार और टेलीफोन शुल्क के भुगतान के लिये कभी भी कोई बिल नहीं भेजा गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बिलों को नियमित रुप से भेजने के लिए लेखा-परीक्षकों का एक दल रखा गया था और इसी के पश्चात् भुगतान के लिये काफी बकाया बिलों का पता चला है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन लेखा-परीक्षकों के स्थान पर पुनः क्लर्क लगाये जा र हैं जो अंशतः इन बिलों के बकाया होने के लिये जिम्मेदार थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह नीति राजस्व की पूरी वसूली करने के आंदोलन के अनुकल है ?

संसद् कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) उपभोक्ताओं को हमेशा बिल भेजे जाते हैं, किन्तु संभव है एसे कुछ इक्के-दुक्के मामले हों जिनमें भूल हो गई हो या बिल मार्ग में ही गुम गए हों।

(ख) जी नहीं। लेखाकारों की नियुक्ति पुरानी बकाया रक़मों का पता लगाने त ा उपभोक्ताओं के नाम जारी किये गए तथा बकाया बिलों की रक़मों की वसूली की दिशा में कार्रवाई आरम्भ करने के लिए की गई थी।

(ग) लेखाकारों के स्थान पर क्लर्कों की नियुक्ति कर ली गई है। ये क्लर्क बकाया रक़म के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(घ) जी हां।

केन्द्रीय तार घर (सी० टी० ओ०) नई दिल्ली

664. **श्री गुलशन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के कितने कर्मचारियों ने सीमावर्ती नगरों में काम करने के लिय अपनी सेवायें पेश की थीं;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालय में वापिस बुला लिया गया है अथवा वे अभी तक सीमावर्ती नगरों में हैं; और

(ग) क्या इस विभाग के अन्य कर्मचारियों में इस भावना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन कर्मचारियों को कोई पुरस्कार दिया गया है या देने का विचार है ?

संसद् कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) आपातकाल के दौरान श्रीनगर और जम्मू के तारघरों में अस्थायी नियुक्ति के लिए 7 अतिरिक्त तार संकेतकों की आवश्यकता थी। इसके लिये केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली से स्वयंसेवक मांगे गए और जिन सात कर्मचारियों ने अपने नाम दिये, उनमें से 4 को श्रीनगर तथा 3 को जम्मू के तारघरों में भेजा गया।

(ख) इन सभी कर्मचारियों को फिर से उनके मूल कार्यालय में नियुक्त कर दिया गया है।

(ग) सभी संबंधित कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र जारी किये गए हैं।

महाराजा रणजीत सिंह के स्मृतिशेष (रैलिक्स)

665. **श्री गुलशन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराजा रणजीत सिंह के कुछ स्मृतिशेष (रैलिक्स) अब भी ब्रिटिश सरकार के पास हैं;

(ख) क्या भारत सरकार की उन को वापिस लेने के लिये ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उटता।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बेरोजगारी

666. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री गुलशन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कोल्ला वकया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने औद्योगिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें फिर से रोजगार देने के लिए पंजाब सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो किस रुप में ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कच्चे अनुमान के अनुसार पंजाब में लगभग 46,000 मज़दूर बेरोज़गार हो गये। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में सुचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता कायम करने के लिए तथा औद्योगिक उत्पादन बना रखने के लिए भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार की सहायता करने के लिए समुचित उपाय किए हैं। यह बताया गया है कि इन उपायों के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रोज़गार की स्थिति अब सामान्य हो गई है।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों में से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) रेलवे प्रशासन उद्योगों की परिवहन समस्याओं के समाधान में हर सम्भव सहायता कर रहे हैं। सैनिक कार्यवाही के दौरान औद्योगिक इकाइयों को जो डेमरेज और स्थान-शुल्क लगा वह छोड़ दिया गया है;

(ii) संभरण और निपटान महानिदेशक से प्रार्थना की गई है कि वह पंजाब में औद्योगिक उत्पादन बनाए रखने के लिए पंजाब के उद्योगों को अधिक आर्डर दें;

(iii) रिजर्व बैंक ने पंजाब में अनुसूचित बैंकों से उद्योगों को अधिक उधार सुविधाएं देने के लिए कहा है;

(iv) सीमेंट तथा कच्चे माल का विशेष कोटा पंजाब सरकार को दिया गया है; और

(v) सीमावर्ती जिलों में तम्बाकू को छोड़कर अन्य माल पर उत्पादन शुल्क कि वसूली स्थगित कर दी गई है।

Public Call Offices

667. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borrooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the Public Call Offices run on commercial basis which are generally out of order;

(b) if so, the arrangements made for keeping these Public Call Offices in order, so that the time and money of public is not wasted there; and

(c) the reasons for the low audibility or no audibility on these telephones and when the situation is likely to improve ?

The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) Some complaints have been received about defective working of unattended type coin box PCO's but this does not indicate that these are generally out of order.

(b) All unattended coin box PCO's are inspected daily by maintenance staff to ensure continuous good functioning of these instruments. All complaints are also attended to promptly.

(c) Whenever it is found that speech from a P.C.O. is unsatisfactory, necessary action is taken to rectify the faults. Such faults of low audibility or no audibility are however not of frequent occurring. An analysis of the faults also indicates that in many cases these are attributable to mishandling of the P.C.O.s by the public either intentionally or otherwise.

Saboteurs Captured in Kashmir

668. Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether there is any truth in the report published in the 'Vir Arjun' dated the 27th November, 1965 to the effect that some saboteurs have been captured in Kashmir who had large explosives in their possession which could blast the whole of Jammu ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : It is a fact that the Government of Jammu and Kashmir have captured a number of persons suspected to be involved in subversive activities and recovered high explosives from them. Investigations are in progress.

दिल्ली में टेलीफोन विभाग

669. श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टलीफोन विभाग की कार्यप्रणाली की विशेष कर दिल्ली में जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम हैं; और

(ग) सरकार ने इस विभाग को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में डाकखाने

670. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में कितने डाकखाने हैं ;

(ख) अगले दो वर्ष में पंजाब में कितने नये डाकखाने खोलने का विचार है; और

(ग) क्या नये डाकखानों में टेलीफोन तथा तार की सुविधाएं भी उपलब्ध करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 5696.

(ख) 220.

(ग) जी नहीं ।

विदेशी तकनीकी जानकार

671. **श्री महेश्वर नायक :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी प्रौद्योगिकीय इंजीनियरी तथा अन्य औद्योगिक संस्थाओं में विदेशी तकनीकी जानकारों का काम देना किस सीमा तक बन्द कर दिया गया है;

(ख) भारत अपनी संस्थाओं में कब तक अपने तकनीकी व्यक्ति प्रशिक्षित कर सकेगा; और

(ग) क्या उन भारतीय तकनीकी व्यक्तियों को जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं भारत में ही तब तक रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है जब तक भारत आत्म निर्भर नहीं हो जाता ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि

672. **श्री राम हरख यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक देश भर में टेलीफोन शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इसको न देने वालों में सरकारी विभागों की संख्या सब से अधिक है; और

(ग) सरकारी विभागों ने टेलीफोन शुल्क की कुल कितनी राशि अभी नहीं दी है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : 31 दिसम्बर, 1965 से सम्बन्धित विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फिर भी 31 मार्च, 1965 तक जारी किये गए बिलों के सम्बन्ध में 1 अक्तूबर, 1965 तक 4.40 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) तथा (ग) : उक्त रकम में से 2.39 करोड़ रुपये सरकारी विभागों की तरफ बकाया है ।

लाभांश भुगतान अधिनियम, 1965

673. **श्री दाजी** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1965 तक लाभांश भुगतान अधिनियम के उपबन्धों से कोई छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की छूट दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : बोनस अदायगी अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत भारत सरकार ने किसी भी प्रतिष्ठान को अधिनियम के उपबन्धों से छूट नहीं दी है।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा अनुशासन संहिता का भंग किया जाना

674. **श्री दाजी** :
श्रीमती बिमला देवी :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 1960 में नौकरी से निकाले गये श्री अजीत सिंह को पुनः नियुक्त करने के बारे में न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित करने से इन्कार कर के रूरकेला इस्पात कारखाने ने अनुशासन संहिता भंग की है ; और

(ख) क्या प्रबन्धकों ने न्यायाधिकरण के पंचाट के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से पहले उन के मंत्रालय से परामर्श किया था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास

675. **श्री दाजी** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों की आवास सम्बन्धी वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये हाल में कोई क्षेत्रवार, केन्द्रवार या उद्योगवार सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1958–59 में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा विभिन्न राज्यों में 50 महत्वपूर्ण कारखानें, खान तथा बागान केन्द्रों के बारे में 'परिवार निर्वाह सर्वेक्षण' किये गये। इन सर्वेक्षणों में से सम्बन्धित श्रमिकों की आवास परिस्थितियों का सर्वेक्षण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 1959–65 में श्रम ब्यूरो द्वारा किये गए 'श्रम परिस्थितियों के सर्वेक्षण' के एक भाग के रूप में उद्योगवार सर्वेक्षण भी किया गया। यह सर्वेक्षण 46 उद्योगों में किया गया ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5545/66**]

भवन-निर्माण उद्योग के श्रमिक

676. **श्री दाजी :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण उद्योगों में काम करने की दशाओं को विनियमित करने के लिये अखिल भारत स्तर पर विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में तीनों पक्षों द्वारा सिफारिश की गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विधान बनाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। भवन और निर्माण उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने 13 जुलाई 1965 को हुए अपने पहल अधिवेशन में स्वीकार किया कि भवन और निर्माण उद्योग में सुरक्षा, कल्याण और रोजगार के अन्य पहलुओं के बारे में विस्त्रित विधान होना चाहिये।

(ख) जी हां।

इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

677. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर:
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभातकार :
श्रीमती विमला देवी :
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग मजूरी बोर्ड ने इंजीनियरी श्रमिकों को अन्तरिम सहायता देने की मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड न इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : पता चला है कि यह मामला अभी भी मजूरी बोर्ड के विचाराधीन है।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्दियों की रिहाई

678. **श्री वारियर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर:
श्री प्रभातकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने नजर-बंदियों को रिहा किये जाने के आदेश दिये गये;

(ख) उनको किन-किन आधार पर रिहा किये जाने के आदेश दिये गये ;

(ग) क्या उनमें से कुछ को रिहा करने के बाद पुन: गिरफ्तार कर लिया गया; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महिला-शिक्षा पर गोष्ठी

679. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर नई दिल्ली में एक पांच दिवसीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी किस के तत्वाधान में आयोजित की गई थी;

(ग) गोष्ठी में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई; और

(घ) सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय महिला संस्थाओं का भारतीय संघ।

(ग) विवरण संलग्न है, जिसमें सेमिनार में की गई सिफारिशें दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5546/66।]**

(घ) संघ ने सिफारिशों को अन्तिम रूप सिर्फ 19-2-1966 को दिया था और इस प्रश्न के उत्तर के लिये मंत्रालय को ये उसी दिन प्राप्त हुई थी। समय की कमी के कारण सरकार इनकी जांच नहीं कर सकी है।

भारत-तिब्बत सीमा पर सर्वेक्षण

680. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीती तथा लाहौल क्षेत्रों में तथा भारत-तिब्बत सीमा के निकट ऐतिहासिक चित्रों तथा भित्ति चित्रों को सुरक्षित रखने के लिये मार्गोपार खोंजने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

क (ख) विशेषज्ञों ने 'की' और 'ताबो' तथा तागित मठ वर्ग में 'समर गोम्फा मठों के संरक्षण की सिफारिश की है। उनके संरक्षण के लिये आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

अभिलेखों का प्रयोग

681. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभिलेखों के प्रयोग पर सरकारी प्रतिबन्धों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है;

(ग) क्या अभिलेखों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्याओं पर विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों तथा इसमें रुचि रखने वाले अन्य प्रमुख विद्वानों के साथ विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां । भारत सरकार ने समय समय पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों तथा अन्य प्रसिद्ध विद्वानों का, जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख के सदस्य हैं, परामर्श लिया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

करोल बाग, नई दिल्ली में हत्यायें

682. **श्री० स० मो० बनर्जी :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री बड़े :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की 22 दिसम्बर, 1965 को करौल बाग, नई दिल्ली में चार हत्यायें हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इन हत्याओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस के लिये घरेलू झगड़ों के कारण होने वाली ऐसी हत्याओं को रोकने के लिये निरोधक उपाय करना कठिन है ।

Teaching of Sociology in Delhi Schools

683. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the teaching of Sociology (Samaj Shastra) in Secondary classes in the Schools in Delhi; and

(b) when this scheme will be introduced ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). Sociology is not included in the curriculum of studies for the Secondary classes; nor is Government considering any proposal to make sociology such a subject.

Craze for English Culture

684. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated some plan to do away with the craze for English Culture from our social life in view of the Britain's attitude towards the Indians during the recent Indo-Pak conflict; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No; Sir.

(b) Does not arise.

Obscene Literature

685. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2088 on the 8th December, 1965 and state :

(a) the action taken against those persons from whom obscene books were seized;

(b) whether Government have located the places where such books are published; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) A case under section 292 of the Indian Penal Code has since been sent to Court by the Delhi Police against a person involved and arrestedin Delhi. The remaining cases were registered at Police Stations Banna Devi (Aligarh) and Hathras and are under investigation by the local police of Uttar Pradesh.

(b) It has not so far been possible to ascertain the place where the books were published.

(c) Does not arise.

विज्ञान कालेज, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में प्रयोगशाला सामान की कमी

686. श्री उमानाथ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के आयात प्रतिबन्धों के कारण उत्पन्न अत्यावश्यक प्रयोगशाला सामान की कमी के कारण कलकत्ता में विज्ञान कालेज की प्रयोगशालाओं में स्नातकोत्तर गवेषणा कार्य और अध्ययन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि देश के अन्य भागों की प्रयोगशालाओं में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन प्रतिबन्धों तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशी पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं है जिससे अध्यापकों तथा छात्रों के लिए अपने आप को वैज्ञानिक क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति के बारे में अवगत रखना कठिन हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) समूचे तौर पर हाल ही के आयात प्रतिबन्धों का देश के अनुसन्धान तथा अध्यापन कार्य पर बुरा असर पड़ा है ।

(ग) इन प्रतिबन्धों और विदेशी मुद्रा की कमी का विदेशी पत्रिकाओं की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है।

(घ) पुस्तकें आदि आयात करने के लिये सरकार द्वारा दी गई 50 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की अनुपूरक अधिकतम राशि में से 15 लाख रु० की राशि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के लिये अलग से रखी गई है। पुराने आयातकों को भी उनके किसी भी वर्ष के अधिकतम आयात के 50 तिशत कोटे के बराबर (अप्रैल 1965–मार्च, 66) चालू अवधि में पुस्तकें तथा पत्रिकाएं आयात करने की अनुमति दी गई है। पुराने आयातकों को, गत अवधि (अप्रैल–मार्च 1965) के दौरान उनके वास्तविक आयात के 50 प्रतिशत तक के बराबर तकनीकी पुस्तके तथा पत्रिकाएं आयात करने के लिये अनुपूरक लाइसेंस भी दिये जाते हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

687. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिंमतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री हेम बरूआ :
श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री दे० द० पुरी :
श्री किन्दर लाल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच विभाग ने 1965 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और घूस के कितने मामले अपने हाथ में लिए और उनमें से कितने राजपत्रित कर्मचारी थे और कितने अन्य रैंकों के;

(ख) कितने मामलों में जाल बिछाया गया और कितने मामलों में दोष सिद्ध किया गया ;

(ग) इन मामलों में कितने गैर-सरकारी लोगों का हाथ था; और

(घ) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क), (ख), (ग) और (घ): सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

पैट्रोलियम उत्पादों की वितरण नीति

688. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री लाटन चौधरी:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री हिम्मतसिंहका:
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री धुलेश्वर मीना:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री कर्णी सिंहजी:

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के परामर्श से पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय वितरण नीति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) और (ख): जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

नेफा प्रशासन

689. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:**
श्री क० ना० तिवारी:
श्री बसुमतारी:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के सामरिक महत्व के आदिम जाति क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में खोज-बीन का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या एक मंत्रणा परिषद् की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है;

(ग) स्थानीय निकायों, को, जिन अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों विकास करने का प्राधिकार प्राप्त है, स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की कहां तक पहल की गई है; और

(घ) क्या नई व्यवस्था में राज्यपाल के सलाहकार के पद को कायम रखा जायेगा अथवा उस पद को कोई उपयुक्त नया नाम दिया जायेगा या उसके स्थान पर किसी समुचित परिषद की स्थापना की जायेगी?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ): मई 1964 में आसाम के राज्यपाल द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण में स्थानीय स्वायत्त शासन के विस्तार तथा विकास पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई थी। समिति ने ग्राम, मण्डल तथा जिलास्तर पर निम्नलिखित लोकतंत्रीय निकायों के निर्माण की सिफ़ारिश की है:—

(क) ग्राम . . . . ग्राम पंचायत।
(ख) मण्डल . . . . अंचल समिति।
(ग) जिला . . . . . जिला परिषद।

समिति ने अभिकरण के स्तर पर, अधिकरण सलाहकार परिषद के निर्माण का सुझाव दिया है।

ये सिफ़ारिशें अब सरकार के विचाराधीन है।

पदाधिकारियों की सेवावधि में वृद्धि

690. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने सभी मंत्रालयों से अपवाद स्वरूप मामलों में ही पदाधिकारियों की सेवावधि में वृद्धि किये जाने की नीति का कड़ाई से पालन करने को कहा है;

(ख) यह बात कहां तक सच है कि केन्द्र सेवावधि में वृद्धि किये जाने अथवा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के सामान्यत: विरुद्ध है;

(ग) क्या संघ सरकार द्वारा कोई आयु सीमा बताई गई है जब तक कि सेवावधि में वृद्धि की जा सकती है; और

(घ) क्या इस प्रकार सेवावधि में वृद्धि का समूची सेवा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मूल्यांकन करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : इस आंशय के अनुदेश जारी किये गए हैं कि सिवाय उन मामलों के जहां स्पष्ट रूप से लोकहित की दृष्टि से आवश्यक हो, या जहां यह बात साफ़ हो कि अन्य सेवारत अधिकारी या तो नियुक्ति को ग्रहरण करने योग्य नहीं हो पाये या निवृत्ति ग्रहरण करने वाला अधिकारी इतना अधिक योग्य है कि उसे और अधिक समय तक सेवा में रखना वांछनीय होगा, किसी भी अधिकारी को अनिवार्य निवृत्ति की तिथि के बाद सेवा में नहीं रखा जायगा और न ही पुनर्नियुक्त किया जायगा ।

(ग) उपरोक्त सिद्धान्तों के अन्तर्गत मंत्रालय/विभाग, सेवा-निवृत्त अधिकारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रख सकते हैं या पुनर्नियुक्त दे सकते है । 60 वर्ष से आगे तक सेवा काल में वृद्धि या पुनर्नियुक्त के सभी मामलों में गृह मंत्रालय की सहमति आवश्यक होती है ।

(घ) जी नहीं ।

नेफा में प्रशासनिक सुधार

691. **श्री कोल्ला वैकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी ऐरिंग समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करनें की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : दस सिफ़ारिशों की गई थीं उनमें से 4 क्रियान्वित की जा चुकी है और 6 विचाराधीन है ।

बरौनी तेल शोधन कारखाना

692. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधन कारखाने के उपोत्पादों का उपयोग करने के लिए कोई रूसी सहायता उपलब्ध होगी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जानेवाला है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी कुल अनुमानित-लागत कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क), (ख), (ग) और (घ) : कारखाने के उपोत्पाद गैस, आयोमैक्स (Iomex), नरम मोम (Slack Wax) और कच्चे पैट्रोलियम कोक (Raw Petrolium coke) हैं। गैसों, आयोमैक्स और नरम मोम (Slack Wax) के इस्तेमाल में कोई कठिनाई नहीं है।

जहां तक कच्चे कोक का प्रश्न है, बरौनी में कोक निस्तापन (Calcination) संयन्त्र लगाने का फैसला किया गया है। रूसी अधिकारियों ने इस संयन्त्र को बनाने में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है। अभी इस मामले पर परीक्षण हो रहा है और संयन्त्र की कुल अनुमानित लागत परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही जानी जा सकेगी।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का भारतीय प्रशासन सेवा के साथ मिलाया जाना

693. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री रामसहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री० रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा को भारतीय प्रशासन सेवा के साथ मिलाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें मिलाने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी नहीं। किन्तु संयुक्त दिल्ली हिमाचल प्रदेश संवर्ग को इस तरह विस्तृत करने का विचार है कि उसमें अन्य संघ राज्य-क्षेत्र भी आ जाये। भारतीय सीमांत प्रशासन सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें उपयुक्त पाया जायगा इस संवर्ग में शामिल किये जायेंगे। ऐसा चयन, एक चयन समिति के ज़रिये किया जायगा। इसी उद्देश्य के लिये बनाई जाने वाली इस समति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जायगी। अन्य सभी ब्यौरे अभी विचाराधीन है।

Russian Writers Delegation

694. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of Russian writers is coming to India on the invitation of the Government of India;

(b) whether it is also a fact that they will collect money for their magazine ;

(c) if so, the places likely to be visited by them; and

(d) the benefits likely to be derived by the Indian writers from their visit ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a), (b), (c) and (d). In implementation of Item 75 of the Indo-Soviet Cultural Exchange Plan, a 4-member Soviet Writers Delegation visited India from 23rd December, 1965 to 12th January, 1966. The Delegation consisted of Mr. Michael Lukonin, Poet, Mr. Victor Pankov, Critic, Madame Valentina Tacque, Editor of Soviet Literature and Miss Mariam Salgnik, Interpreter/Secretary. After participating in the Fifth All-India Writers Conference held in Alwaye (Cochin) in December, 1965, the Delegation visited Madras, Hyderabad, Agra and Delhi. At all the places they held discussions with Indian journalists, poets, literatures, critics, editors etc., besides visiting places of educational, literary, historical and cultural importance. The discussions and exchange of ideas have been of value to each other in understanding and appreciating the trends in the fields of literature, poetry, journalism, art, culture, etc. in the U.S.S.R. and India.

As far as the Ministry of Education is aware, the Delegation did not collect any money for any Soviet magazine during their visit.

Scholarships to Middle Class Students

695. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Education Department of the Delhi Administration has proposed to grant scholarships to such students who obtained 60 per cent marks in their Middle School Examination held on the 9th January, 1966; and

(b) if so, the criteria laid down for the grant of scholarships ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. No such examination was held on the 9th January, 1966, as is implied in the question.

(b) Question does not arise.

Women in Home Guards

696. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a separate battalion consisting of 100 women volunteers would be formed in the Home Guard Force in Delhi;

(b) whether they would be imparted training in the use of rifles; and

(c) whether it is also a fact that there is a shortage of rifles for the training of the existing Home Guards and the steps taken to meet this shortage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a), (b) and (c). There is already a Women's Wing in the Delhi Home Guards Organisation, which is already receiving usual training. There is no shortage of rifles for training purposes.

टेक्नोलौजी संस्थान

697. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किये गये टैक्नोलोजी संस्थान को और अधिक सहायता देने के लिये पश्चिम जर्मनी की सरकार से एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नये करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) : जी नहीं । प्रस्तावित नया समझौता अभी विचाराधीन है ।

प्रशासनिक देरी को दूर करन के लिये समिति

698. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-काय** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक विलम्बों की समस्याओं तथा अन्य सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई मंत्री-स्तरीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर कहां तक अमल किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री गुलजारीलाल नंदा) : निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति का सूचक एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5548/66**।]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

699. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के पहले वर्ष में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए नियत की गई राशि में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) क्या आयोग ने इस वर्ष के लिए अपनी कोई योजना तैयार कर ली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

Oil Refinery, Cochin

700. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Ram Sevak Yadhav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :
Shri Utiya :
Shri Vishram Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the progress made in the installation of oil refinery at Cochin and the capacity of the refinery; and

(b) the total expenditure involved ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan) : (a) and (b). The progress in construction of the refinery and other facilities are such that the refinery expects to commence production by June 1966. The refinery is designed to refine 2.5 million tonnes of crude.

Of the total estimated cost, the expenses incurred up to 31-12-1965 amount to Rs. 14.92 crores.

रूसी पाठ्य पुस्तकें

701. **श्री लाटन चौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों ने भारत में इस्तेमाल किये जाने के लिये 195 रूसी पाठ्य पुस्तक अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो ये पुस्तकें किन विषयों की है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रूसी सरकार से कोई प्रार्थना की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि 15 दिसम्बर, 1965 को पाठ्य पुस्तक संबंधी भारत-रूसी बोर्ड की एक संयुक्त बैठक हुई थी : और

(ङ) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालयों से सुझाव प्राप्त हुए है कि 131 रूसी पाठ्य पुस्तकें अपना ली जायें ।

(ख) कला, विज्ञान, इंजीनियरी, औद्योगिकी, तथा व्यावसायक अध्ययन के विभिन्न पहलू ।

(ग) सुझाव रूस सरकार को भेज दिये गये हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

पाठ्य पुस्तकों पर भारत-रूसी संयुक्त बोर्ड की मुख्य कुछ सिफारिशें इस प्रकार है :—

(1) दोनों देशों में प्रकाशित होने वाली शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के बारे में सूचना के आदान प्रदान के लिये वणिज्यक आधार पर वितरण केन्द्र तथा सूचना केन्द्र खोले जायें ।

(2) विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं, तकनीकी और मेडिकल संस्थाओं और कालेजों तथा स्कूलों के पुस्तकालयों पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें दी जायें ताकि अधिकाधिक संख्या में शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनका ज्ञान हो सके ।

(3) नई दिल्ली के रूसी अध्ययन संस्थान को पत्रव्यवहार द्वारा रूसी भाषा के अध्यापन जारी करने के बारे में वांछनीयता पर विचार करना चाहिये, इसी प्रकार बम्बई की इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पत्र व्यवहार द्वारा अध्यापन कार्य को आरंभ करना चाहिये ।

(4) भारत में मुद्रण सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए यह कोशिश कि जाय कि अपेक्षित मशीनरी वाणिज्यक तरीके से मंगाई जाये ।

सार्वजनिक पुस्तकालय

702. श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंग्लिश लाइब्रेरी एसोसिएशन" के शिक्षा अधिकारी श्री नरहार्ड पामर के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के पास धन की कमी रहती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि निरक्षरता को दूर करने के लिए भारत को सार्वजनिक पुस्तकालयों पर अधिक धन व्यय करना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के सुधार की और अधिक ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं । उससे अधिक नहीं कि जो समाचार पत्रों में छपा है । शायद श्री वरनरड आई पामर के बारे में बात है ।

(ख) सरकार सावजनिक पुस्तकालयों के विकास के बारे में जागरूक है ।

(ग) ऐसा पता चला है ।

(घ) सरकार पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को वित्त दे रही है और कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी को चला रही है । यद्यपि पुस्तकालयों को चलाना राज्य सरकारों का काम है, समूचे भारत में इस काम के लिये ततीय योजना में सहायता दी गई है । यदि धनराशि उपलब्ध हुई तो राज्यों के साथ इस बारे में विचार किया जायेगा कि चौथी योजना में पुस्तकालय सेवाएं बढ़ाई जाये ।

Working of Zonal Councils

703. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in the working of the Zonal Councils up to date;

(b) whether there is any proposal under consideration with a view to make these Councils more effective in future; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) As provided in section 21 of the State Reorganisation Act, 1956, the Zonal Councils are advisory bodies and are competent to discuss matters of common interest to two or more States or the Union and one or more States represented in the Council and advise the Central Government and State Governments concerneds as to the action to be taken on any such matter. In particular, the Zonal Council may discuss and make recommendation with regard to,—

(1) matters of common interest in the field of economic and social planning;

(2) matters concerning border disputes, linguistic minorities or inter-State transport; and

(3) matters connected with or arising out of, the reorganisation of the State under the States Reorganisation Act.

Since their inception, the Eastern, Southern and Northern Zonal Councils have met nine times each, the Central Zonal Council met seven times and the Western Zonal Council met five times.

The subjects discussed in the meetings of Zonal Councils have covered a wide range. Some of the important matters that have come up before the Zonal Councils are mentioned below :—

(i) Implementation of the safeguards for linguistic minorities and other measures for emotional and national integration;

(ii) Administrative Reforms;

(iii) Recommendations of the Santhanam Committee and setting up of Vigilance Commissions in the States;

(iv) Review of the situation arising out of the National Emergency;

(v) Emergency Manpower Measures and Manpower Planning;

(vi) Compulsory liability for service with the Armed Forces for members of the Civil Engineering and Medical Cadres;

(vii) Sharing of water and power and related matters;

(viii) Development of power resources;

(ix) Construction and maintenance of inter-State roads and bridges;

(x) Development of means of transport and communications;

(xi) Deputation of medical and technical personnel from surplus States to deficit States;

(xii) Training facilities at Zonal level;

(xiii) Prevention of food adulteration;

(xiv) Formation of Common Police Reserve Forces for different Zones; and

(xv) Border adjustment between States.

The copies of proceedings of all the meetings held so far, embodying the recommendations made by the respective Zonal Councils have been placed in the Parliament Library.

(b) The Zonal Councils are functioning in accordance with the scheme of these Councils embodied in the States Reorganisation Act, 1956, and have been playing a useful role in dealing with matters of common interest to the Member-States. No proposal to modify the existing scheme is under consideration.

(c) Does not arise.

New Universities

704. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) The further progress made in the formation of the scheme to establish at least one University in each State during the Fourth Five Year Plan period;

(b) whether any decision regarding the same has been taken by University Grants Commission also; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Every State except Nagaland already has at least one University and therefore the question of having a scheme for this purpose does not arise. There is, however, a proposal to set up at least one Central University in each State which is under the consideration of the Education Commission.

(b) and (c). Do not arise.

बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज

705. श्री यशपालसिंह डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी : श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज करने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी के सहयोग का अनुमोदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कारोमण्डल तट के साथ साथ अत ीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से (Tract) में भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) जी नही ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Circulation of Mysterious document in Kerala

706. Shri Yashpal Singh : **Shri Utiya :**
Shri Bagri : **Dr. Ram Manohar Lohia :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the investigation regarding the distribution of mysterious document in Kerala has been completed ; and

(b) if so, the conclusions arrived at ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Jaisukhlal Hathi) : (a) Yes, sir.

(b) It has not been possible to trace the origin of the document. The case has finally been closed as undetectable.

फारस की खाड़ी में तेल की खोज

707. श्री विश्राम प्रसाद : **श्री उटिया :**
श्री बागडी : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारस की खाड़ी में तेल की खोज में अब तक में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या अब तक इकट्ठे किये गये आंकड़े उत्साहवर्धक है; और

(ग) इस परियोजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) तक : अन्वेषी कार्य अभी चल रहा है और इस लिए इतने पहले से पूर्वेक्षणों या इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता ।

अध्यापिकाओं के लिये राइफल चलाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम

708. श्री विश्राम प्रसाद : **डॉ० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागडी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की अध्यापिकाओं के लिए राइफल चलाने का एक अल्प-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो पाठ्क्रम की अवधि क्या है;

(ग) राइफल चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अन्य महिला कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) दस दिन ।

(ग) प्रशिक्षार्थियों को कोई विशेष प्रोत्सहन नहीं दिया गया है ।

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

बसिक शिक्षा पद्धति

709. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि बेसिक शिक्षा पद्धति असफल रही है, सरकार का विचार इसमें परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस में क्या परिवर्तन किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तथा (ख) : सरकार का इस बारे में नीति में परिवर्तन करने का विचार नहीं है क्योंकि सरकार इस बात से सहमत नहीं कि बेसिक पद्धति असफल रही है । इस पद्धति के लिये व्यक्तियों और साधनों के रूप में अधिक संसाधनों की आवश्यकता है ताकि यह ठीक प्रकार से चल सके । चौथी योजना में शिक्षा की इस पद्धति की विशेष बातों को और सुदृढ़ करने का विचार है ।

शिक्षा आयोग इस बारे में जो सिफारिशें करेगा उन पर भी सरकार विचार करेगी ।

ऋणी सरकारी कर्मचारी

710. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री काजरोलकर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऋण से मुक्त करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ब्याज की उचित दर पर ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने की एक योजना का प्रारूप तयार किया गया है । इस योजना का मूल उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ऋणग्रस्तता से छुड़ाना है जो विवशता के कारण ऋण में फंस जाते हैं । इस योजना का उद्देश्य 500 रु० प्रतिमास या उससे कम मूलवेतन पानेवाले अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है । मामला अभी तक विचाराधीन है ।

युद्ध के दौरान पुरातत्वीय अभिलेख

711 **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शत्रु देशों द्वारा पुनः आक्रमण किये जाने की स्थिति में पुरातत्वीय अभिलेखों, दस्तावेजों और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : विशेष महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा स्थानों की सची तैयार कर ली गई है और युनिस्कों के पास उन्हें रजिस्टर कराने की कार्यवाही की जा रही है ताकि सशस्त्र संघर्ष के समय उनका संरक्षण हो सके ।

मद्रास तेल शोधक तथा उर्वरक परियोजना कारखाना

712. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री काजरोलकर :
श्री रा० बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये नैशनल ईरानियन आयल कम्पनी तथा अमेरिकन इण्टरनेशनल आयल कम्पनी के साथ कोई समझौता हुआ है अथवा निर्धारित तिथि से पहले संभवतः कोई किया जाने वाला है ;

(ख) यदि नहीं, तो मद्रास तेल शोधन परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) इस तेल शोधन कारखाने के लिये कितने प्रतिशत देशी सामान और उपकरणों का उपयोग किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 21 मार्च, 1965 के समझौता-ज्ञापन के 18 नवम्बर, 1965 के संपूरक (Supplement) केअनुसार भारत सरकार और एमोको (Amoco) के बीच उर्वरक निर्माण (Formation) समझौते को कार्यान्वित करने की निर्धारित तिथि 20 फरवरी 1966 निश्चित हुई थी। इस अवधि को 22 मार्च 1966 तक बढ़ा देने के लिये अब सब पार्टियां सहमत हो गयी है ।

(ख) उर्वरक संयन्त्र समझौते की स्थिति का विचार किये बिना मद्रास शोधन शाला परियोजना के निर्माण कार्य के अगले 4 से 6 महीनों के अन्दर शुरू हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) जब तक सप्लाई और निर्माण के ठेके नहीं दे दिये जाते इस बारे में सूचना देना संभव नहीं ।

विक्टोरिया गवर्नमेंट कालिज, पालघाट, केरल

713. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टोरिया गवर्नमेंट कालेज, पालघाट, केरल राज्य में अध्यापकों के कई स्थान भरे नहीं गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थान रिक्त रखे गये हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) तथा (ख): कालेज के अध्यापकों के छः स्थान रिक्त है।

(ग) केरल लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर ये स्थान भरे जाते है । आयोग ने चयन कर लिया है और कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

केरल में मलयाली बच्चों के लिये स्कूल

714. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल समाज ने सरकार से प्रार्थना की है कि मलयाली बच्चों के लिये स्कूल खोलने के लिये मद्रास में कोचीन हाउस का कुछ भाग दे दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) केरल समाज की प्रार्थना पर राज्य सरकार ने कुछ अन्य संस्थाओं की प्रार्थनाओं के साथ-साथ विचार किया था । राज्य सरकार को समाज की आर्थिक सामर्थ्य के बारे में संतोष नहीं था । अतः कोचीन हाउस का पट्टा 20 वर्ष के लिये आसान मैमोरियल ऐसोसिएशन, मद्रास को स्कूल चलाने के लिये 200रु० प्रतिमास के नाममात्र के किराये पर दे दिया गया ।

Milk Powder for School Children

715. Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Bagri : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Vishram Prasad : **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Utiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the milk powder received from abroad for distribution amongst the school children in Delhi was found pilfered;

(b) whether any enquiry has been made into the matter; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir, in some of the Delhi Municipal Corporation Schools.

(b) Yes, Sir.

(c) Nine theft cases came to notice between 1960 and 1965 as under :—

1960	2 cases.
1961	2 cases.
1962	3 cases.
1963	
1964	..
1965	2 cases.

Final decision/action after departmental enquiries has been taken in six of these cases. One case of 1960 and two cases of 1965 are at the stages of departmental action and enquiry respectively.

राष्ट्रीय जीवविज्ञान अनुसन्धान संस्थान

716. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जीवविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिये अब स्थान का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । राष्ट्रीय जीवविज्ञान प्रयोगशाला कांगड़ा (हिमाचल) घाटी में पालमपुर में स्थापित की जाएगी ।

(ख) प्रयोगशाला के अस्थाई कार्यक्रम के अनुसार प्रयोगशाला में निम्नलिखित व्यापक विषयों में कुछ चुनी हुई समस्याओं के बारे में कार्य किया जाएगा :—

(i) सूक्ष्मजीव विज्ञान ;
(ii) आनुवंशिकी ;
(iii) सेल जीव विज्ञान ;
(iv) अणु-जीव विज्ञान ;
(v) पर्यावरण जीव विज्ञान ;
(vi) तुलनात्मक जीव विज्ञान ;
(vii) बड़े जानवरों का जीव विज्ञान ; और
(viii) मानव जीव विज्ञान ।

(ग) प्रयोगशाला हेतु भूमि अभिग्रहण के लिए पंजाब सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

कोरवा में उर्वरक कारखाना

717. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरवा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये जिस जमीन पर 60 से 70 लाख रुपया खर्च किया गया था और जिसका विचार अब छोड दिया गया है उसे अब और किसी कारखाने के लिये चुन लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नही में है तो सरकार खर्च की गई रकम का किस प्रकार उपयोग करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : स्थल पर एक परियोजना की स्थापना के लिए सरकार यत्न कर रही है ।

संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन

718. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने के लिये 3 दिसम्बर 1965 को संविधान (संशोधन) विधेयक पर हुए वाद-विवाद के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रयोजन के लिये एक सरकारी विधेयक पेश करने के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा दिये गय आश्वासन को पूरा किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर किस प्रक्रम पर विचार हो रहा है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मेरे द्वारा दिया गया आश्वासन यह था कि वाद-विवाद के दौरान सामने आने वाले सुझावों पर ध्यान दिया जायगा और सरकार विभिन्न पहलुओं से इस बात पर विचार करेगी कि क्या अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम में परिवर्तन करना ठीक होगा और यदि हां तो उसके वर्तमान नाम के स्थान पर क्या नाम रखा जाना चाहिये । इस आश्वासन के अनुसार सदन में व्यक्त किये गए

विचारों को गृह मंत्रालय की द्वीप समूह के बारे में सलाहकार समिति की 7 दिसम्बर 1965 की बैठक में पेश किया गया। सलाहकार समिति का सर्वसम्मत विचार यह था कि द्वीपसमह के नाम में कोई परिवर्तन स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचायगा। समिति की इच्छा थी कि द्वीप समूह का वर्तमान नाम न बदला जाय। इस बात को देखते हुए द्वीप समह का नाम बदलने के लिये कोई सरकारी विधेयक पेश करने का सरकार का विचार नहीं है।

मजूरी का साप्ताहिक भुगतान

719. **डा० श्रीनिवासन :**

श्री परमशिवन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी नगरो में राशन प्रणाली के लागू हो जाने की दृष्टि से केन्द्रीय राज्य सरकारी तथा गर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन अथवा मजूरी प्रति सप्ताह देने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां तक औद्योगिक वेतन अदायगी अधिनियम 1936 के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अधिनियम की धारा 4 वेतन की साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक अदायगी की अनुमति देने में काफी नम्य है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है पाक्षिक वेतन अदायगी करने के लिये कुछ वर्ष पहले वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुए एक सुझाव पर उस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया। यह सुझाव पाक्षिक अदायगी की पद्धति को अपनाने में सन्निहित लेखा व्यय के कारण अस्वीकार कर दिया गया। इस सम्बन्ध में हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में हड़ताल

720. **डा० रानेन सेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायणपुर के हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों ने हाल में भूख हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तीन या चार कर्मचारियों ने 10-12-1965 प्रातःकाल से हडताल की थी, जोंकि 13-12-1965 को समाप्त कर दी गई।

(ख) कर्मचारियों ने 1964-65 के बोनस की अदायगी के प्रश्न पर भूख हड़ताल की थी। मैनेजमेंट ने बोनस की अदायगी के बारे में आवश्यक आदेश 10-12-1965 को जारी कर दिए।

राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा आसाम सीमा पर भारतीयों का अपहरण

721. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बसुमतारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामपुरे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को युद्ध-विराम समझौते के बाद से लेकर अब तक राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल सीमा के पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय व्यक्तियों के अपहरण किया जाने के बारे में कोई जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इनका किन परिस्थितियों में अपहरण किया गया; और

(ग) इन भारतीय व्यक्तियों को वापस लेने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे है अथवा उठायें जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग): राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और जब प्राप्त हो जायगी तब सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

कोजीकोड खंड में टेलीफोन सम्पर्क

722. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोजीकोड खण्ड में टेलीफोन लगवाने के लिये इस समय कितने प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत है;

(ख) सबसे पहला प्रार्थना--पत्र किस तारीख का है और टेलीफोन लगाने में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 2134।

(ख) 13-4-1959।

फिरोक टेलीफोन केन्द्र से, जो लगभग अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है, पूर्ति किये जाने वाले संयोजन बहुत दूरी पर स्थित ह । विलम्ब का कारण भण्डार को कुछ आवश्यक मदों की सप्लाई में कमी होना है ।

(ग) टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने, नये टेलीफोन केन्द्र खोलने तथा उपलब्ध साधनों द्वारा जनता की अधिक से अधिक मांग की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त केबल बिछाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

केरल में वामपंथी साम्यवादी नजरबंदियों की रिहाई

723. **श्री उमानाथ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में 1 जुलाई, 1965 से लेकर अब तक कितने वामपंथी साम्यवादियों को नजरबन्दी से रिहा किया गया;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने पर रिहा किया गया;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को बिना शर्त के और अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद किये बिना ही रिहा किया गया; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों को किन कारणों अथवा आधार पर रिहा किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तेरह ।

(ख) सात ।

(ग) छः ।

(घ) उनके मामलों के पुनरवलोकन के समय सारी परिस्थितियों पर विचार करने पर उनको आग नजरबन्दी, भारत की सुरक्षा आदि के लिये जरूरी नहीं दिखाई दी ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष में मंत्रियों का अंशदान

724. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में 1 नवम्बर, 1965 से 31 जनवरी, 1966 तक नकदी अथवा सोने के रूप में कितना अंशदान दिया; और

(ख) उक्त अंशदान के अतिरिक्त उन्होंने स्वेच्छापूर्वक वेतन से और किस प्रकार कटौती करने के लिये कहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5549/66]

भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†725. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग की पुनर्विलोनक समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन पर कब विचार किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) निर्णय करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि सिफारिशों की संख्या काफी अधिक है।

उत्तर प्रदेश में पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता

726. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा स्कूलों व कालेजों के पुस्तकालयों को 1965-66 में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिली; और

(ख) इसी प्रयोजन के लिये 1966-67 में कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) देवरिया स्थित नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय को 1965-66 में वित्तीय सहायता मिली है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये अनुदान राज्यों के आधार पर नहीं दिये जाते और इस काम के लिये कोई विशेष राशि नहीं रखी गई है।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले

727. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रंगा :
श्री दा० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में विभिन्न समाचार पत्रों तथा सामयिक पत्रिकाओं के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कुल कितने मामले चलाये गये; और

(ख) भारत सरकार ने जिन समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की है उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभापटल पर रख दी जायगी।

Title of Mahamahopadhyaya

728. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of persons who received the Title of Mahamahopadhyaya in Rajasthan and Ajmer-Merwara during the years from 1920 to 1946 and the years in which they received them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : The collection of this information will involve labour and expense which will not be commensurate with the results achieved.

Title of Mahamahopadhyaya

729. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of Professors of Maurice College, Nagpur who received the Title of Mahamahopadhyaya during the years from 1920 to 1946 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): The collection of this information will involve labour and expense which will not be commensurate with the results achieved.

तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

730. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म०ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल, काल्टैक्स तथा एस्सो, निजी तेल कम्पनियों में नौकरी-संरक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये बनाई गई त्रिपक्षीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्णय क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोंजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गंडक परियोजना के कर्मचारियों के टेलीफोन

731. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना के कर्मचारियों के टेलीफोन उनके बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण काट दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन्होंने अब बिलों का भुगतान कर दिया है उन्हें टेलीफोन नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो बिलों का भुगतान करने वालों को कब तक टेलीफोन दिये जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

732. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को पंजाब उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामलों की संख्या क्या थी; और

(ख) उन मामलों की संख्या क्या है जो दो वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 25078।

(ख) 10068।

केन्द्रीय स्कूल

733. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने केन्द्रीय स्कूल चल रहे हैं; और

(ख) पंजाब में इस समय ऐसे कितने स्कूल हैं तथा वे किन किन स्थानों पर हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) 86 ।

(ख) 7 जो कि इन स्थानों पर हैं :—

अम्बाला (2), फिरोज़पुर (1), जालंधर (1), शिमला (1), आदमपुर (1), हलवाड़ा (1)।

राज्य सशस्त्र पुलिस पर खर्च

734. **श्री गुलशन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सशस्त्र पुलिस का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी राज्यों को राज्य सशस्त्र पुलिस का खर्च दे दिया गया है और गत दो वर्षों से पंजाब राज्य को यह खर्च नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब राज्य को खर्च न देने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री जयसुख लाल हाथी) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केवल उन्हीं बटालियनों के खर्च की प्रतिपूर्ति दी जाती है जो उनसे उधार लेकर सीमा पर लगाई जाती है।

(ख) और (ग) : इस प्रकार की प्रतिपूर्ति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रतिपूर्ति समय-समय पर, जब भी इसके बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किये गए खर्च के लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों द्वारा अनुमोदित दावे प्राप्त होते तब-तब की जाती है।

अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारों द्वारा 1962-63 के वित्तीय वर्ष से सीमा पर तैनात पुलिस शक्ति पर किये गए आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति करना स्वीकार कर लिया है।

मरहम बनाना

735. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मरहम बनाने की एक करोड़ रुपये की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) भारत सरकार के पास, अभी, ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

736. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 के दौरान महाराष्ट्र के कपड़ा मज़दूरों ने आम हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इन मज़दूरों को क्या कठिनाइयां थीं तथा उनकी क्या मांगें थीं जिनके कारण उन्होंने हड़ताल की;

(ग) हड़ताल से पूर्व सरकार ने क्यों उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की;

(घ) महाराष्ट्र में कितनी कपड़ा मिलें हैं और उनमें कितने मज़दूर काम करते हैं; और

(ङ) कितने मज़दूरों ने इस हड़ताल में भाग लिया और इससे कितनी मिलें प्रभावित हुई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ): यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है । इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

जम्मू के निकट मुथी शिविर में गोली का चलाया जाना

737. **श्री हेम बरुआ :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प० ह० भील :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंका :
श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले जम्मू के निकट मुथी शिविर में शरणार्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन पर गोली चलाई;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): 28 दिसम्बर, 1965 को जम्मू के निकट मुथी शिविर में शरणार्थियों पर हल्का लाठी-चार्ज किया गया था किन्तु पुलिस द्वारा गोली नहीं चलाई गई थी। मुथी शिविर केवल आवाजाही केन्द्र था जहां से विस्थापित व्यक्तियों को अन्य शिविरों में भेजा जाता था। विस्थापितों की निजी प्रार्थना पर मुथी शिविर से 40 परिवारों को चालान शिविर में भेजने की व्यवस्था की गई थी। इन परिवारों को मुथी शिविर से जाने से विस्थापितों के अन्य समूह ने रोक दिया। अब इस समूह ने परिवारों की खानगी में बाधा डालने पर बाध्य किया तो पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई। जब भीड़ प्रचण्ड हो गई और पुलिस पर पथराओं आरंभ कर दिया तो पुलिस को आश्रु गैस तथा हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में से कुछ को मामूली चोटें आयी। पथराओं के दौरान कुछ पुलिस कमचारियों को भी चोट आयी।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी बंगाल में पुरातत्वीय खोज

738. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरातत्व निदेशालय ने तामलूक में रूपनारायण के तट पर प्राचीन बन्दरगाह तमरालिप्ती पर तथा उसके आस पास हाल ही में खोज कार्य किया था;

(ख) कालियाधै घाटी में अमार्शी पुरातत्वीय स्थान पर भी ऐसा खोज कार्य किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) वे कौन से युग से सम्बन्ध रखते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख): जी हां।

(ग) तामलूक और उसके आसपास काले और लाल रंग की वस्तुओं के टुकड़े मिले हैं इस के अतिरिक्त नाली वाली कटोरी के टुकड़े भी पाये गये थे।

अमार्शी के स्थान पर चर्ट वाली नाक की मूर्ति मिली है, जो देवी की मालूम होती है। कुछ और टुकड़े जो मध्यकालीन मालूम होते हैं के मिलने का समाचार मिला है।

(घ) जो वस्तुएं मिली है वे प्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की है और उनके समय का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। उन का अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। तामलूक वाली वस्तुएं ऐतिहासिक समय से पूर्व से मध्यकालीन समय तक की है जबकि आमर्शी की वस्तुएं पाषाण काल के अनिश्चित काल से मध्यकालीन समय तक की हो सकती हैं।

प्राइमरी से पहले की शिक्षा

739. श्री वारियर : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार : श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में प्राइमरी से पहले की शिक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय प्रणाली बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार पूर्व स्कूली शिक्षा की एक सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता को महसूस करती है ताकि एक ओर तो बच्चे की देख-रेख और कल्याण पर उसका सीधा असर हो सके और दूसरी ओर उसे बाकायदा शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके । फिर भी, साधनों तथा स्टाक की कमी को देखते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षक-प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने, आवश्यक साहित्य और सामग्री तैयार करने के सिवाय, सरकार के लिए धन की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है । पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं और बालवाड़ियां खोलने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता व प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

चौथी आयोजना के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए शैक्षिक विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किया गया है :––

(i) अध्यापक-शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख कर्मचारी-वर्ग का प्रशिक्षण ।

(ii) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की तकनीकी में अनुसंधान ।

(iii) संस्थाओं में पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, जिसके साथ एक माडल नर्सरी स्कूल सम्बद्ध हो ।

(iv) चुने हुए क्षेत्रों में सीमित संख्या में पूर्व प्राथमिक स्कूल स्थापित करने को प्रोत्साहन देना ।

समाज कल्याण विभाग का भी परिवार और बाल कल्याण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है । इस प्रायोजना के अन्तर्गत विद्यमान बालवाड़ियों को सुदृढ़ करने तथा बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक संख्या में बालवाड़ी स्थापित करने के लिए कारवाई की जाएगी ।

आशा है कि शिक्षा आयोग शिक्षा के सभी स्तरों और पहलूओं पर अपनी सिफारिशें देगा । उनकी सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार स्थिति पर विचार करेगी ।

मजूरी संबंधी आयोजन

740. श्रीमती विमला देवी :
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थापित किये गये विभिन्न त्रिदलीय मजूरी बोर्डों को सहायता देने के लिये इस मंत्रालय ने मजूरी सम्बन्धी आयोजन पर विशेषज्ञों का कोई विशेष दल बनाया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह मंत्रालय उद्योगों में काम करने वालों की मजूरी निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं को निपटाने के लिये मजूरी बोर्डों को किस प्रकार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध करता है; और

(ग) मजूरी निर्धारण संबंधी समस्याओं पर प्रविधिक सलाह देने के लिये क्या मजूरी बोर्डों ने कोई विशेषज्ञ पदाली बना रखी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रत्येक मजूरी बोर्ड के गठन में मालिकों और कामगारों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि और दो स्वतंत्र सदस्य होते हैं, जिनमें से एक हमेशा अर्थशास्त्री होता है जोकि मजूरी निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं में परामर्श देने में समर्थ हो। इस सम्बन्ध में मजूरी बोर्डों की कोई विशेषज्ञ पदाली नहीं है। परन्तु जहां आवश्यक समझा जाय, वहां वे विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में अखिल भारतीय पदालि

741. **श्रीमती विमला देवी :**
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक सम्बन्धों और श्रम कल्याण उपायों के प्रशासन में निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पदालि बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन विशेषीकत विभागों में काम करने के लिए अधिकारियों का किस आधार पर चयन किया जाता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा पदों के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है।

कलकत्ता में टेलीफोन के कनैक्शन

742. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में दिसम्बर 1965 से इस कारण कितने टेलीफोन काट दिये गये हैं कि अंश-दाताओं ने शुल्क की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था;

(ख) क्या यह सच है कि शुल्क की बकाया राशि का भुगतान न करने वालों में मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) शुल्क की बकाया राशि वसूल करने की इस संक्षिप्त प्रक्रिया से मंत्रियों तथा उनके सचिवों को छूट देने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिसम्बर, 1965 तथा जनवरी, 1966 के दौरान 5,582।

(ख) जी नहीं।

(ग) 31 मार्च, 1965 तक जारी किये गए बिलों के सम्बन्ध में 1 अक्तूबर, 1965 को 61 लाख रुपये बकाया थे जिनमें से 38 लाख रुपये की रक़म ग़ैर-सरकारी उपभोक्ताओं की तरफ और 23 लाख रुपये की रक़म सरकारी उपभोक्ताओं की तरफ बकाया थी।

(घ) राज्य के प्रति उनके कामकाज और जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए उनके टेलीफोन इसलिए नहीं काटे जाते जिससे कामकाज में गड़बड़ी न हो। फिर भी पत्र-व्यवहार या व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके बकाया रक़म की वसूली की जाती है।

टेलीफोन लाइन काटना

743. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा सारे देश में अब तक कुल कितनी टेलीफोन लाइनें काटी गई हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गई है; और

(घ) टेलीफोन लाइनें काटने तथा बकाया राशि वसूल करने का काम करने के लिये प्रशासनको कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा और कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कलकत्ता में दिसम्बर, 1965 तथा जनवरी, 1966 के दौरान 5,582 टेलीफोन काट दिये गए। समूचे देशसे सम्बन्धित विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(ख) बिलों का भुगतान न करने के कारण।

(ग) 31 मार्च, 1965 तक जारी किये गए बिलों की समूचे देश में 1 जुलाई, 1965 को बकाया रक़म में से सितम्बर, 1965 के अन्त तक 1.64 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी थी।

(घ) दिल्ली के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। इस सम्बन्ध में किये गए अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

दुर्गापुर में टेलीफोन एक्सचेंज

744. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर परियोजना के स्थल पर नया टेलीफोन एक्सचेंज बन कर पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) सितम्बर, 1966 के अन्त तक इस टेलीफोन केन्द्र के चालू हो जाने की संभावना है।

Secondary Education Extension Administration

745. Shri P. R. Chakraverti :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to transfer the subject of Secondary Education Extension Administration to the States ; and

(b) if so, the details of the decision ?

The Education Minister (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b): The Central Government set up a number of Extension Services Centres in 1955 as a pilot project to promote teacher-development and improve secondary education in the States. With the experience gained with the project, it is now considered necessary that the States should run the Extension Service Centres. The State Governments have been asked to take over administrative and financial responsibility for the Centres with effect from the next financial year.

Pakistani spy employed in a Calcutta Firm

746. Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a firm in Calcutta, manufacturing drugs and cosmetics had employed Pakistani spies in its establishment ;

(b) whether it is also a fact that a British officer of that firm had refused to comply with the Government of India's order to dismiss these Pakistani spies ;

(c) whether it is also a fact that the aforesaid Officer had also turned down the demand of the employees to donate the wages for working on Sundays to the National Defence Fund ; and

(d) if the reply to the above parts be in the affirmative, the action taken by the Government of India against the said British Officer and the firm ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affair (Shri P.S. Naskar): (a) One such firm had a Pakistani employee but there is no information that he was a spy.

(b) & (c). When the Government decided under paragraph 10 of the Foreigners Order, 1948 not to grant permission to the continued employment of this Pakistani in the undertaking, their Chief Executive Officer, who is a British national was reluctant to comply with the order in the first instance. The employee was, however, discharged ultimately. Similarly, the demand of the workers for working on a Sunday for contributing their wages for that day to the National Defence Fund was also eventually acceded to by the Chief Executive Officer of the firm.

(d) A report has been received from the Government of West Bengal and the matter is under consideration.

Investigations against Officers of Delhi Municipal Corporation

747. Shri Yashpal Singh :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the press reports that investigations are proceeding against some officers of the Delhi Municipal Corporation for accumulation of money got by way of bribes ;

(b) if so, whether the investigations against these officers have been completed ; and

(c) further action being taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) It is not clear to what press reports attention of the Government has been invited. Some cases against officers of Delhi Municipal Corporation for accumulation of money alleged to have been obtained by way of bribes have been investigated by the Central Bureau of Inivestigation.

(b) & (c). In some cases the investigations have been completed. A few cases are still under investigation. The cases in which investigations have been completed, have been reported for departmental action.

Delivery of Mails on Sundays

748. Shri Bade : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bagri : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received requests to the effect that in big cities mail should be delivered at least once positively on holidays and Sundays ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ; and

(c) the time by which this scheme would come into force ?

Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jagannath Rao): (a) The delivery of unregistered mails is already being effected by all delivery post offices on holidays. As regard the proposal to introduce a delivery on Sundays also, no such proposal appears to have been recently received. A suggestion to that effect was however made by the Chamber of Commerce and Industry and other representatives in the Central P. & T. Advisory Council meeting held in November 1963.

(b) The suggestion was examined and dropped in view of the heavy expenditure involved in the shape of overtime allowance and the need for giving the staff an off once a week.

(c) Does not airse.

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर

749. **श्री काजरोलकर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण कराची में पाकिस्तान सरकार द्वारा गैर कानूनी तरीके से उपकरण रोक लिये जाने के परिणामस्वरूप इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर के विस्तार कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस विस्तार परियोजना के तकनीकी सहयोग कर्ता ने विस्तार कार्यक्रम को चालू रखने के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया था; और

(ग) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) उपकरण के रोक लिये जाने से निर्माण-कार्यक्रम पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु उनके प्राप्त न होने से हिस्सों-पुर्जों के निर्माण पर अन्ततः इसका प्रभाव पड़ता।

(ख) और (ग) : जी हां। इस प्रयोजना के सहयोग कर्ता बेल्जियम के सर्वश्री बेल टेलिफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने इन मशीनों के प्रदायकों से इन मशीनों के बदले और मशीनें भेजने का अनुरोध किया है। इस बीच इनके बदले मिलने वाली मशीनों के लिये आदेश भेज दिये गये हैं।

उर्वरक कारखाने

750. **श्री काजरोलकर :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री उमानाथ :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री रा० बरूआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री रामपुरे :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों ने भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) उनके सुझाव किस प्रकार के हैं;

(ग) क्या इन सुझावों के बारे में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो क्या नतीजा निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो यह निर्णय सम्भवतः कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) : उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए अमरीका, जापान, इटली और रूस नामक देशों से सहायता मांगी गई है। इन कोशिशों का अन्तिम निर्णय अभी मालूम नहीं है। मांगी गई सहायता सामान्यतः दीर्घ काल ऋण के रूप में है।

कलकत्ता-दिल्ली टैलीप्रिंटर सेवा

751. डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और दिल्ली के बीच टेलीप्रिन्टर सेवा में बार बार अव्यवस्था पैदा हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिसम्बर, 1965 में कुछ अवधियां छोड़कर जब उपस्कर में कुछ खराबियां आ गई थीं, नई दिल्ली और कलकत्ता के बीच टेलीप्रिंटर सेवाएं बिल्कुल व्यवस्थित रही हैं।

(ख) उसी महीने कलकत्ता और नई दिल्ली के बीच की भूमिगत केबल प्रणालियों के सभी रिपीटर और विद्युत उपस्करों को पूरी जांच करके उन्हें व्यवस्थित किया गया और उसके बाद तार प्रणालियों का कार्य-संचालन व्यवस्थित हो गया।

जिला गजेटियर, उड़ीसा

752. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को 1966-67 में जिला गजेटियरों के संकलन तथा मुद्रण के लिये कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तथा (ख) : 1966-67 के दौरान उड़ीसा सरकार को जिला गजेटियर के संकलन तथा मुद्रण पर व्यय होने वाले खर्च का 40 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जायेगा। संकलन के बारे में एक अंक के लिये 6,000 रुपये अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

उड़ीसा के स्कूलों और कालिजों में सभाकक्ष

753. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न स्कूलों और कालिजों में सभाकक्षों के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा 1965-66 में कितनी राशि दी गई; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 11,000 रुपये ।

(ख) उड़ीसा में पांच प्रायोजनाओं के लिए स्वीकृत 28,399 रुपये किस्तों में देने शेष रहते हैं। निर्धारित शर्तें पूरी होते ही यह रकम दे दी जाएगी।

उड़ीसा में डाक व तार विभाग के क्वार्टर

754. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 जनवरी, 1966 तक डाक व तार विभाग के कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये जा चुके थे;

(ख) क्या उड़ीसा में 1966-67 में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर बनाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 610.

(ख) जी हां ।

(ग) 1966-67 के दौरान निम्न क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है—

1. भुवनेश्वर में 120 यूनिटें
2. राऊरकेला में 154 यूनिटें
3. बालासोर में 4 यूनिटें
4. जतनी में 7 यूनिटें
5. कटक में 14 यूनिटें
6. जगतसिंहपुर में 2 यूनिटें
7. फुलबानी में 5 यूनिटें

उड़ीसा में पंचायत समितियों के कार्यालयों के लिये टेलिफोन

755. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को उड़ीसा में कितनी पंचायत समितियों के कार्यालयों में टैलीफोन लगाये जा चुके थे; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य में कितनी पंचायत समितियों के कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 31 जनवरी, 1966 तक उड़ीसा में 130 पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाओं (सार्वजनिक टेलीफोन घरों) की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ख) समयानुसार सामान प्राप्त होने पर 5 पंचायत समिति कार्यालयों और 1966-67 के दौरान 16 अन्य कार्यालयों में टेलीफोन (सार्वजनिक टेलीफोन घर) सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

निर्वाह व्यय सूचकांक

756. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्यतः बढ़ रहा है किन्तु कुछ समयावधियां ऐसी भी रहीं जिनके दौरान वह कम हुआ या स्थिर रहा।

(ख) एक विवरण, जिसमें श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित दिल्ली में औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया गया है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। दिसम्बर, 1965 के बाद के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

दिल्ली के औद्योगिक मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य देशनांक

महीना/वर्ष	मूल आधारपर देशनांक : 1960=100	आधार बदले जाने पर देशनांक	
		1944=100	अगस्त 1939=100
जनवरी, 1965	135	213	556
फरवरी, 1965	133	210	548
मार्च, 1965	130	205	535
अप्रैल, 1965	131	207	540
मई, 1965	130	205	535
जून, 1965	132	209	545
जुलाई, 1965	134	212	553
अगस्त, 1965	137	216	564
सितम्बर, 1965	137	216	564
अक्तूबर, 1965	135	213	556
नवम्बर, 1965	137	216	564
दिसम्बर, 1965	138	218	569

(स्रोत : श्रम विभाग)

स्त्रियों के लिये पोलीटेक्निक संस्थाएं

757. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में (राज्य-वार) स्त्रियों के लिए कितनी पोलीटेक्निक संस्थाएं है; और

(ख) 1966-67 के दौरान देश में (राज्य-वार) स्त्रियों के लिए कितनी पोलीटेक्निक संस्थाएं खोले जाने का विचार किसा गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राज्यवार वितरण इस प्रकार है :--

आन्ध्र प्रदेश	2
असम	1
दिल्ली	1
गुजरात	1
केरल	3
मध्य प्रदेश	1
मद्रास	3
मैसूर	2
पंजाब	1
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1
जोड़	17

(ख) विश्वविद्यालय पोलिटेक्निक में महिलाओं के लिए तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सस्ती अमरीकी पाठ्य पुस्तक

758. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1965-66 में सस्ती अमरीकी पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम (पी० एल० 480 निधि की सहायता से) के अन्तर्गत कितनी तथा किस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित की गई और कितनी प्रमाणित पुस्तकें तथा सन्दर्भ पुस्तकें प्रकाशित की गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 31 मार्च, 1966, तक अमरीका की प्रमाणिक शिक्षा पुस्तकों के पुन: प्रकाशन योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के छपने की संख्या 132 है और इसी तिथि तक ब्रिटेन की प्रमाणिक शिक्षा पुस्तकों के पुन: प्रकाशन योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के छपने की संख्या 158 है । ये मुख्य रूप से विश्वविद्यालय/कालेज और पोलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिये हैं :-

विषयवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

अमरीकी पुस्तकें : 132

कृषि	7
वनस्पति विज्ञान	5
वाणिज्य	2
शिक्षा	3
इंजीनियरी तथा औद्योगिकी	36
भूविज्ञान	5
चिकित्सा विज्ञान	8
भौतिक विज्ञान	6
मनोविज्ञान	6
समाज विज्ञान	8
मानव विज्ञान	1
रसायन विज्ञान	4
अर्थ शास्त्र	5
अंग्रेजी	3
गणित	6
दर्शन शास्त्र	3
राजनीति शास्त्र	10
प्राणी विज्ञान	14

ब्रिटेन की पुस्तकें : 158

कृषि	4
रसायन विज्ञान	8
अर्थ शास्त्र	11
विधि	9
चिकित्सा विज्ञान	19
भौतिक विज्ञान	9
इंजीनियरी तथा औद्योगिकी	66
पशु चिकित्सा विज्ञान	3
प्राणी विज्ञान	3
वनस्पति विज्ञान	1
वाणिज्य	5
भूविज्ञान	1
गणित	16
मानव विज्ञान	3

पुनर्वास उद्योग निगम

759. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में कासिम बाजार की एक कपास की कताई मिल की ओर, मेसर्स बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जिसे पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण के रूप में बहुत सी राशि दी गई थी, ऋण की वापसी तथा व्याज की अनेक किश्तें बकाया हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मेसर्स बंगाल टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड ने काम बन्द कर दिया है तथा मिल बन्द पड़ी है ; और

(ग) क्या ऋण की वसूली के लिये उचित कानूनी कार्यवाही की गई है ताकि इस बड़ी राशि को बट्टे खाते में न डालना पड़े ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । कम्पनी को 9,34,335.84 रुपये दिये गये थे इस धन राशि में से 1,39,889.30 मूल धन की किस्तें तथा 1,04,131.20 रुपये व्याज के 31 दिसम्बर, 1965 तक बकाया रहते थे ।

(ख) जी हां । मिल्स अक्तूबर, 1965 में बन्द कर दी गई थी ।

(ग) जी हां । इस धन राशि को वसूल करने के बारे में उठाये जाने वाले उपाय विचाराधीन हैं ।

केरल में बागान श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि

761. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में बागान श्रमिकों के कार्मिक संघों ने मजूरी बढ़ाने और बोनस देने के बारे में अपनी कई मांगों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिए हैं ; और

(ख) केरल राज्य में बागान श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य श्रम विभाग के अनुरोध से मांगों पर समझौता करने के लिए सम्बंधित पक्षों में अब बात-चीत जारी है ।

केरल में कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि

762. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कपड़ा मिलों के श्रमिकों के कार्मिक संघों ने मजूरी बढ़ाने और बोनस देने के लिये अपनी मांगों के बारे में अभ्यावेदन दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : केरल सरकार से सूचना मंगवाई गई है। प्राप्त होने पर उसे सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

केरल में मिट्टी के तेल का सम्भरण

763. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में परीक्षा के समय विद्यार्थियों को मिट्टी का तेल अधिक देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) राज्य सरकार का मार्च-अप्रल में परीक्षा के समय में बिना बिजली के मकानों में रहने वाले विद्यार्थियों को मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा देने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित वृद्धि प्रति विद्यार्थी एक लिटर है।

कोयला क्षेत्र मजदूर भर्ती संगठन

764. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र मजदूर भर्ती संगठन द्वारा श्रमिकों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बठक के निर्णय को कार्यरूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन एक नियोजक संगठन हैं। इस संगठन द्वारा गोरखपुरी मज़दूरों पर बरते गए नियंत्रण द्वारा कतिपय अवांछनीय प्रथाएं प्रचलित हो गई हैं। कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की सिफारिशों (अगस्त 1964) के प्रकाश में सरकार ने इस मामले पर आगे ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह निर्णय किया है कि ये प्रथाएं, जिनके कारण खानों में नियुक्त गोरखपुरी मज़दूरों और अन्य मज़दूरों में खनिकों के होस्टल में प्रवेश कार्य की शर्तों तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण के मामलों में भेदभाव हुआ है, बन्द की जाएं। इस सम्बन्ध में किये जाने वाले उपायों की रूप-रेखा तैयार की गई है। वह संलग्न विवरण में दी गई है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5550/66**] और कोयला खान श्रम कल्याण आयुक्त, मुख्य श्रमायुक्त, मुख्य खान निरीक्षक आदि संबंधित प्राधिकारियों से उन्हें कार्यरूप देने के लिए कह दिया गया है।

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाना

765. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने के मैनेजर के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है ; और

(ग) ये शिकायतें कहां तक सच हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इन शिकायतों का ध्यानपूर्वक विचार किया गया और उन्हें तथ्यरहित पाया गया।

रेडियो लाइसेंस

766. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो लाइसेंसों में छूट देने की योजना के प्रति लोगों ने बहुत कम उत्साह दिखाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : पिछली नवीयन अवधि के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिए जारी या नवीयन किय गए लाइसेंसों की संख्या कुल चालू लाइसेंसों की संख्या का लगभग दो प्रतिशत है। यह उत्साह प्रशंसनीय समझा गया है।

(ग) इसका प्रचार किया जा रहा है और आगामी नवीयन अवधि में इस प्रकार कार्य को और तेज़ कर दिया जाएगा।

Payment of Bonus to Petroleum Workers

767. Shri Lahtan Chaudhari :Wil the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the All India Petroleum Workers Union have requested the Central Government to intervene in the matter of paymen of bonus to the workers in accordance with the agreement reached with the management;

(b) if so, whether Government has agreed to it; and,

(c) if not, the reasons therefor

Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes.

(b) Although the disput falls in the State sphere and Central Government is not the appropriate Government under the Industrial Disputes Act, 1947 in respect of the oil companies concerned, the officers of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation have looked into the matter and advised the representatives of the managements and the Unions concerned to try to arrive at an amicable settlement under section 34(3) of the Payment of Bonus Act, 1965. The position at present is that negotiations between the parties are in progress.

(c) Does not arise.

Model University Bill

768. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 51 on the 3rd November, 1965 and state :

(a) the reaction to the Model University Bill initiated by the University Grants Commission ;

(b) the steps taken to organise Central Universities on those lines ; and

(c) whether Entry 66 of List No. 1 of the Seventh Schedule of the Constitution has been taken into consideration at the time of taking the decision ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No Model University Bill has been initiated by the University Grants Commission. However, there was a Committee appointed by the Ministry of Education to give a report on Model Act for Universities. The report was sent to the State Government for suitable action. Their reactions were not asked for.

(b) Wherever necessary, the recommendations of the Committee have been and will be taken into consideration while amending the Acts of the Central Universities.

(c) It is not clear what decision is referred to in this part of the question.

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

769. श्री विश्वनाथ राय : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर में उर्वरक कारखाने का निर्माण-कार्य निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : गोरखपुर में उर्वरक कारखाने का निर्माण-कार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रगति कर रहा है।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का नियमित करना

770. श्री शिवचरण गुप्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन कुछ शर्तों पर 1961 में दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने को राजी हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बस्तियों को नियमित किया गया और उन में बने और बिना बने भू-भंडों (प्लाटों) की क्या संख्या थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन को नियमित किये जाने के समय इन बस्तियों में सामुदायिक सुविधाओं के लिये जो क्षेत्र निर्धारित किया गया था, इस बीच वहां पर अनधिकृत निर्माण हो गया है ; और

(घ) ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार अनधिकृत निर्माण की क्या संख्या है और इस मामले में सरकार क्या कदम उठायगी ?

गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : (क) से (घ) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

1960-61 में दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली प्रशासन के परामर्श से 103 अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया है। नियमित करने के लिये केवल उन बस्तियों पर विचार किया गया था जिनका निर्माण 60 प्रतिशत से ऊपर तक हो चुका था। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने 1960-61 में इन अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाने की योजनाओं का अनुमोदन किया था। 9 मार्च, 1964 को मुख्य आयुक्त और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के बीच हुई एक बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि, सामुदायिक सुविधाओं आदि की व्यवस्था में सुधार करने और तथ्यों संबंधी त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से नियमित करने की प्रत्येक योजना की जांच करने के लिये, विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये जिसमें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकार, कस्बा तथा ग्राम योजना संगठन और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय। समितिने अनधिकृत बस्तियों के प्लाट मालिकों और मकान मालिकों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर विचार किया और समिति ने सुझाव दिया कि अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये नियमित आयोजनों की क्रियान्विति और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। समिति ने यह भी सलाह दी कि योजनाओं की क्रियान्विति के लिये नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विस्तृत जांच किये जाने के बाद ही तथ्यों संबंधी भूलों को ठीक किया जाना चाहिये और व्यक्तिगत खाकों में सुधार किया जाना चाहिये।

एक क्षेत्र के लिये जिसमें केवल पार्क, गोपाल पार्क, मजलिस पार्क, आदर्श नगर और पुनर्वास बस्ती शामिल हैं, एक मिश्रित विकास योजना तैयार की गई है और वह निगम के विचाराधीन है। नगर निगम दिल्ली और दिल्ली प्रशासन ने प्रस्ताव किया है कि इन बस्तियों के नियमानुकूलन का व्यय एक आवर्तक निधि से वहन किया जाय; क्योंकि नियमानुकूलित बस्तियों की तथ्य संबंधी भूलों को ठीक करने और सामुदायिक सुविधाओं के संबंध में सुधार करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण चालू हैं, इसलिये अभी यह बताना संभव नहीं है कि नियामानुकूलित बस्तियों में कितने प्लाट खाली पड़े हैं और कितनों पर मकान बनाये जा चुके हैं और यह कि इन बस्तियों में सामुदायिक सुविधाओं के लिये नियत क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों की क्या संख्या है। अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों को गिराये जाने के सुझावों के अतिरिक्त निगम ने सुझाव दिया है कि ये मकानों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये नियामानुकूल योजनाओं को अन्तिम रूप देने के बाद सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित की जाये।

दिल्ली में बिना लाइसेंस के रेहड़ियां, फेरी वाले तथा रिक्शा चलाने वाले

771. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिना लाइसेंस वाले रेहड़ियों, साइकिल रिक्शों, फेरीवालों तथा अनधिकृत कारखानों का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिक बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसे मामलों की सरकारी पड़ताल के फलस्वरूप कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। हो सकता है कि दिल्ली की मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से इस प्रकार के बिना लायसेंस के व्यापार का क्षेत्र कुछ हद तक सीमित हो जाय।

Assistance to Rashtrabhasha Sandesh

772. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are giving any assistance to the publisher of the Hindi Weekly Rashtrabhasha Sandesh, Allahabad and the Hindi Sahitya Sammelan ; and

(b) if so, the nature of the assistance given to them during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) & (b). No assistance is given by the Government of India to the publishers of "Rashtrabhasha Sandesh", Allahabad and "Hindi Sahitya Sammelan Patrika". Financial assistance is, however, given to Hindi Sahitya Sammelan, which is an institution of All India importance, under the scheme of financial assistance to Voluntary Hindi Organisations, for maintenance and implementation of approved projects for the development of Hindi. No financial assistance has, however, been given to the Sammelan during 1965-66 so far.

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा

773. श्री मानसिंह प० पटेल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा दिये जाने के बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने में पंचायती राज संस्थाएं किस हद तक लाभदायक हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) शिक्षा मंत्रालय ने अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

(ख) राजस्थान में नियुक्त की गई इस बारे में एक समिति के अनुमान सकारात्मक तथा नकारात्मक थे ।

मेहसाना टेलीफोन ऐक्सचेंज

774. श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेहसाना टेलिफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज के रूप में बदल दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार के लिये इस ऐक्सचेंज को कब तक स्वचालित एक्सचेंज का रूप देना संभव होगा ताकि जिन लोगों के नाम 1963 की प्रतीक्षा-सूची में थे, उन सबको टेलीफोन दे दिये जायें ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) स्वचल टेलीफोन केन्द्र उपस्कर स्थापित करने से पहले भवन का विस्तार करना आवश्यक है । यह काम जल्दी ही शुरु किया जाएगा ।

(ग) 1966-67 के अंत तक इस स्वचल टेलीफोन केन्द्र के चालू हो जाने की संभावना है । इस बीच 100 लाइनों द्वारा करचल टेलीफोन केन्द्र का विस्तार कर दिया गया है जिससे नये टेलीफोन संयोजन दिये जाएंगे ।

केरल में आन्दोलन

775. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री बासप्पा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में जनवरी, 1966 के अन्तिम सप्ताह में सामान्य रूप से विद्रोह हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) भीड़ ने क्या क्या नुकसान किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं । किन्तु केरल कांग्रेस को छोड़कर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सम्मिलित रूप से "केरल बन्द" नामक एक आन्दोलन किया गया ।

(ख) इसका उद्देश्य राशन में चावल की मात्रा में कटौती के खिलाफ़ विरोध प्रकट करना था

(ग) अनुमान है कि जन-सम्पत्ति को लगभग 1,43,700 रु० की क्षति पहुंची ।

अपराधियों को मजूरी

777. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग में अपराधियों को उनकी जेल में रहने की अवधि के दौरान उनके द्वारा किये गये काम के लिए मजूरी देने की प्रथा विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रथा किन राज्यों में है ;

(ग) प्रत्येक अपराधी को प्रत्येक काम करने के दिन क्या अधिकतम तथा न्यूनतम मजूरी दी जाती है ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या भारत सरकार का विचार अपराधियों को उनके काम के लिए दैनिक मजूरी देने की प्रथा को लागू करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

जेलों में भोजन की मात्रा

778. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय जेलों में अपराधियों की अपेक्षा अभियुक्त कैदियों को कम भोजन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय जेलों में अपराधियों तथा अभियुक्त कैदियों को बराबर भोजन मात्रा देने की प्रथा चालु करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

नजरबंदियों को विविध भत्ता

779. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक नजरबंदियों को 3 रुपये प्रति मास से लेकर 15 रुपये प्रति मास तक का जो विविध भत्ता (सन्ड्री अलाउंस) दिया जाता है वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में प्रसाधनों और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए देश भर में राजनीतिक नजरबंदियों के लिये विविध भत्ते में वृद्धि करेगी ; और

(ग) भारत में कौनसा राज्य राजनीतिक नजरबंदियों को निम्नतम दर पर विविध भत्ता देता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : वस्तुस्थिति यह है कि नजरबन्दियों की राजनीतिक नजरबन्दी नामक कोई श्रेणी नहीं है। इस तथ्य के अलावा नजरबन्दी की शर्तों से मुख्यत: राज्य सरकारों का सम्बन्ध होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों ने खास तौर पर विधि भत्ते के नाम से किसी भत्ते की व्यवस्था नहीं की। किन्तु अन्य भत्ते हैं जिनकी राशि और उद्देश्य अलग-अलग हैं। अत: इस बारे में राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से तुलना करना सम्भव नहीं है। अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने सुविधाएं बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों को आम सिफारिशें दी हैं। इनमें से एक सिफ़ारिश उचित नकद भत्ते की व्यवस्था करने के बारे में थी ।

स्थानीय टेलीफोन काल

780. श्री जं० व० सिं० बिष्ट :

श्री धर्मलिंगम

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय टेलीफोन काल का शुल्क समय के आधार पर लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी दर क्या होगी और इससे कितनी अतिरिक्त आय होने की आशा है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में नजरबन्द व्यक्ति

781. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुरक्षा नियम, 1962 के अन्तर्गत हिरासत में लिये गये त्रिपुरा के राजनैतिक नज़रबन्द व्यक्तियों को बिहार की विभिन्न जेलों में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नजरबन्द व्यक्तियों तथा उनके सम्बन्धियों ने सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें त्रिपुरा की जेलों में, जहां वे समय समय पर अपने सम्बन्धियों से मिल सकें, रखा जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : त्रिपुरा की किसी भी जेल में सुरक्षा बन्दियों के लिये व्यवस्था नहीं है। अतः यह आवश्यक हो गया था कि भारत सुरक्षा नियमावली के नियम 30 के उप-नियम (5) के अधीन नज़रबन्दों को बिहार की जेलों में रखा जाय। इस लिये इस बारे में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों में किये गए अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका। इस ओर ध्यान दिलाया जाता है कि नज़रबन्दों की "राजनैतिक नज़रबन्द" नाम से वर्गीकृत कोई श्रेणी नहीं है।

सरकारी सेवा के लिये हिन्दी का ज्ञान

782. **श्री सझियान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में चयन, स्थायीकरण, वेतन-वृद्धि और पदोन्नति के मामलों में उम्मीदवारों और कर्मचारियों के हिन्दी के ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसको कितना महत्व दिया जाता [redacted]

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : सूच[redacted]त्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

वामपंथी साम्यवादियों द्वारा भूख हड़ताल

783. **श्री कोल्ला वेंकय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में अब तक विभिन्न राज्यों में जेलों में कितने वामपंथी साम्यवादी नजरबंदियों ने भूख-हड़ताल की ;

(ख) इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या भूख हड़ताल करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 5551/66]

शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी

784. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया है ;

(ख) सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) किन किन विश्वविद्यालयों ने अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) विश्वविद्यालय स्वायत्त है। यह उनपर निर्भर करता कि वे अपने पाठ्यक्रमों के लिये कौनसा माध्यम अपनाये।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था

785. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष की अवधि में समस्त भारत में ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था चालू करने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी नहीं।

एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग अब तक निम्नलिखित मार्गों पर चालू कर दी गई है—

1. कानपुर-लखनऊ
2. दिल्ली-आगरा
3. दिल्ली-कानपुर
4. दिल्ली-जयपुर
5. दिल्ली-पटना
6. दिल्ली-लखनऊ
7. दिल्ली-मेरठ
8. आगरा-कानपुर

निम्नलिखित स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने के लिये नई दिल्ली, बम्बई, [illegible] और कानपुर में चार ट्रंक स्वचल केन्द्रों की स्थापना के लिए भी योजनाएं बना ली गई हैं—

नई दिल्ली ट्रंक स्वचल केन्द्र	कानपुर ट्रंक स्वचल केन्द्र
1. नई दिल्ली	1. कानपुर
2. आगरा	2. लखनऊ
3. मेरठ	3. पटना
4. शिमला	4. वाराणसी
5. श्रीनगर	5. इलाहाबाद
6. जम्मू	
7. जालंधर	
8. जयपुर	

9—23 Lok Sabha/66.

बम्बई ट्रंक स्वचल केन्द्र	मद्रास ट्रंक स्वचल केन्द्र
1. बम्बई	1. मद्रास
2. राजकोट	2. बंगलौर
3. अहमदाबाद	3. तिरुची
4. बड़ौदा	4. कोयम्बतूर
5. सूरत	5. मदुरै
6. पूना	
7. बेलगाम	
8. हुबली	
9. नासिक	
10. इन्दौर	
11. नागपुर	

फिर भी ऐसा हो सकता है कि उपर्युक्त सभी स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग चालू करना और ट्रंक डायलिंग केन्द्रों को परस्पर मिलाने का काम आगामी दो वर्षों में पूरा न हो।

(ख) उपर्युक्त योजना पर लगभग 25.37 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

बादली औद्योगिक बस्ती में उद्योगों को टेलीफोन

736. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण बादली औद्योगिक बस्ती में पिछले दो वर्षों से चालू उद्योगों ने काफी समय से टेलीफोनों के लिये आवेदन दे रखा है ;

(ख) क्या उनके लिए अभी तक टेलीफोन मंजूर नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) ये टलीफोन कब तक मंजूर कर दिये जायेंगें ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) : इस समय 10 टेलीफोन संयोजनों की मांग है। इस मांग की पूर्ति करने के लिए इस इलाके में एक टेलीफोन केन्द्र खोलने की योजना है। आशा है यह टलीफोन केन्द्र चालू वर्ष के अन्त तक काम करना आरम्भ कर देगा।

Parents-Teachers' Association, Delhi

787. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri K. C. Pant :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Memorandum has been submitted to the Prime Minister recently by the Delhi Parents-Teachers' Association ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the steps being taken to enquire into the mismanagement of the Education Department and to eradicate the evils ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla.) (a) to (c). No Memorandum from the Delhi Parents-Teachers' Association has been received so far. A Memorandum from the Delhi Parents-Teachers' Council, 38/1, Shaktinagar, Delhi-7 has, however, been presented by the Secretary of the Council to the Prime Minister, in which the Council nas demanded the setting up of a statutory Commission to probe into certain broad and general allegations contained in the Memorandum against the Directorate of Education, Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipal Committee and the managements of private aided schools. The allegations will be examined by the authorities concerned and necessary action taken.

Exploration of Gas in Maharashtra

788. Shri Baswant : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state the name of the places at which natural gas is being explored in the District of Thana, Maharashtra along with the progress made so far ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan) : Natural gas is not being explored for in any part of the Thana district of Maharashtra at present.

विद्रोही नागाओं द्वारा एक गांव पर आक्रमण

789. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने 28 जनवरी, 1966 की रात को मनीपुर-बर्मा सीमा पर एक भारतीय गांव, तारोंग पर मशीनगनों और स्वचालित हथियारों से आक्रमण किया, उसे आग लगा दी और कुनाठ गांव पर कब्जा कर लिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 28 जनवरी, 1966 की रात को नागा विद्रोहियों ने तारोंग गांव पर आक्रमण किया और उसे आग लगा दी। तारोंग गांव पर आक्रमण करने से पूर्व उन्होंने उसी रात में खोंठक गांव पर हमला किया और 10600 रु० की सम्पत्ति लूट ले गए।

(ख) पुलिस दल ने नम्बाशी क्षेत्र की तलाशी ली जहां से विद्रोही नागा आये थे और उनके छिपने का स्थान नष्ट कर दिया। उखरूल थाने में एक मामला शुरू किया गया है और सहायता के कार्य किये गए हैं।

तुंगभद्रा घाटी में खुदाई

790. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा घाटी में खुदाई की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई तथा कौन-कौन सी वस्तुएं मिली हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां। 1963–65 के दौरान जिला बेल्लारी में टेकलकोटा, संगानाकल्लू और कुपागल तथा जिला धारवाड़ में हाल्लूर के स्थान पर खुदाई की गई है।

(ख) (एक) सरकार ने खुदाई पर कोई व्यय नहीं किया है। ये खुदाइयां दक्षिण कालिज स्नातकोत्तर अनुसन्धान संस्था, पूना तथा कन्नड़ अनुसन्धान संस्था धारवाड़ विश्वविद्यालय जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई थीं।

(दो) टेकलकोटा में खुदाई दक्षिण कालिज द्वारा 1963–64 में की गई थी और इस खुदाई में ईसा-पूर्व 1800 वर्ष से ईसा सम्वत् के आरम्भ तक की सभ्यताओं के चिन्ह मिले हैं।

संगानाकाल्लू और कुपगाल के स्थानों पर खुदाई 1964–65 के दौरान दक्षिण कालिज और कर-नाटक विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर की गई थी। संगानाकाल्लू पर जो खुदाई का कार्य किया गया है उससे उस स्थान पर स्वर्गीय डा० बी० सुब्बाराव द्वारा 1948 में किये गये कार्य की पुष्टि होती है और पाषाण युग से 'मेगालिथिक' युग के तक के लोगों के व्यवसायों का पता चलता है। संगानाकाल्ल के पास कुपगल के स्थान पर खुदाई से पता चला कि यहां पर नवपाषाण युग के मवेशियों के चारा-खाने का एक बर्तन था।

हल्लूर पर की गई खुदाइयों से पता चलता है कि वहां पर कौन कौन सी सभ्यताएं आईं। वे सभ्यतायें इस प्रकार हैं :—

(एक) नवपाषाण युग के निम्न श्रेणी के लोग, (दो) नवपाषाण युग के उच्च श्रेणी के लोग और (तीन) एक ऐसा काल जिसमें तीन सभ्यताओं का एक दूसरे पर प्रभाव प्रतीत होता है।

8 दिसम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to Unstarted Question No. 2116 dated 8-12-1965

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 8 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िय :—

(क) और (ख) : 1–8–65 से 15–11–65 तक 710 व्यक्तियों के 144 परिवार पूर्व पाकिस्तान से त्रिपुरा में आये हैं। उनमें से अधिकांश के पास मान्य यात्रा दस्तावेज़ नहीं थे और इसलिये वे अन्य सामान्य सुविधाओं के लिये पात्र नहीं थे। तथापि 40 परिवारों को, जिनमें 202 व्यक्ति थे, शिबिरों में रख लिया गया था। त्रिपुरा के सहायता शिबिरों में रखे गये प्रव्रजकों के मामले में यह निर्णय किया गया है कि जहां तक संभव हो उन्हें अन्य राज्यों में बसाया जाये क्यों कि त्रिपुरा में अब अधिक गुंजाइश नहीं है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों द्वारा रेल मार्ग का उड़ाया जाना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon.

"Blowing up of railway track by Naga hostiles".

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : On 9-2-1966 at about 22-05 hrs. Station Master, Dhansiri, a station on the Lumding-Dimapur Section of the Northeast Frontier Railway, heard a a loud explosion coming from Lumding end. Two Engineering patrolmen while proceeding towards Dhansiri Station after crossing the site of explosion

reported at Dhansiri station that a portion of the Railway track had been blown away near Up Home Signal of that Station. They did not notice any miscreant anywhere around.

Brigade Major, Incharge Diphu Sector, Officers Commanding, Government Railway Police, Railway Protection Force, Special Battalion, Dy. Commissioner, Diphu and other Departmental Officers concerned were immediately informed and all trains on the Section were controlled. Down search light Special, which left Dimapur/Manipur Road Station at 22-45 hrs. arrived at Dhansiri Station at 23-50 hrs. Down Material train also left Dimapur/Manipur Road Station at 23-55 hrs. and arrived at Dhansiri Station at 00-55 hrs. on 10-2-1966. Similarly Up Material train accompanied by local officers which left Lumding station at 00.20 hrs. on 10-2-1966, reached the site of accident at 03.25 hrs.

On inspection of the site, 13 feet of rail on the Southern side was found damaged and broken into pieces between the Up Home Signal and the Up facing points at the Lumding end of Dhansiri station. Two pieces of rail measuring 3 feet 6 inches and 3 feet 2 inches were found near the spot. Explosives appeared to have been fixed at three places as three holes each about three feet in diameter and 1½ feet deep were found at the site. Three pieces of fuse wire were also found on the southern side of the track at a distance of 110 feet. A match box with a burnt stick was also found lying near the place of occurrence.

The pieces of fuse wire, broken rail pieces and other materials have been seized by the Government Railway Police, Lumding who have registered a case under Section 126(A) Indian Railways Act and 26 of Defence of India Rules and are vigorously investigating it. 18 Nagas have been arrested by the Diphu Police on suspicion.

No train was damaged due to the explosion of the track nor any casualty reported. The track was repaired and certified fit at 09.30 hrs. on 10-2-1966 when normal running of trains was resumed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Prime Minister had talks with the Naga Rebels, and they charged the Government of India of burning the Naga Rebels alive, whether Government has criticised these charges, if not, then the causes thereof ? whether Government have some information regarding the explosives used by the Nagas whether Nagas refused to listen to the Peace Mission.

Mr. Speaker : Why can so many questions be replied by the Minister at a time ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : This is not correct. the telegram regarding the burning of the people was received after the talks had ended. Regarding explosives they said that they will try that such incidents may not occur again.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जैसे कि प्रधान मंत्री ने कहा कि नागा विद्रोहियों ने यह आश्वासन दिया था कि स्थिति में सुधार होगा, परन्तु घटनायें तो हो रही हैं, क्या नागाओं के अतिरिक्त भी कोई सैनिक गुट है जो ये हरकतें कर रहा है, और क्या नागा नेताओं के आश्वासनों से स्थिति सुधर जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई ऐसा आश्वासन तो नहीं है, परन्तु मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि गड़बड़ करने वाले लगभग वही व्यक्ति हैं जो यह नहीं चाहते कि शांति वार्ता सफल हो। अतः . . .

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या नागा लोगों ने आपसे यह बात ऐसे ही कही थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने ऐसे ही कहीं थी और वह इससे सहमत थे।

श्री नि० रं० नास्कर (करीमगंज) : पर्यटक लोगों को इस गड़बड़ी की स्थिति से काफी परेशानी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे कौन से पग उठाये हैं कि इस क्षेत्र के लोगों में विश्वास की स्थिति पैदा हो ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सारे मामले पर विचार किया जा रहा है। हम स्वयं भी इस गड़बड़ी से चिन्तित हैं और हमें इस क्षेत्र के लोगों की असुरक्षा का ज्ञान है।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The Prime Minister has stated that there are two types of people among Naga Rebels. One includes those who wish to establish peace but the other group does not want it. I want to know on which basis the Prime Minister has made the statement.

Shrimati Indira Gandhi : I dont know whether the group is one or the other but by looking at the situation it looks like that.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether Government have been able to ascertain that the Nagas received explosives from the Indian Army or they were supplied to them by some foreign power? These people seem to be very powerful.

Dr. Ram Subhag Singh : Police is investigating into the matter, we would be able to tell anything after their report.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : Have any arrangements been made for the Security of the Railways in this area, so that the bigger incidents may not take place ?

Dr. Ram Subhag Singh : Taking into consideration the situation the Security arrangements have been strengthened.

Shri A. P. Sharma : I asked for some permanent arrangement.

Dr. Ram Subhag Singh : Lines and Bridges, and strategic points are very closely guarded. The number of guards have also been increased.

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : जब दिन दहाड़े यात्री गाड़ी पर हमला हो गया था तो तीन महिने पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि दोनों ओर का जंगल साफ करने का प्रस्ताव था परन्तु इसे इसलिये न किया जा सका कि यह केवल केन्द्रीय सरकार का ही उत्तरदायित्व न था। क्या अब इस बात का प्रयास किया गया है कि आसाम और नागालैंड की दोनों सरकारें इस काम को पूरा करें।

डा० राम सभग सिंह : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। इस मामले पर सचिवोंकी आपात समिति में 23 एप्रैल 1963 को विचार किया गया था। आसाम सरकार से जंगल साफ करने की प्रार्थना की गयी थी, और आसाम सरकारने जंगल साफ कर दिया है। और उनकी रिपोर्ट हमारे सामने है। जंगल के बावजूद भी इन तत्वों का मुकाबला करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : आसाम में विमान दुर्घटना के बारे में एक और ध्यान दिलाने की सूचना है। उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे पांच बजे वक्तव्य दें।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं अभी वक्तव्य दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं दोनों को एक साथ नहीं ले सकता।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयलाखान मुखद्वार स्नान (संशोधन) नियम आदि

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : श्रीमन्, मैं श्री शाहनवाज़ खाँ की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत कोयला खान मुखद्वार स्नान (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 13 नवम्बर 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1640 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी-5535/66]**

(2) गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन नियम 1966 की एक प्रति जो दिनांक 5 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 398 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी-5536/66]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च 1965, की जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल औद्योगिक संस्थापनायें (राष्ट्रीय तथा त्योहारों की छुट्टियां) अधिनियम, 1958, की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 289/65, की एक प्रति, जो दिनांक 20 जुलाई, 1965, के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा केरल औद्योगिक संस्थापनायें (राष्ट्रीय तथा त्योहारों की छुट्टियां) नियम, 1959, में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी-5537/66]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अठहत्तरवाँ प्रतिवेदन

श्री स० बा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठहत्तरवां, प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारें में वक्तव्य
STATEMENT RE : SITUATION ON INDIA PAKISTAN BORDER

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-5538/66]**

तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 566 के उत्तर में शुद्धि के बारें मे वक्तव्य
कानपुर के एक उद्योगपति की गिरफ्तारी

STATEMENT RE : CORRECTION TO ANSWERS TO S. Q. Nos. 122 AND 566
Arrest of a Kanpur Industrialist

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : इस बात का खेद है कि क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 566 पर 10 नवम्बर, 1965 और 1 दिसम्बर, 1965 को सर्वश्री यशपाल सिंह और स० मो० बनर्जी के कानपुर के उद्योगपति की गिरफ्तारी और लोहे की चादरें कानपुरसे नारोदा भेजने के बारे में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मामूली सी अशुद्धि हो गई थी। उत्तर में कहा गया था कि उस व्यापारी की जमानत मंजूर होने से पहले उसे क्रमशः 'दो महीने' और लगभग 'एक महीना' बंदी रखा गया था। वास्तविक स्थिति यह है कि वह व्यापारी सक्षम न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने से पहले दो दिन तक बन्दी था।

न्यायाधिश (जांच) विधेयक
JUDGES (INQUIRY) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढाया जाना

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसन्धान तथा सिद्ध करने की और संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया के विनियमानार्थ विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 31 मार्च, 1966, तक बढ़ा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसन्धान तथा सिद्ध करने की और संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया के विनियमानार्थ विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 31 मार्च, 1966, तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी
MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : श्रीमन्, मैं कल कह रही थी कि खाद्यान्नों के उचित वितरण के लिये हमें कोई स्थायी प्रबन्ध करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि कठिनाई के समय के लिये ही प्रबन्ध किया जाये।

सरकार को किसानों के लिये और अधिक सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये। उनसे अनाज की वसूली के बारे में प्रक्रिया सरल की जानी चाहिये। भारत के खाद्य निगम को इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

यहां पर मांग की गई है कि खाद्यान्नों के बारे में क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाये। परन्तु हमें देखना होगा कि क्या व्यावहारिक रूप में इस से लाभ होगा। हमें समूचे देश की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। एक-एक राज्य के लिये नहीं सोचना है। खाद्यान्नों के वितरण के बारे में सभी बातों का ध्यान रखना है। यह प्रसन्नता की बात है कि खाद्य मंत्री कृषि उत्पादन के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम अपने ही देश में अधिक उर्वरक का उत्पादन आरंभ कर दें तो विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि की बचत हो सकती है। हमें इस बारे में अपने देश में ही कारखाने स्थापित करने चाहिये।

देश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिये। जो परियोजनायें अभी तक पूरी नहीं हुई है उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये। आन्ध्र प्रदेश की नागार्जुनसागर परियोजना ऐसी ही एक परियोजना है। इससे खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह ठीक है कि राशन-व्यवस्था अच्छी चीज़ नहीं है परन्तु हमें यह मजबूरी की हालत में लागू करनी पड़ी है। हमें इस संबंध में स्थायी प्रबन्ध करना होगा। और इसे दीर्घकालीन अवधि के लिये लागू करने का प्रबन्ध करना होगा। हमें जाली राशन कार्ड नहीं बनने देना चाहिये और जमाखोरी को रोकना चाहिये।

प्रशासनिक सुधारों को यथाशीघ्र किया जाये यह अधिक अच्छा है। इससे हमारी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रकार से आश्वासन दिया था कि पांचवां इस्पात कारखाना आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जायेगा। अब सरकार को इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लेना चाहिये। कोठागुडम की कोयले की खाने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं। तृतीय योजना काल के लिये 30 करोड़ रुपये कोयला खानों को दिये जाने थे, परन्तु अब तक केवल 12 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मेरी मांग है 4 या 5 करोड़ रुपये तुरन्त दिये जायें ताकि तापीय बिजली घर को कोयला सप्लाई किया जा सके।

मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। यहां पर मांग भी की गई है कि आपत्कालीन स्थिति समाप्त की जाये। परन्तु खेद की बात है कि आज भी वामपंथी साम्यवादी हिंसात्मक कार्यवाहियां कर रहे हैं। सरकार के समक्ष जब इस प्रकार की स्थिति हो तो आपत्कालीन स्थिति समाप्त करते समय इन बातों पर भी विचार करना होगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आज हमारे देश में लाखों लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रश्न पर गोलियां चल रही हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। समाजवाद लाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आपत्कालीन स्थिति में विशेष शक्तियों का प्रयोग सत्तारूढ़ दल के कामों के लिये किया जा रहा है। चीन की ओर से खतरा अभी भी बना हुआ है। राष्ट्रपति ने हमें समृद्ध जीवन के लिये प्रयत्न करने को कहा है।

खाद्यान्नों के बारे में हमारी स्थिति बहुत खराब है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने 1951 में कहा था कि प्रथम योजना काल में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे। आज की स्थिति सब को विदित है। आज विश्व में हमारे देश को खाद्यान्न भेजने के लिये अपीलें की जा रही है। देश के कई स्थानों पर गोली चली है। वहां पर जांच करायी जानी चाहिये। यह सब कुछ सरकार की गलत नीति के फलस्वरूप हुआ है। सरकार देश के लोगों का प्रयाप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध करने में असफल रही है।

इस लोक सभा के समक्ष राष्ट्रपति का शायद यह अन्तिम अभिभाषण है। क्योंकि अगले साल आम चुनाव होंगे। यह लोक सभा कई कारणों से अद्वितीय रही है। हमारे देश पर चीन और पाकिस्तान के आक्रमण हुए। इसी लोक सभा के कार्यकाल में हमारे दो प्रधान मंत्रियों की दुःखद मृत्यु हुई और अब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री हैं। वह एक महान व्यक्ति की पुत्री हैं। मैं आशा करता हूं कि दृढ़ता से कार्य करेंगी। विश्व में सुन्दरता ही सब कुछ नहीं है। हम चाहते हैं प्रधान मंत्री गम्भीरता से विचार करके शासन चलायें।

[श्री हरि विष्णु कामत]

हमारे नये मंत्रिमंडल में दो नये मंत्री हैं। वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री शीघ्र ही इस सदन की सदस्यता के लिये खड़ी होंगी और निर्वाचन के बाद सदन की नेता बनेंगी।

आज हमारे देश की सब से बड़ी समस्या सुरक्षा की तैयारी है। प्रशासन को कार्यकुशल बनाना है और अर्थ-व्यवस्था को सुधारना है।

हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में श्री बीजू पटनायक को क्यों निमंत्रित किया गया था। उनके बुलाये जाने का क्या कारण है। यह वह व्यक्ति है जिन के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की थी और आपके विनिर्णय के अनुसार मैंने उस जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी थी। केन्द्रीय जांच ब्यरो ने इस साल श्री वाल्काट और उनके साथियों को पकड़ कर बहुत अच्छा कार्य किया है। इस संबंध में आप को स्मरण होगा कि श्री बीजू पटनायक का विमान भी गत वर्ष इसी समय और उसी स्थान पर उतरा था .....

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वाल्कोट गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस से पूछताछ की जायेगी। इसलिये .....

श्री हरि विष्णु कामत : मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं। संसद् में इस बारे में वक्तव्य दिया गया था। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तथ्य यह है कि इस मामले की जांच की गई थी और उसमें कहा गया था कि बिजू पटनायक और वाल्काट का आपस में कोई संबंध नहीं था। परन्तु अग्रेतर तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : कोई अग्रेतर तथ्य नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : वाल्काट के साथ उसके कुछ और साथी भी गिरफ्तार किये गये है और भारत के अन्य भागों में की गई उन की करतूतों का अभी पता नहीं है। इस सब की अब जांच की जायगी। मुझे बताया गया है कि वाल्काट गर्व से यह कहता था, कि उस को कोई नहीं छू सकता हैं, क्योंकि उस का सम्पर्क किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से है।

एक और घटना जिस ने देश को आश्चर्यचकित कर दिया, वह केरल के भूतपूर्व राज्यपाल का निंद्य व्यवहार है। दुर्भाग्य से हमारे संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग लगाने के उपबन्ध नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें राज्यपाल के पद से हटाने की बजाय संविधान में संशोधन किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। वह उत्तर प्रदेश वापस आ गय हैं तथा उन्हें उत्तर प्रदेश मेले—जम्बूरी में शामिल होने के लिये कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मझे किसी विशेष शद्व के प्रयोग पर आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें उस का ऐसे उपहासजनक ढंग से प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : समाचारपत्रों में इस से अधिक कड़े शद्वों में आलोचना की गई है। मै समाचारपत्रों तथा संसद् की तुलना नहीं करता। परन्तु मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंग कि संसद् को आलोचना करने का समाचार पत्रों से अधिक व्यापक अधिकार है।

ऐसी संभावना है कि भूतपूर्व राज्यपाल को योजना आयोग का सदस्य बनाया जायेगा। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। यदि सरकार ने उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त करने का साहस किया तो वह भी जनता का विश्वास खो बैठेगी।

नये प्रधान मंत्री के पद धारणा करते ही एक और विचित्र घटना हुई है और वह यह है कि एक उपमंत्री की पदोन्नति कर के उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया है। यह उचित ही किया गया है। परन्तु आश्चर्यजनक यह है कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार उन्ह कुछ अतिरक्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करके सहायक प्रधान मंत्री बना दिया गया है। वह मेरी बधाई के पात्र है। यह न केवल उन की दोहरी उन्नति हुई है बल्कि बहुमुखी उन्नति हुई है।

एक और अति आपत्तिजनक बात है जिस से हमारी लोकतन्त्रात्मक प्रणाली को गंभीरतम आघात पहुंचा है। हम ने पाकिस्तान के आक्रमण तथा चीन के हमले से अपने प्रजातंत्र की रक्षा की है तथा किसी भी अन्य बाहरी शक्ति से इस की रक्षा करेंगे। परन्तु यह आश्चर्यजनक है कि हमारे नेता स्वयं अपनी विवेकहीनता के कारण इस की जड़ो को हिला रहे है। पंजाबी सूब के संबंध में दो समितियों का गठन किया गया है —एक मंत्रिमंडलीय उप समिति तथा दूसरी संसदीय समिति। कांग्रेस कार्य समिति ने भी इस संबंध में एक उपसमिति नियुक्त की है। मुझे इस बात की निश्चित जानकारी है कि पंजाबीसूबा संबंधी संसदीय समिति के कांग्रेसी सदस्यों को कांग्रेस दल के बड़े नेताओं के सामने बुलाया जाता है और उन्हें मामलों में विलम्ब करने को कहा जाता है ताकि कांग्रेस पार्टी इस बारे में पहले निर्णय कर सके और संसदीय समिति का कार्य केवल उस निर्णय का अनुमोदन करना रह जाये। मैं इस का विरोध करता हूं। संसदीय समिति किसी विशेष दल की समिति नहीं है और यह मामला किसी विशेष दल का मामला नहीं है। अतः उन्हें पार्टी के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

अगला मामला कुरुक्षेत्र के उपकुलपति से संबंधित है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति से आशा की जाती है कि वह विद्यार्थियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करें। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति को मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के सभापति द्वारा उनके विरुद्ध की गई जांच के फलस्वरूप राष्ट्रपति के आदेशानसार भारतीय प्रशासन सेवा को मध्य प्रदेश की पदाली से हटाया गया था तथा बाद में उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया। इस मामले की जांच विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात पंजाब के राज्यपाल कर रहे है।

प्रशासन को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये एक प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया गया है। कुछ कारणों से विलम्ब होने पर प्रशासनिक सुधार आयोग अपना कार्य आरम्भ नहीं कर सका है। आशा है कि यह आयोग शीघ्र अपना कार्य आरम्भ कर देगा तथा सरकार इस बारे में आवश्यक सहयोग देगी।

कुछ अन्य मामले भी है जिन से हमें गहरी चिन्ता है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपन प्रतिवेदन सभा में पेश किया है जिस में बताया गया है कि 32 सरकारी उपक्रमों पर धन राशि का मूल अनुमान 500 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1,000 करोड़ रुपये हो गया है, तो भी उन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः आशा है सरकार उन के ढांचे में सुधार करेगी, ताकि उचित लाभ हो सके।

मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय नीति एक समान बनाई जायेगी और आपातकालीन शक्तियों और भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को, जो कि बहुत लम्बे समय से लागू हैं तथा जिन का दुरुपयोग किया जा रहा है, हटा दिया जायेगा। यह एक अनोखी बात है कि लोकसभा के उपचुनावों को भी स्थगित किया जा रहा है। मेरे विचार में इन उपचुनावों को स्थगित करने का कोई उचित कारण नहीं है, यह केवल इस लिए किया जा रहा है कि मंत्रीमंडल में मंत्रियों को राज्य सभा के माध्यम से भर्ती किया जा सकें और उन्हें लोकसभा के लिये चुनाव न लड़ना पड़े। प्रधान मंत्री को लोकसभा के लिये चुनाव लड़ना चाहिये। मद्य निषेध को भी खत्म किया जाना चाहिये।

[श्री हरि विष्णु कामत]

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अल अहराम के सम्पादक को बताया कि उन्होंने 1954 में ही चीन से खतरे का अनुमान लगा लिया था तथा अपने पिता जी को इस बारे में बता दिया था। यह बड़े हर्ष की बात है तथा इससे सिद्ध होता है कि वह अपने पिताजी से अधिक दूरदर्शी हैं। चीन से खतरा बना हुआ है। अतः भारत को, जो विश्व का एक सब से बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, विश्व में शांति और स्वतंत्रता के लिये सारे राष्ट्रों के साथ मिल कर चीन के खतरे का मुकाबला करने लिये पहल करनी चाहिये। यदि भारत, जापान, रुस, अमरीका और ब्रिटेन चीन को संयुक्त चेतावनी दें, तो चीन को आक्रमक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है।

गत सत्र में वैदेशिक कार्य मंत्री श्री स्वर्णसिंहने बताया था कि वह रोडेशिया के प्रश्न पर आफ्रीकी एकता संगठन के राज्यों से संपर्क बनाये हुये है। सरकार को बताना चाहिये कि उसका क्या परिणाम निकला है तथा भारत सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है।

यह बात निन्दनीय है कि अमरीका ने उत्तरी वियतनाम पर पुनः बमवर्षा आरम्भ कर दी है। चीन की युद्धोन्मुख कार्यवाहियों के बावजूद भी रुस, ब्रिटेन और अमरीका के मिले जुले प्रयत्नों से वियतनाम में शांति स्थापित हो जायेगी और निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन दक्षिण वियतनाम का भविष्य निश्चित करने और वियतनाम का पुनः एकीकरण करने के बारे में स्वतंत्र चुनाव हो सकेंगे।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जब सत्ता विपक्षी दलों के हाथ में आ जायेगी, और आज के सत्ताधारी दल को सत्ता से हटा दिया जायेगा तो देश में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली का राज होगा।

श्री हेड़ा (निजामाबाद) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ बातों का जैसे की भ्रष्टाचार की समस्या, बढ़ती हुई कीमतों आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

वास्तव में गत 15 वर्षों में इस वर्ष का राष्ट्रपति का अभिभाषण सब से संक्षेप है अतः यह एक बहुत अच्छी बात है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने खाद्य स्थिति का उल्लेख किया है। मैं खाद्य स्थिति के दो पहलूओं पर प्रकाश डालूंगा। इस वर्ष हमारे सामने अनाज की कमी है और बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने हैं। ऐसा अधिकांशतः फसल अच्छी न होने के कारण हुआ है। पिछले दशक में हमारी खाद्यान्न के उपज की बढ़ोतरी की दर जनसंख्या की बढ़ोतरी की दर से अधिक रही है। परन्तु हमारी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत में भी बढ़ोतरी हुई है। अतः इन दो कारणों से, इस वर्ष फसल का अच्छा न होना तथा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत के बढ़ जाना, हमें खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड रहा है।

दूसरी बात खाद्यान्न की क्षेत्रीय प्रणाली के बारे में है। बहुत से माननीय सदस्यों ने खाद्यान्न की क्षेत्रीय प्रणाली की आलोचना की है। खाद्यान्न के क्षेत्र बनाये रखना कोई आवश्यक नहीं है, चाहे वे क्षेत्र एक राज्य के हों, अथवा कुछ राज्यों के हों या किसी भी क्षेत्र के हों। हमें समय समय पर किसी विशेष प्रणाली के परिणामों को देखते रहना चाहिये और जब आवश्यकता हो इस को बदल देना चाहिये। खाद्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वह स्थिति पर पुनः विचार करेंगे। परन्तु संभव है कि वह मौसम के बीच में कोई कठोर कार्यवाही न कर सकें ऐसा केवल बाद में ही किया जा सकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की वसूली करना है और उसे बहुतायत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को उपलब्ध करना है। इसके तीन ही तरीके है एक तो यह कि अनिवार्य वसूली की जाये और दूसरा निर्बाध व्यापार का उपाय है। ये दोनों ही कठोर उपाय है। अतः एक तीसरा उपाय

यह है कि इन दोनों को मिला कर कोई काम किया जाये और यही उचित उपाय है। इस संबंध में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कि एक घटना का उल्लेख करूंगा। पिछले वर्ष केरल में खाद्यान्न संकट के समय वहां खाद्यान्न भेजना था। अतः हमारे जिले में वसूली के आदेश दिये गये। परन्तु कलैक्टर ने व्यापारियों से कहा कि यदि वे बाजार में आने वाले अनाज का 50% सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सरकार को देने की सहमत हैं तो अनिवार्य वसूली नही की जायेगी और इस तरह से अपेक्षित खाद्यान्न की मात्रा भी प्राप्त हो गई एवं अनिवार्य वसूली भी नहीं करनी पड़ी।

बाजार की हालत बड़ी कठिन हो गई है और इस लिये हमारे सामने नई समस्यायें हैं। बहुत से चीनी कारखानों ने गन्ना उत्पादन करने वालों को गन्ने का मूल्य देने से इन्कार कर दिया है क्योंकि उन का कहना है कि रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से उन्हें पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरे उद्योगों की भी यह हालत है। वे निकायें भी जिनकी पूंजी करोड़ों रुपयों में है 12% तक के ब्याज की दर पर ऋण ले रही हैं। स्थिति पूर्णतः असंतोषजनक है। स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति सरकार से धन मांग रहा है। अतः सरकारी साधनों पर अधिक दबाव पड रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी आर्थिक उन्नति में बाधा होगी। वित्त मंत्री को इस गम्भीर स्थिति पर ध्यान देना चाहिये। ऐसे उपाय किये जाने चाहिये ताकि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिये पर्याप्त धन प्राप्त हो सके।

यह आरोप लगाया गया है कि सरकार केरल तथा उड़िसा में चुनाव इस लिये नहीं करा रही है क्योंकि वह जनता का सामना करने से डरती है। परन्तु यह तर्क ठीक नहीं है। कांग्रेस सब से बड़ा राजनीतिक दल है और यदि लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव किसी राज्य में भिन्न भिन्न समय पर कराये जाते हैं, तो इस से सब से बड़ा लाभ कांग्रेस को ही होगा। यह चुनाव तो केवल इसी लिये स्थगित किये जा रहे है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हो सकें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने मांग की है कि आपातकालीन स्थिति समाप्त की जाय एवं विधान सभाओं और लोक सभा के उप चुनावों को स्थगित न किया जाये। मेरा मत है कि हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ है और ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पाकिस्तान से खतरा टल गया है। चीन से अभी खतरा बना हुआ है परन्तु यह खतरा तो बहुत समय तक बना रहेगा और अभी निकट भविष्य में समाप्त नहीं हो सकता। अतः हम आपातकालीन स्थिति बहुत समय तक नहीं रख सकते। इसका कोई औचित्य नहीं है। उप चुनाव न कराना कोई अच्छी बात नहीं है। इस से हमारे लोकतंत्र को न तो शक्ति ही मिलती है और न ही इस से लोकतंत्र की शक्ति प्रकट होती है। हमें आपाताकाल समाप्त कर देना चाहिये ताकि विधान सभाओं और लोकसभा के लिये उप-चुनाव कराने में आसानी हो। उप-चुनावों से लोकतंत्र की शक्ति मिलती है। तथा इस से जनता का मत प्रकट हो जाता है और सरकारी नीतियों को भी जनता के मत के अनुसार बदला जा सकता है।

यह बहुत हर्ष की बात है कि एक बहुत अच्छे सुधार आयोग का गठन किया गया है। हमें आशा करनी चाहिये कि आयोग की रिपोर्ट के दूरगामी प्रभाव होगें। आयोग के रिपोर्ट मिलाने से पहले ही हमें नौकरशाही के कारणों से विलम्ब को दूर करने के उपाय करने चाहिये। प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये।

इन शद्वों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri G. S. Musafir (Amritsar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Motion of Thanks moved on the President's Address. Hon'ble Members participating the debate have expressed their opinion both in favour of the Address and against it, with special reference to the Tashkant agreement I have full sympathy with the sentiments expressed by the hon. Members against the Tashkant agreement, but I am unable to agree with their views. It has been alleged that it is against our self respect and self honour to enter into agreement with those who are against us and it is rather cowardice on our part. But it is

[Shri G. S. Musafir]

wrong to think in these terms. It is wrong to say that talking of peace is a sign of cowardice and it is against our self respect. It should be borne in mind that only a brave man can support peace. Our forces have fought with great valour and they have shown to the world their bravery. Our soldiers are very brave people and they are ready to sacrifice their life for the honour of the country. But I want to point out that our brave soldiers also desire peace and I have seen with my own eyes just after four hours of cease fire that the conditions at the front have changed. When I reached Dograi just after four hours of cease fire I saw one of our Brigadier was saying to a military officer on the other side of the cease fire line to take away the dead bodies of their soldiers lying on this side of ceasefire line in a very calm tone. The fact is that we have never desired war and we have never thrust war on others. We have only defended ourselves, whenever war was thrust upon us and we have defended ourselves very bravely. Our ultimate aim has always been and will always be peace. It has been our good fortune that the man who was at the helm of affairs in the country at that unfortunate time of fighting was a very competent man and he had lead the nation to victory. He has been equally victorious in his attempts for peace. We have fought the war very bravely, now we should fight for peace with same bravery. I have full confidence in the ability of the present Prime Minister and I hope she will lead the nation to glory. Now as Pakistan has signed the Tashkant agreement, whatever the reasons may be behind it, we must follow the agrement in better and spirit. A heavy responsibility has fallen as a result of Tashkant agreement we have to follow it, but at the same time I would like to say that there should be no slackness in our defence efforts.

The conflict with Pakistan has resulted in heavy loss of life and property in Punjab. The border district of Amritsar had been the worst sufferer. Punjab has suffered a loss of Rs. 50 crores and ten thousand families have been rendered homeless. Crops worth 183 lakhs of rupees have been distroyed and many cattle heads have perished. Indeed the entire State of Punjab including the districts of Kangra, Ludhiana, and Hoshiarpur have been involved in this fighting. It is very gratifying to note that the people of Punjab have suffered these losses with smiles on their faces and they have shown excellent sense of duty and patriotism.

It has been shown that Punjab is doing best work for the defence and prosperity of the country. But it is horrifying to note that the State has been neglected while providing funds under the five year plans. It is thought that the total outlay of the Fourth Plan would be Rs. 3000 crores and Punjab would get only Rs. 2.5 crores. I am not pleading for provincialism. I am only stating facts. Now as cease fire has been agreed upon this Government owes great responsibility to Punjab. A large number of people had been uprooted from their homes in the border districts of Punjab and they had to be rehabilitated. The war had also affected agriculture and industries in Punjab. It is sad that Punjab has not received enough money in the Plans. No big industries had been set up there. A large number of engineers, technical diploma holders, and skilled workers are unemployed as a result of lack of industries or the present industries being out of production. The factories in Amritsar are not getting raw material. Government should pay due attention to the difficulties of those people who had played an important role in the defence of the country. The Government of India should give some extra facilities to the factories in Punjab and purchase stores from them needed for their defence and other departments and thus encourage those brave people living in the border State.

As stated by my Hon. friend Shri Kamath, a Parliamentary Committee has been constituted under the Chairmanship of the Hon. Speaker to go into the question of Punjabi Suba. It is hoped that Government would consider with an open mind the demand for a Punjabi Suba and give due considerations to the findings of the Committee, when its report is presented ; and would be able to solve this problem.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : प्रत्येक वर्ष की भांति राष्ट्रपति के अपने अभिभाषण में आर्थिक समस्याओं को हल करने और विश्व में भारत के सम्मान बढ़ाने की बात कही है। सरकार दावा करती है कि देश में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद स्थापित किया जायेगा, परन्तु वास्तव में पूंजीवादी विकास के मार्ग पर चलने के कारण अर्थव्यवस्था की दशा खराब हो गई है।

सरकार पूंजीवादी एकाधिकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रही है। यह नीति लोकतन्त्र के विपरीत है। इससे अराजकता आदि को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफलता और अव्यवस्था दिखायी पड़ती है। उसकी वर्तमान नीति संकटकालीन और भारत रक्षा कानन के नियमों द्वारा शासन की नीति है।

संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित नेशनल एकाउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स की 1964 की वार्षिकी में 70 देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के तुलना करने योग्य आंकड़े दिये है। भारत का नीचे से तीसरा स्थान है जिससे यह स्पष्ट है कि तीन योजनाओं के बाद भी भारत सब से गरीब देश है। साम्राज्यवादी देशों से सहायता तथा ऋण की मात्रा बराबर बढ़ रही है और अब इतनी बढ़ गई है कि देश की स्वतंत्रता तथा उसके मान को खतरा पैदा हो गया है। दूसरे ऋण की अदायगी के भार के कारण देश की वित्तीय कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत 2600 करोड़ रुपये का जो ऋण लिया जायेगा उस में से 1500 करोड़ की राशि तो केवल क़र्जों की अदायगी में ही व्यय हो जायेगी। यह क़र्ज़ें साम्राज्यवादी देशों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमरीका से लिये हुए हैं। विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में संकट इस लिये पैदा हुआ है कि विदेशी पूंजी द्वारा हमारे देश का शोषण किये जाने पर कोई रोक नहीं है क्योंकि सहयोग सम्बन्धी क़रार इस शर्त पर किये जा रहे हैं कि विदेशियों द्वारा तकनीकी सहायता व जानकारी तब ही मिल सकती है जब कि कारखानों में उनके अंश ज्यादा होंगे। सारे एशिया में भारत ही ऐसा देश है जिस से अमरीकी व अन्य पूंजीवादियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच रहा है। हमारे कारखाने इस तरह बनाये जा रहे हैं कि हमारी आयात करने की आवश्यकताएं बजाय कम होने के बढ़ रही हैं। ऐसा अनुमान है कि आयात की कठिनाइयों के कारण हमारी 40% उत्पादक क्षमता व्यर्थ चली जायेगी। सरकार कहती तो यह अधिक है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए परन्तु हमारे वैज्ञानिक व कारीगर ऐसा माल नहीं बना पा रहे जो आयात किये हुए हर माल का स्थान ले सके और इस प्रकार हमारे कारखानों को हानि हो रही है।

अत: सरकार की जो वर्तमान नीति है उस से हम साम्राज्यवादियों के आश्रित होते जा रहे हैं। सरकार रूस जैसे समाजवादी देश से सहायता लेकर बुनियादी उद्योगों का विकास नहीं कर रही। वह उस सहायता को अमरीका तथा दूसरे पूंजीवादी देशों से सौदा करने की शक्ति के रूप में प्रयोग कर रही है। इसका परिणाम यह है कि सरकार अब उन बातों को भी छोड़ रही है जिन के बारे में वह इस सभा में आश्वासन दे चुकी है। आज के समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस्पात के कारखानों के स्वामित्व में विदेशी तथा यहां की एकाधिकार पूंजी का अधिक अंश होगा। इससे सरकार की देश को आत्मनिर्भर बनाने की नीति समाप्त हो रही है और आर्थिक क्षेत्र में देश बराबर साम्राज्यवादी देशों पर निर्भर होता जा रहा है।

कुछ समय पूर्व हमारी सरकार ने विएतनाम में हो रही बमबारी पर अपना विरोध दिखाने की हिम्मत की थी परन्तु अब सरकार ने उस नीति को त्याग दिया है। संसार के सारे देश अमरीका द्वारा विएतनाम में किये जा रहे आक्रमण के विरुद्ध हैं। परन्तु इस सम्बन्ध हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। इस समय हमारी सरकार विएतनाम में हो रही बमबारी का विरोध इस लिये नहीं

[श्री दिनेन भट्टाचार्य]

कर रही कि कही संयुक्त राष्ट्र अमरीका नाराज होकर हमें गेहुं देना बन्द न कर दे । अत: हमारी नीति में परिवर्तन हो रहा है जो कि हमारी स्वतंत्रता तथा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है ।

कुछ लोग कहते हैं कि चीन हमारा परम शत्रु है । परन्तु मैं कहुंगा कि चीन नहीं अमरीकन साम्राज्य-वादी हमारे मुख्य शत्रु हैं । जो हमारे क्षेत्र चीनियों ने ले रखे हैं हमे उन से वे खाली कराने चाहिये । चीनी हमारी आज़ादी को नहीं छीन सकते परन्तु अमरीकन साम्राज्यवादी अवश्य हमारी स्वतंत्रता को छीन सकते हैं ।

अब मैं कुछ अपने राज्य के बारे में कहुंगा । बसीरहट में कांग्रेस पुलीस द्वारा मारे गये दस वर्षीय बालक नूरूलअमीन पर मुझे बहुत तरस आता है । वहां पिछले तीन दिनों में तीन बार गोली चलाई गई है । अब गोलियां अधिक सस्ती हो गई हैं । अन्न मांगने, उसके लिये आन्दोलन करने, तथा उस सम्बन्ध में आलोचना करने पर पुलीस गोली चलाती है । पश्चिम बंगाल में यह सब कुछ दिनों से चल रहा है । श्री कबीर ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह आज के समाचार पत्रों में छपा है। उन्होंने इन घटनाओं की जांच के लिये नहीं कहा है बल्कि खाद्य नीति जिस प्रकार कार्यान्वित की जा रही है उसकी जांच कराने के लिये भी कहा है । इस सभा में कल जो गोली काण्ड तथा खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में जांच कराने के लिये मांग की गई थी मैं उस मांग को ज़ोर देकर दुहराता हूं । मैं ने स्थिति स्वयं देखी है । वहां चावल मिल रहा है परन्तु 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव मिल रहा है। अब फसलों के कटने का समय है परन्तु लोगों को चावल का अभाव ही रहेगा । मैं खाद्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह देश के उस भाग में जा कर स्थिति की स्वयं जांच करें।

केरल में खाद्य समस्या के सम्बन्ध में सदस्यों ने कहा था कि अन्न की वितरण व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिये । औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां राशनिंग लागू है, लोगों को 1,000 ग्राम प्रति सप्ताह मिलता है । केरल में 140 ग्राम मिलता है और बंगाल में केवल 129 ग्राम ही दिया जाता है । परन्तु उडीसा में रुरकेला स्थान में जहां राशनिंग है, 2,000 ग्राम प्रति सप्ताह अन्न मिलता है । इतनी भिन्नता क्यों है । यही हालत मद्रास, आंध्र प्रदेश तथा दूसरे स्थानों पर है । मैं नहीं समझता कि ग़रीब बंगालियों को केवल 129 ग्राम क्यों दिया जा रहा है । क्या यह इसलिये है कि हम इस प्रकार अन्न का अभाव दिखा कर अमरीका से गेहुं लेने की एक दलील बना रहे हैं ? यदि हम ऐसा न करें तो शायद अमरीका अपने गेहूं को हमें न दे कर समुद्र में फेंक दे । मैं यह मानता हूं कि खाद्यान्न की कमी अवश्य है परन्तु इतनी नहीं है जितनी पश्चिम बंगाल तथा देश के क्षत्रों में बतलाई जा रही है ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पश्चिम बंगाल में शहरी वा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाने के लिये कहूंगा । ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशनिंग व्यवस्था चल रही है वह एक ढोंग है । राज्य सरकार की नीति से जमाखोरी बढ़ रही है और इस तरह लोगों की कठिनाई बढ़ रही है । मैं इस मामले में तथा गोली-काण्ड में न्यायिक जांच कराने के लिये आग्रह करता हूं ।

अभी हाल ही में मिट्टी के तेल के बारे में मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है जिस में उन्होंने आंकड़े दिये थे । हम आंकड़ों से तंग आ चुके हैं । मैं उन से कहूंगा कि वह सेरामपुर जाकर स्वयं देखें कि वहां लोग पंक्ति बनाये तेल के लिये घंटों खड़े रहते हैं । क्या इस से यह पता चलता है कि सरकार कमी दूर कर रही है ? विदेशी कम्पनियां एसी कठिनाइयां पदा कर रही हैं । अत: सरकार इस संम्बन्ध में भी जांच करे ।

आज श्री हाथी ने केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों में बचत किये जाने के बारे में कहा है । यह देखना है कि परियोजनाओं में क्या स्थिति है । भिलाई में 10,000 लोगों की (या जैसा कि श्री श्रीकान्तन नायर कहते हैं 20,000 लोगों की) छटनी की जाने वाली है। यह लोग वहां 10-12-15 वर्षों से काम कर रहेहैं । वे अपने कार्य में सिद्धस्थ ह । इन में कुछ फिटर, मैकेनिक तथा मिस्त्री

हैं। जब स्थानों की पूर्ति करनी होती है तो नये व्यक्ति लिये जाते हैं। इसी प्रकार रेल विभाग में विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत बहुत से लोग रखे गये थे परन्तु अब उनकी छटनी की जाने वाली है। हमारे देश को कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है परन्तु मैं नहीं कह सकता कि यह लोग क्यों निकाले जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि कलकत्ता में काम कर रहे तथा वहां आस पास में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ भेद भाव किया जा रहा है। कलकत्ता में काम कर रहे तथा कलकत्ता में ही रह रहे कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। वह किसी डाक्टर से दवाई लेकर उसका मूल्य तथा डाक्टर की फ़ीस सरकार से ले सकता है परन्तु वह कर्मचारी कलकत्ता में रहता है और केवल 8 मील दूर उत्तरपाड़ा में रहता है इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता।

अब मैं यह कहूंगा कि इस आपात को खत्म करना चाहिये। अब आपात के बनाये रखने के लिये कोई कारण नहीं है। सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी ने अपने रिटायर होने के बारे में अपने एक वक्तव्य में जो कि उन्हों ने सेना दिवस पर दिया है कहा है :

"सुव्यवस्थित शासन काल में सामान्य सरकारी जीवन के पश्चात् सेवा-निवृत्ति बिलकुल ठिक बात है। इस सम्बन्ध में नियम हैं और आपात के समाप्त होने पर उनका पालन किया जाना चाहिये।"

तो इस प्रकार आपात कहां है? जनरल चौधरी कहते हैं कि कोई आपात नहीं है। केवल नन्दाजी अपने 'लट राज' को रखने के लिय कहते हैं कि आपात अभी बनी रहे।

अभी हाल ही में नन्दा जी ने कहा है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का पालन सावधानी से किया जावे। परन्त बंगाल में केवल चावल की मांग करने पर गोली चलाई गई है। 1000 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया है। क्या यह भारत प्रतिरक्षा नियमों का सावधानी से किया गया प्रयोग है? उधर बम्बई में 28 ता० को लोग सरकार की नीतियों के विरूद्ध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहां जबरी छट्टी हो रही है, छंटनी की जा रही है और कारखाने बन्द किये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोग अब सरकार के विरूद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। आपात व भारत प्रतिरक्षा नियम उन को नहीं रोक सकते।

श्री रा० मि० दुबे (बीजापुर-उत्तर) : अभी हाल ही में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की गट-निर्पेक्ष नीति से देश को अधिक हानि हुई है। मेरा मत है कि ऐसा कहना उचित नहीं है। कुछ समय पूर्व जब मैं मध्य पूर्व देशों में था तो मैं ने वहां देखा कि लोग अभी भी गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। वास्तव में नेहरू जी व गांधी जी ने एफ्रो-एशियाई देशों को उत्साह दिया था और यह उन्हीं के कारण था कि स्वतंत्रता आन्दोलन को गति प्राप्त हुई थी।

गुटनिर्पेक्ष नीति की आलोचना करना है ग़लत है। इस नीति का उद्देश्य यह था कि एशिया तथा अफ्रीका के देश गुटों से अलग रह कर पहले अपने उद्योगों तथा अपनी शक्ति बढ़ाये ताकि बाद में खतरों का मुकाबला कर सकें। इस तरह नेहरूजी की नीति व्यावहारिक दृष्टिकोण से बिलकुल ठीक थी। नेहरूजी के समय में बहुत से उद्योग सरकारी क्षेत्र में खोले गये और समाजवादी समाज की स्थापना के लिये नीव डाली गई।

ताश्कन्द घोषणा पर प्रजा सोशलिस्ट दल तथा समाजवादी दल को छोड़ कर क़रीब क़रीब सब दलों ने अपनी सहमति तथा समर्थन प्रकट किया है। आलोचना में कहा गया है कि इस बात की क्या गारन्टी है कि पाकिस्तान भी इस घोषणा का सच्ची भावना से पालन करेगा। मैं कहूंगा कि क्या पाकिस्तान इस घोषणा से नैतिक रूप से बाध्य नहीं है? यह समझौता पुराने समय की संधियों से कहीं अच्छा है। संधियों किसी न किसी कारण से रद्द हो जाया करती थीं परन्तु इस घोषणा में नैतिक चोट्टा होने के कारण आशा है कि इसका पालन अधिक समय तक व

[श्री रा० गि० दुबे]

अवश्य होगा। सेनाओं को पीछे हटाये जाने का कार्य ताशकन्द घोषणा से ही सम्भव हो सका है। रूस और अमरीका संसार की दो बड़ी अणु शक्तियां हैं। वे जानते हैं कि परमाणु युद्ध से कितनी बरबादी होती है। अत : वे युद्ध नहीं चाहते। दूसरे देश भी यही चाहते हैं कि युद्ध न हो क्योंकि उस में यह बड़ी अणु शक्तियां भी आ जायेंगी। अब केवल चीन ही ऐसा देश है जो शांति नहीं चाहता। वह खून खराबा और युद्ध चाहता है। अत : चीन और रूस के विचारों में बहुत भिन्नता है। इस समय इन्दोनेशिया में चीन को मूहं की खानी पड़ रही है। विएतनाम में भी चीन से कुछ अच्छाई की आशा नहीं है। चीन संसार के लिये खतरा बन गया है। अत: हमारी गुट-निर्पेक्ष नीति असफ़ल नहीं हुई है। शास्त्री जी ने ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर कर के बहुत बड़ा कार्य किया है। 18 महीनों के छोटे से समय में उन्हींने बहुत सी समस्याओं को हल किया तथा इतना यश प्राप्त कर लिया था।

अब आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में मैं पहले एकाधिकार आयोग पर हुई अभी हाल की चर्चा के बारे में कहूंगा कि इस आयोग की बिलकुल आवश्यकता नहीं थी। इस समय यह अधिक आवश्यक है कि आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित किया जाये और माली मामलों का इस प्रकार नियंत्रण किया जाये कि समाजवादी समाज की रचना हो सके। यह अच्छा है कि श्री मोरारजी देसाई जैसे योग्य व्यक्ति प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये गम्भीरता से क़दम उठायेगी ?

खाद्य समस्या के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि श्री सुब्रह्मण्यम अच्छा कार्य कर रहे हैं। खाद्य की समस्या बहुत जटिल है। मैसूर राज्य में अभी हाल में सूखा पड़ चुका है और वहां खाद्य की कमी भी है परन्तु मैं इस बात का बतंगड़ नहीं बनाया चाहता। मैं यह मानता हूं कि हमें खाद्यान्न के लिये भीख नहीं मांगनी चाहिये। हमें कलकत्ता तथा बंगाल को खाद्यान्न भेजना चाहिये। हमें अपनी खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। परन्तु इस खाद्यान्न के मामले में जो झगड़े और गडबड़ियां होती हैं उनको बन्द करना चाहिये क्योंकि इस तरह समस्या और भी जटिल हो जाती है। खाद्य समस्या झगड़ों और आन्दोलनों द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती।

खाद्य तथा कृषि के सम्बन्ध में मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। प्रथम, एक ऐसी समिति बनाई जाये जिस में ज़िलाधीश, संसद सदस्य तथा जनता के भी कुछ सदस्य हो और यह ज़िले के स्तर पर कार्य करे। रोज़ाना पैदा होने वाली समस्याओं का अध्ययन करे और इस समिति को कुछ अधिकार तथा शक्तियां होनी चाहिये जिस से किसानों को माली मदद उन के घर पर ही मिल जाये और समय लालफ़ीता शाही में नष्ट न हो।

केवल खाद और कृषि यंत्रों की बात करने से कुछ काम नहीं चल सकता। किसान यह इन सब की आवश्यकताओं को समझते हैं। सवाल माली सहायता का है। अगर वह समय पर मिल जाती है तो सब ठीक हो जाता है नहीं तो स्थिति वहीं की वहीं रहती है। केवल "अन्न अधिक उगाओ" आन्दोलन पर वक्तव्य देने से कोई फल नहीं निकलता। अत : मैं खाद्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि किसान की जो कठिनाइयां खेत पर हैं उनका अध्ययन उसके कार्य-स्थल पर ही होना चाहिये न कि बड़े बड़े शहरों में इन मामलों पर बात चीत की जायें। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I am afraid the members of the opposition, especially the leftists and Communists, do not try to fallow the delicacy of the situation and speak out whatever they like. Shri Bhattacharya has just now opined that the emergency need no longer be continued. Whether the aggression committed by China in 1962-63 has been vacated yet ? How can the emergency be lifted before we recover our territories already in the possession of the enemy ? China is still busy making preparations on our borders. When the

possibility of a war breaking out any time is still there, how can the emergency be lifted? We are still in an state of emergency and it will end only when we have entered into an agreement with China also, as we have executed one with Pakistan at Tashkent. Then only we can rule out an immediate possibility of a war breaking out with China.

Similarly, some Hon. Members want that the Defence of India Rules also be abrogated. But there are leftists and fifth-columnists who are itching for sabotage. Besides, the problem of intruders is still the same. There are people who want to praise the Chinese who are always seeking apportunity to commit further aggression. In the circumstances, abrogation of the Defence of India Rules is completely ruled out.

We have a democratic form of Government here. Unlike, China and Pakistan, we do not have a dictatorship here. Everything is done in conformity with the decisions of the majority parties, duly elected by people of the country.

Therefore, every action is backed by the majority party's decision and considerations for the welfare of the nation as a whole.

While I support the motion of thanks on the President's Address. I want to make some concrete suggestions which if followed by the Government, most of our problems could be successfully solved.

By way of example, I would tell you that our constitution guarantees equality of opportunity, and treatment, irrespective of one's residence or other things. This has been much repeated and talked about. It was duly honoured till the third Five Year Plan but how far in has been implemented has not been mentioned by the President. A number of reports have been issued on the personal level. For example, the Lokanathan Report concerns itself with development and the Planning Commission has brought out a publication entitled "Economic Development in Different Regions." The latter deals with development in different regions. Uniform plans have been made with a view to secure planned expenditure but what I am seeing is that the expenditure is controlling the plans. This results in much loss in that whenever State Governments demand money for the plans, it ordinarily takes 9 to 10 months before they receive the amount, but by then the financial year is over and they have to expend the whole amount by the 31st march. The whole money is not spent over a period of a full financial year and has to be spent within a month or so and the work remains incomplete and the purpose of the plan is defeated. I would request the Government to see to it the expenditure is made in a planned way and not that the plans are controlled by the expenditure.

One of the reports of the Planning Commission says that there are five regions in the country, namely, the Northern, Central, Eastern, Western and the Southern. Some of these regions are backward ones and no particular efforts are being made to bring them up to the level of development in other regions. On page 4 of the Report it has mentioned that the irrigated area under the First Plan was : 16% in the Central region, 24% in the Northern region ; 19% in the Eastern region, 23% in the Southern region ; 6% in the Western region. Similarly, so far as installed generating capacity is concerned, it is 1147 Megawatts in the Eastern region ; 803 megawatts in the Western region, 636 megawatts in the Southern region ; only 465 megawatts in the Central region, and 236 megawatts in the Northern region.

So also is the case with the State resources and discriminatory methods are used while granting aids to the State Governments.

[Shri M. L. Dwivedi]

Neither the Government nor the Planning Commission have seen to it that the backward areas may be brought up to the level of other developed regions. A committee to suggest ways for development of the Eastern districts in U.P. was formed but its report does not appear to have been implemented yet. Similarly, Government has given no attention to the development of a very much backward area known as Bundelkhand in Southern Uttar Pradesh. This has resulted in the backward areas getting all the more backward and the developed ones becoming yet further developed. I suggest an investigation be made into these matters and the backward areas brought up to the level of the developed ones.

I find that of late certain elements threatening the working of democracy have come into force. For example, it was decided after deliberations at the Jaipur session that the food zones being unnatural, may be dispensed with. But the following day, a meeting of the Chief Ministers was called and it was declared there by the Food Minister that the food zones could not be dispensed with. On the very first day of the present session also, it was demanded both by the opposition and the Congress that the food zones may be dispensed with now but the Food Minister has not paid any attention to it. He is an able man but in spite of the Food Ministers best efforts, the prices of wheat are different from district to district. At one place it sells at 100 rupees a quintal while in the other district the price is 120 rupees a quintal. Except making an allowance for the varying transportation charges, there should not be so much difference in prices from place to place. The hoarders of foodgrains are practising blackmarketing.

I request that the Food Minister should follow the decision of the duly elected Members of Parliament, who are representatives of the people, and not what the Chief Ministers dictate.

Now I want to draw attention of Government to a question, which,were it not for its violating the Constitution, I would not have raised at the present inopportune time.

The Constitution declares that the official language of India will be Hindi but an Act provides : "English can continue to be used in addition to Hindi". What is actually going on is "Hindi need not be used in addition to English". If some people are against Hindi, English may also be used along with Hindi but the orders issued by the President in 1960 that Hindi should be used in the Union Public Service Commission, have not been followed so far.

Similarly, the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri's assurance that after that Act Hindi would become the official language of India and also the medium of answers in the U.P.S.C. After agitation in the South, it was also decided that other languages which were fully developed ones, might also be used as medium of answer in the U.P.S.C., but these things have not been implemented so far. The Government should implement what the whole country desires and those languages which are being taught at the University level, may be made medium of answer in the U.P.S.C.

With regard to the defence matters, I would say that in spite of the Taskent Declaration which we will follow sincerely, we should not let our defence preparations slacken. We are still passing through a critical time and darger from China is as grave as ever. We should have all modern armaments so that we may not be regarded a weak country. I support the motion for thanks on the President's address.

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने जाने पर बधाई देता हूं। उन्हें श्रीलंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनाय की भान्ति देश को साम्यवाद की ओर ले जाकर हानि नहीं पहुंचानी चाहिये। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में नई सरकार का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अब स्वतन्त्रता के संग्राम में भाग लेने वाले युवा अवस्था वाले लोग सरकार में आये है। अब श्री सत्यनारायण सिंह सभा के नेता बनाये गये है। हम आशा करते है कि वह नया काम कुशलतापूर्वक करेंगे। कांग्रेस पार्टी में नई पीढी के भी अच्छे अच्छे कायकर्ता है। हमें आशा है वे अच्छा कार्य करके जनता की प्रशंसा और मान के पात्र बनेंगे।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : श्री संजीव रेड्डी ने जब वह आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और वहां के परिवहन विभाग के मंत्री थे इस्तीफा दिया था और अब फिर केन्द्र में वह परिवहन विभाग के मंत्री है। बड़े खेद की बात है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इस प्रकार मान नहीं किया है। अब इन के मंत्री बनने के साथ साथ ही बहुत सी विमान दुर्घटनाएं हो गई है। प्रधान मंत्री को चाहिये कि इनको मंत्री पद से हटा दें। यही उचित निर्णय होगा।

भारत सरकार भारत रक्षा नियमों का बहुत अनुचित प्रकार से प्रयोग कर रही है। भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्री श्री सेन ने भी कहा कि आपत्कालीन स्थिति समाप्त कर देनी चाहिये क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, no Cabinet Minister has come inspite your orders. I walk out as a protest.

श्री हुकमचन्द कछवाय सदन से बाहर चले गये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय तीन उपमंत्री और एक राज्य मंत्री उपस्थित है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : सभा के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

श्री दाजी : यदि वे सदन में हो रही चर्चा से इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो बहुत अनुचित होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री उ० मू० त्रिवदी, श्री दाजी और को कुछ और माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।

At this stage Shri Surendranath Dwivedi, Shri U. M. Trivedi, Shri Daji and some other hon. Members left the House.

श्री नरसिम्हा रेड्डी : मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत रक्षा नियमों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाये।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। मैं इन आंकडों को ठीक नहीं मानता। आज देश जनता की जो दशा है वह सभी को विदित है। लोकों को भुकमरी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा होता यदि राष्ट्रपति इस विषय का उल्लेख नहीं करते। केवल कांग्रेस वाले ही धनी हो गये हैं। समाजवादी समाज की बात तो केवल एक ढोंग है और केवल चुनाव के समय लोगों को धोखा देने का बहाना है।

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

राष्ट्रपति ने अनावृष्टि की स्थिति का भी उल्लेख किया है। यदि सरकार ने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये पहले सोचा होता और आवश्यक उपाय किये होते तो वर्तमान कठिन स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई होती। सरकार ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर जो धन व्यय किया है यदि उसका कुछ भाग बिजली के विस्तार पर व्यय किया जाता तो आज की अकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

हमारी सरकार यदि वास्तव में ही अनाज के अधिक उत्पादन के बारे में गम्भीर है तो उसे यह घोषणा करनी चाहिये कि यदि कोई गांव बिजली मांगता है तो उसे धन के अभाव के कारण बिजली से वंचित नहीं रखा जायेगा। प्रधान मंत्री को सभी राज्यों को आदेश देना चाहिये कि बिजली की सुविधा यथाशीघ्र सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध की जानी चाहिये। योजना आयोग के सदस्यों को गांवों में जाकर रहना चाहिये । इस प्रकार उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

जहाँ तक हमारे देश की विदेश नीति का सम्बन्ध है श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश के निकटवर्ती देशों के साथ सम्बन्धों को बहुत सुधारा है। शास्त्रीजी ने अपना जीवन शांन्ति की स्थापना के लिये बलिदान कर दिया है। इस महान नेता की स्मृति अमर बनाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Sir, under the leadership of late Shri Lal Bahadur Shastri we have accomplished a great of defeating Pakistan. During this conflict our nation has shown a sense of remarkable unity and integrety. It was also shown that we can face the enemy unitedly. For this great success we owe much to our late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri.

We have successfully repulsed the attack from a foreign country. The biggest problem before us to-day is the food problem. It is a pity that even after 18 years of independence we have not become self sufficient in the matter of food. We have to import large quantities of foodgrains from other countries. The reason for this is that our plans are not formulated keeping in view the conditions prevalent in our country. If we have to improve our agriculture, we should first improve the working conditions of our agriculturists We can increase our food production even without fertilizers. There is shortage of water. Government should undertake small irrigation scheme in the first instance. The big scheme take much time before they are put to use.

Government proposes to instal seven lakh pumping sets. It is a good idea, but at the same time Government should ensure the supply diesel and other necessary things for these sets. Government should supply tractors to villagers. The good seeds should be supplied at proper time. If all these facilities are provided the food production will go up.

The farmers have not been provided credit facilities. They are put to great inconvenience for getting small sums of money. The procedures in this regard should be simplified and all facilities should be provided to the farmers. Farmers should not be equated with industrial labour. Farmers are the back bone of our country. They constitute about eighty percent of our population. Government should provide them all facilities. Only then we can hope to become self sufficient in the matter of food.

The scheme of zones regarding foodgrains is very harmful to the country. It is against the unity of our country. You are allowing our thing like coal being sent to all States. Then why are you not sending rice from Madras being sent to Madras. Government remove all restrictions imposed on the movement of foodgrains. It will help in forging a sense of unity in the country.

We should not take any hasty step in regard to lifting of emergency. The danger from China still continues. Government should think over this matter before arriving at a decision. Government should also issue instructions the emergency powers should be exercised judiciously by authorities at lower levels of administrations. I support the motion of thanks on the President's address to Parliament.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want that hon. Members of this House should think over the merits and demerits of things and should not support or oppose every thing without giving a serious thought to everything.

Government has said something which is not a fact. It has been said that Pakistan had captured about 10 or twelve posts in Rajasthan after the ceasefire agreement of 23rd September. It is wrong. These posts were taken over by Pakistan round about 16th of September, 1966. A committee should be constituted to consider this and the Defence Minister should be called there to state facts. It has been said that 30 lakh acres of land would be brought under cultivation this year. Similarly 10 lakh acres would be brought under irrigation by way of small irrigation schemes. In this way it will take eighty years to provide irrigation facilities to the entire country. The farmers are not putting in much labour now because they think that Government will provide them facilities.

Apart from that the poor farmers have not got the ownership rights of land that they cultivate. I know of decision of a court wherein it is stated that eleven thousand paddy was allowed to go waste because of ownership of land etc. Government should introduce the necessary land reforms.

I call this Government the Government of famine and arrogance. Government never thinks over problems in a serious way. How can it solve problems. It should understand problems in a calm way and think of finding out solutions of problems of various types. The hon. Minister of Food has not stated that there is a shortage of foodgrains to the time of one and half crores of tons this year. Previously he had given a small figure. The bureaucracy is not sincerely working in this country. Government should set everything right.

In the matter of international politics Government should think over the problems before hand. It should anticipate the results of its actions and pursue its policy like that. There is no use repenting afterwards. We had not done thought of the results of partition of the country. It resulted in uprooting of one and half crores of people and killing of laks of people.

We cannot say what will be the fate of Tashkent Declaration ? I am afraid Government would say that they on their part implemented the Tashkent Declaration sincerely but Pakistan did the mischief. The Nehru-Liaqat pact of 1950 was very good agreement between India and Pakistan. Under this agreement some rights have been guaranteed to minorities as are those of majority community.

It is a difference between the ideal and the reality. In between there are people who cannot understand the problems between India and Pakistan. Sixty crores of people till yesterday were the citizen of one country.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

Eighteen years ago they were forcibly separated and it is being endeavoured that both the people should live in peace. I am quite confident that both will become one in the coming one hundred years. I feel Russia and America are thinking together on this issue. Tashkent declaration is nothing but the implementation security council's resolution. This is also the result of arms given to countries by some foreign powers. One of the land there is a fight between Communism and democracies of the West, on the other hand Russia and China are also fighting . Russia and America both are now seeing the result of their arm supply. The result is just the opposite to what is accepted.

It is also a fact that America and Russia are one as far as the election of Shrimati Indira Gandhi as the Prime Minister of India. This is absolutely wrong to say that there is an emergency in the country. It is really said that opposition is not being consolidated. The effort should be made there should equality in the country. The children of the President and the Peon should study together. If the land revenue is stopped, people will be able to produce more and fulfil the need of the country.

Shri K. N. Pandey (Hata): I have very little time to refute the agruments of Dr. Lohia. He says, partition of the country is wrong, Tashkent Agreement is wrong, but what is right, he does not tell. He ought to have thrown some light on it or has put forward some suggestions.

[श्री प्र० के० देव पीठासन हुए
SHRI P. K. DEV *in the Chair*]

Mahatma Gandhi used to say that fight is successful where public is with you. We know very well on whose side the justice was, in this fight between India and Pakistan. But unless and until we carry the public opinion of the world with us we cannot succeed. Dr. Lohia says that we shall come to understand the truth of what he says today after five years. But at that we are sure the opinion of world will be to our side and we shall be able to put up a heroic fight. Dr. Lohia thinks that he is the only man of intelligence in this world.

I am not convinced with the arguments put forward against the zonal system. I want to know that even if the rates go up even after the abolition of zones who will check it ? Who will be responsible for it? We should not take any decision regarding this under spell of sentiment. The entire situation should be dispassionately considered. We have also seen that it was impossible to have a uniform rationing policy also throughout the country. If there is the scarcity of production the farmers are not to be blamed. They are not being given the adequate price of their produce.

Now I want to say something regarding the address of the President. There is an another problem as vital as the food problem which is before the country. There are two types of persons at present in the country. One are those who are doing manual labour and the other belong to the labour class. People who are doing physical labour are not satisfied with the four chattaks of ration. They should be given more. If the agricultural labour is not adequately fed they will not be able to produce more. It is really sad that you are not able to give employment under the Third Five Year plan only to 25 lakhs of people but the

target was to give employment to 130 lakhs of people. It is to be seen how you solve this problem the closuis have rendered about 55 lakhs of people as unemployed. Very alarming situation indeed.

To get any employment is also not very simple thing. Employment Exchanges are the main source. In 1963, 25 lakhs of people registered themselves for employment, but only 12000 people could get the employment. Can we feel proud for such a situation. This is true that per capita income has come up, but then prices have also gone very high. Planning Commission should seriously consider this matter. There is a shortage of food in the country, but we should try to produce in the country. We should not depend upon other countries for this indefinately. The farmer should be given adequate facilities for this purpose. It is really sad that cooperative experiment has failed in the country. Government should try to find out the reasons thereof. I would request that we should discuss policies and not personalities in the parliament.

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री की याद में श्रद्धा के फूल भेट किये हैं। मैं भी उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेट करता हूँ। वह सामान्य व्यक्ति थे और कांग्रेस के एक सिपाही थे। उनके साथ ही मैं नये प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का भी स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वह देश का कल्याण करने में सफल हो जायेगी। हमारा दल समाजवाद के लिये वचनबद्ध है। बिना क्रांतिकारी पग उठाये देश में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। सरकारी नौकरशाही को समाजवाद से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उन्हें तो अपनी नौकरियों से वास्ता है। सब जगह सफाई करने की नितान्त आवश्यकता है। आशा करनी चाहिये कि इस दिशा में श्री मोरारजी देसाई समिति कुछ करेगी। राजाओं, महाराजाओं और नवाबजादों को एक श्रेणी पैदा हो रही है। उन्हें देश में हो रही क्रान्ति और देश की परम्पराओं का कोई ज्ञान ही नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि देश में वही लोग समाजवाद ला सकते है जिन्होंने अगस्त 1942 में क्रान्ति करी थी और देश में उथल पुथल करने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। आज 18 बरस व्यतीत हो जाने पर भी हम 1930 में पारित किया कांग्रेस का प्रस्ताव भी व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित नहीं कर पाये। मेरा आग्रह यह है कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिये। नये प्रधान मंत्री जी से हम इस दिशा में कुछ आशा कर सकते है।

खाद्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। खाद्य मंत्री जी की आलोचना की गयी है। आज देश में जो स्थिति है, उससे यह स्पष्ट है कि कोई भी खाद्य मंत्री बाहर से सहायता लिए बिना देश को खुराक नहीं दे सकता। परन्तु यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश भूखा मरने को तैयार है, अपनी स्वतंत्रता रहन रखने को नहीं। खेद है कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद हम देश में अपेक्षित अन्न का उत्पादन करने में असमर्थ रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है।

अब मैं कुछ शब्द विदेश नीति के बारे में कहूंगा। मुझे वह दिन याद है जब कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू दुनिया के संतप्त देशों की स्वतन्त्रता के लिये लड़ते थ। परन्तु आज हमारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय बेकार हो रहा है। आज अन्य देश वियतनाम के लिये प्रयास कर रहे है, परन्तु हमारा इस दिशा में कोई अंशदान नहीं हो रहा, केवल जबानी जमा खर्च ही हो रहा है। मेरा अनुरोध यह है कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिये। हमारे देश का एशिया के लिये बड़ा उत्तरदायित्व है। ताशकन्द घोषणा का मैं स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि भारत और पाकिस्तान एक दिन 'एक' हो जायेंगे।

हम ने यह बात कई बार कही है कि पखतूनिस्तान के लोगों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। वे लोग खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ताशकन्द भावना के जोश में हमें उन क्रान्तिकारियों को नहीं भूल जाना चाहिये जिन्होंने भारत की आजादी

[श्री अन्सार हरवानी]

में हमारा साथ दिया था। द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम के नेता श्री मनोहरन ने गृह-कार्य मंत्री की अलोचना की है परन्तु मैं नन्दा जी का प्रशंसक हूँ। वह भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने दो वर्षों में समाप्त करने का वचन भी दिया था यद्यपि वह उस में सफल नहीं हुए हैं। श्री मनोहरन ने कहा है कि एक ज्योतिषी के घर छापा मारा गया था और उसके पुत्र चिमन लाल की भी तलाशी ली गई थी परन्तु मुझे पता लगा है कि हवेली राम के कोई पुत्र नहीं है। विरोधी दल के सदस्यों को छान बीन-कर के बात कहनी चाहिये। मैं भ्रष्टाचार के विरूद्ध हूं परन्तु यह सरकार उसे समाप्त करने में असफल रही है।

मैं राष्ट्रपति महोदय का उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद करता हूं और प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कांग्रेस द्वारा पारित संकल्पो का पालन करायें। देश को उन से बड़ी बड़ी आशायें हैं और समाजवादी समाज की पुन: स्थापना के लियें भी जनता उन से पूरी आशायें रखती है। प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और खाद्यानों का व्यापार सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिये। यदि वह इस दिशा में कदम उठायें तो उनके स्वर्गीय पिता की भांति लोग उनका भी समर्थन करेंगे।

Shri Maurya (Aligrah) : I have both listened to and read the Address delivered by the President but I do not find a single word in it with regard to the ten crores of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who are still backward and suffering due to economic disparities. They are still victims of untouchability though not so much in the urban areas as in the rural areas. Recently in a village in Meerut district a bridegroom has been killed only because he wanted to go in a procession of pomp and show. The reason was that he belonged to the "Bhangi" (Harijan) class.

It has been especially provided in the constitution that there will be fixed a percentage for the representation of the scheduled castes and scheduled tribes in the Central Services but I find that there is not a single Ministry where the representation is full up to the prescribed percentage. There is not a single Governor, Commissioner, Judge of the Supreme Court, Inspector General, High Commissioner or Ambassador of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Until they are adequately represented in the public services, I cannot call it a parliamentary democracy in the true sense of the term.

As to the food crisis, everyone is agreed upon the fact that under-production and improper distribution of what is produced, are the two main causes of the crisis. The production cannot go up until the land that is lying untilled is made over to the peasant for cultivation. There is still 16% of land where there are no irrigational facilities available. The Government cannot go by the name of government until this mis-management goes on and proper irrigational facilities are provided so the land that is ploughed and sowed.

I have repeatedly stressed the point that the land of the nation should go to the actual tiller or they should take to mechanised farming. Production cannot go up until Government follows one of these two methods. We should make all out efforts for pushing up the production so that we may not have to beg for foodstuffs from other countr es. Government should give up its two-fold policy and strongly take to one compact line of action in regard to food production.

One of the Hon. Members wanted that the cultivator should also be provided with the same facilities by the banks as the businessman and the industrialists are receiving but, according to me, there should be something more by way of facilities.

As to the Zonal system, I would say that this system is a sort of hindrance and is dangerous to the unity of the nation.

So far as the food situation is concerned I would first say that the rationing that is obtaining in the urban areas is not enough. The city-dwellers are well-off and may even eat out at a restaurant. There is no rationing facility for the thousand of workers and others living in rural areas.

As to lawlessness I would say that of late it is most rampant in the country. If the Home Minister was present here I would have showed him how naked lawlessness is going on right under his nose. One of my friends had brought his wife for treatment and was putting up in the Vithalbhai House. His wife was missing the very day. She came over and there in the building itself she was subjected to rape for a month until she was dead at the end.

The emergency should be lifted soon. for in the name of emergency much lawlessness is going on ; the opposition is unnecessarily being defamed.

The 14 or 15 Cabinet Ministers comprise 7 or 8 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. This is a sort of backdoor policies and is not in the interest of democracy. The traditions that this Government has been establishing are not sound.

The Tashkent Declaration is an error in the wake of the one that made Pakistan after partition of the country. Fighting is deep-rooted in the nature of the Pakistanis, it is wrong to expect good relations from them. We should not go back to the 1948-49 situation. The slogan "Hindi-Chini bhai bhai" has come to nought so also the slogan "Pakistani-Hindi bhai bhai", if practised may meet the same fate. It is by power alone that we can befriend Pakistan.

श्री केप्पन (मवातुपुजा) : हमारे पिछले वर्ष की महान सफलताओं को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। हमारी सेना की वीरता और बलिदान, जनता की एकता तथा हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री का कुशल नेतृत्व जिसके द्वारा पाकिस्तान से बिना बल प्रयोग किये सारे झगड़े सुलझाने का समझौता हुआ है, हर भारतवासी के लिये गर्व होना चाहिये।

जब मैं ने जब श्री दांडेकर का भाषण सुना तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानों डिमास्थेनीज़ अथवा सिसेरो पुनः जीवित हो गये हैं। परन्तु वक्तृता, सचाई और न्याय का स्थान नहीं ले सकती। श्री दांडेकर ने कहा है कि यहां भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है परन्तु सत्ता का कुप्रयोग यदि कुछ लोग करें तो इसके लिये उनको दंड देना चाहिये। परन्तु देश का अवांछनीय चित्र दूसरों के सामने नहीं देना चाहिये। यदि इस तरह कीचड़ उछाली जायेगी तो चरित्रवान तथा शीलनिष्ठ लोग सार्वजनिक जीवन में आना पसंद नहीं करेंगे। अतः ऐसी गलत बातें नहीं कहना चाहिये।

श्री दांडेकर ने हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में शांति के बारे में अपहास करते हुए जो कुछ कहा था मैं उस के उत्तर में कहना चाहता हूं कि ईसा, अशोक, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों ने शान्ति के लिये ही कार्य किया है। हम इस देश में तथा संसार में अन्य भागों में शान्ति के लिये कार्य कर रहे हैं। इस में शर्म की कोई बात नहीं है। जब ऐसा समय आया कि हमें लड़ना पड़ा तो उस में भी हम पीछे नहीं रहे, वीरता से लड़े। अतः शान्ति की चर्चा व उसके लिये कार्य करना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री दांडेकर ने कहा है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों को सामान्य कानून के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। परन्तु उनके कथन में अतिशयोक्ति है। अपवाद को तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों को हटाया जायें या नहीं कुछ समय से एक विवादास्पद विषय बन गया है। आपात अक्टूबर, 1962 में लागू की गई थी अतः इतने समय के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उसे हटा दिया जाये।

[श्री केप्पन]

आपात प्रथम चीन के हमले के कारण लगाया गया था। नवम्बर, 1962 में जब हमला समाप्त हुआ था तो किसी ने इसे हटाने के लिये नहीं कहा था। उस समय यह पता नहीं था कि एक दिन पाकिस्तान भी हमला करेगा। यदि पाकिस्तानी आक्रमण के समय आपात नहीं होता तो हम लोग हमले के मुकाबले के लिय उतने तैयार न होते। भारत प्रतिरक्षा नियमों से तथा आपात के होनेसे हमें बहुत सहायता मिली थी। अभी भी चीनीओं द्वारा आक्रमण का खतरा बना हुआ है और सीमा पर जैसी उनकी गतिविधियां हैं, उनको देखते हुए आपात अभी कैसे समाप्त किया जा सकता है।

योजनाओं के लागू होने के समय से अब तक हमारी आर्थिक सफलतायें बहुत उच्च कोटि की रही हैं। हमारी राष्ट्रीय आय 1951 में 8,850 करोड़ रुपये से 1965 में 15,000 करोड़ हो गई है। हमारा औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। स्पात, चीनी और सीमेंट का उत्पादन 300% बढ़ गया है। परन्तु तीन संकट अभी भी हैं। प्रथम, मूल्यों का बढ़ना, दूसरे, पूंजी बाजार और तृतीय विदेशी मुद्रा का संकट। खाद्यानों की कमी के अतिरिक्त उन के मूल्य काफी बढ़ गये है। केरल में एक सप्ताह के लिये एक लिटर मिट्टी का तेल मिल रहा है। वहां दाल, चीनी तथा अन्य खाद्य सामग्री की कमी है। हमारे खाद्य मंत्री ने कहा है कि खाद्य के मामले में हम पांच वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। परन्तु मैं उनको यह चेतावनी देता हूं कि यदि वह किसान के पास तक खाद तथा अन्य चीजें पहुंचाने की व्यवस्था नहीं बदलेंगे किसानों को कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

Shri Onkar Singh (Budaun) : The continuance of the emergency and the Defence of India Rules is no more wanted. When the Government declares that the signing of the Taskhent Declaration, has ruled out all fears of Pakistani attack and that there is peace and peace alone since then, what is the necessity for the emergency and the Defence of India Rules to continue ? Everybody feels that these are no longer needed. I therefore, with all the emphasis at my command, demand of the Government to lift the emergency and abrogate the D.I.R. immediately.

Government have all these 18 years been giving assurances that the country would become self-reliant in food but they have utterly failed in this regard. I am at a loss to know the reason for our underproduction of food irrespective of the fact that we have so much of cultivable land and nearly 70% of the population is engaged on agriculture. I wonder why we are not able to make up for the 8% food shortage. We are importing foodgrains from America which, though not amounting to begging, is indeed quite a come-down for our country. One of the reasons for the foodcrisis may be that the cultivator is not getting maximum facilities for augmenting food production.

The plans of the Government are copious, giving impression that there is a very liberal budget for the field of agriculture but by the time the cultivator gets anything it is too much reduced. For example, one gentleman of Dafaganj block of Ba laun district, was granted *taqavi* for construction of a well, on the condition that he will complete the construction within a year. He purchased all the necessary material with that money but could not get cement and that one year was over. Ultimately when he went to take cement permit he was put behind the bars.

On account of corruption, the whole machinery is out of gear. The cultivator does not get timely supply of seeds. So is the case with fertilisers and manure. The cultivatiors get what they do not want. In block Netajhuksa of Budaun district, a seed store has been constructed at a cost of about Rs. 15,000.

Four employees are posted there but that building has no agricultural implements or fertilisers or seeds. The manure is stocked by them at Dafaganj, a place six miles away. Since the cultivators do not get the fertilisers in time, they sel it away in the market. So production can be augmented if the Government changes its policies.

China has been making atom bombs. For that reason, should we not also make atom bombs. Our Government is very much in favour of peace but do we not need power to defend and maintain peace ? Our gestures of goodwill and peace were always turned down by Pakistan and the latter always used force. In the last armed conflict, our forces gave Pakistan a crushing defeat and they were compelled to come to agreement with us. We should make atom bombs to maintain peace.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय वायुसेना के एक विमान का गोहाटी के समिप दुर्घटनाग्रस्त होना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"The reported crash of an Indian Air Force plane at Borjhar airport in Assam on the 22nd February, 1966, resulting in the death of ten persons."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे सभा को सूचित करते हुए, दुख होता है, कि 22 फरवरी 1966 लगभग साढ़े तीन बजे सायं एक तूफानी विमान प्रशिक्षण अभ्यास करते समय गोहाटी हवाई अड्डे के निकट ध्वस्त हो गया। विमान एक एरियल से टकरा गया था और ध्वस्त हो गया जिसमें पाईलट अफसर जे० एस० सिन्धू मारे गए। विमान कुछ झोंपडियों से टकराया जिससे लगता है, उस में संघट्टन के कारण आग लग गई।

प्राप्य सूचना के अनुसार हवाई अड्डे की परिसीमा पर कई झोंपड़ियों को आग लग गई, और आसाम उड्डान क्लब की सम्पत्ति, एक भवन को भारी क्षति पहुंची। अब तक असैनिक हताहतों की कुल संख्या 18 है। विस्तार इस प्रकार है :

निधन प्राप्त	. .	8 (7 व्यस्क और एक बच्चा)
घायल	. . . .	10

सभी घायल व्यक्तियों का वायु सेना द्वारा फोरी चिकित्सा उपचार किया गया, और उन्हें गौहाटी असैनिक हस्पताल में पहुंचा दिया गया।

दुर्घटना की जांच करने के लिये वायु सेना के एक वरिष्ट अफसर की अध्यक्षता में एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी अब तक बुला ली गई है।

Shri Madhu Limaye : This matter concerns the Civil Aviation Minister also. Shri Sanjiva Reddy is not present in the House. I want to put some questions pertaining partly to the Defence Minister and partly to Shri Sanjiva Reddy.

[Shri Madhu Limaye]

It seems that the number of accidents is greater during the winter, between December and February. In this context, I want to know whether the training imparted to the pilot is deficient in any way, or there is anything wanting in the electronic equipment fitted in the plane, or there is anything wrong with the airport administration ? What are the reasons for increased incidence of air accidents during this period ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जैसा कि सदन को ज्ञात है, जहां तक वायु सेना में दुर्घटनाओं का सम्बध है, एक उच्चाधिकारी समिति इन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये बनाई गई थी और उस समिति ने बड़ी सावधानी और योग्यता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मैंने सदन को भी उस प्रतिवेदन के सार से अवगत कराया था। इन सब मामलों पर उस में प्रकाश डाला गया है। यदि आवश्यकता हो तो माननीय सदस्य भी उसे देख सकते हैं; यदि उन्हें चाहिये तो मैं उस प्रतिवेदन का सार दे सकता हूँ।

जहां तक इस दुर्घटना का प्रश्न है, मेरे लिये यह बताना कि दुर्घटना का ठीक ठीक कारण क्या है, बहुत कठिन है क्योंकि एक जांच अदालत बिठाई हुई है और हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री वारियर : परन्तु सरकारने जांच प्रतिवेदन पर कुछ कदम उठाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने निश्चय ही कदम उठाये हैं।

Shri Kishen Pattnayak : Has any preliminary enquiry been made and if so does that reveal that the pilot while flying this aircraft was overworked ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस दुर्घटना से पहले वह चालक उसी विमान में कुछ ही मिनट तक वायु में था। अतः मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह अधिक देर तक काम करने के कारण थका हुआ था।

श्री लिंग रेड्डी (चिकनल्लापुर) : क्या वायु सैनिकों में तथाकथित अनुशासनहीनता इस विमान दुर्घटना के लिये जिम्मेवार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या इस बोरझर हवाई अडडे पर "गदडिक कंट्रोल के इन्स्ट्रूमेंट लैंडिगें सेट" लगा हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विशिष्ट मामले में वास्तव में विमान और सिविल नियंत्रण में कोई संपर्क नहीं था और अवतारन का कोई प्रश्न नहीं था। इसलिये किसी उपकरण द्वारा उतरने में सहायता देने की बात ही पैदा नहीं होती। अभी जांच चल रही है।

Shri Bagri (Hissar) : May I know whether all necessary precautions had been taken and examination made before this particular aircraft took off ?

Shri Y. B. Chavan : As I said investigation is going on and nothing can be said before its completion.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : In Germany there is a law that aircrafts should not be given in the hands of bachelors because they are always indulging in love with the air-hostesses. Do Government propose to bring similar legislation here ?

Shri Y. B. Chavan : It is difficult.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : May I know whether the weather insufficiency of the pilot and want of modern electrically operated instruments will also be taken into consideration at the time of making the investigation ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही इन पर विचार किया जायेगा ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : क्या इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले लोगों को जांच पूरी होने से पूर्व कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ राहत देने पर विचार किया जा सकता है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : What is the name of the country where this aircraft and its engine were manufactured and on the basis of the investigation so far made how far the overworking of the machinery and the pilot have been responsible for this aircraft ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ब्रिटेन का बना है । मैं समझता हूं कि यह विशिष्ट विमान सेवा के योग्य था अन्यथा इसको उड़ने नहीं दिया जाता ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 24 फरवरी, 1966/5 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday the 24th February, 1966/Phalguna 5, 1887 (Shaka).

भासमुना –से ४—23 लोक सभा/66—12-6-67—600